Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

दिसंबर 2023

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- भारत का समुद्री सुरक्षा प्रतिमान 3
- उद्योग-अकादमिक सहयोग को मज़बूत करना 6
- प्रतिबंधों का अनावरण: भारत में यौन शिक्षा का परिदृश्य 11
- अधिक सक्रिय भारतीय राज्य का खाका 14
- दिव्यांगों का सशक्तीकरण 16
- कृषि खाद्य प्रणालियों की प्रच्छन्न लागत 19
- गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम का आकलन 22
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक: कमियाँ और समाधान 25
- दक्षिण एशिया में भारत की चुनौतियाँ 28
- BioCNG के माध्यम से भारत का हरित भविष्य 31
- बदलते परिदृश्य के बीच भारत की विकास रणनीति 34
- अनुच्छेद 370: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को समझना 35
- सरकार में विमर्श: कमियों और चुनौतियों का समाधान 38
- COP 28: जलवायु कार्रवाई हेतु रोडमैप 40
- आरक्षण और जातिगत गतिशीलता: पृष्ठभूमि 44
- FRA 2006 को समझना: न्याय, संरक्षण और चुनौतियाँ 48
- भारत में वामपंथी उग्रवाद का पर्दाफाश 51
- भारत का दल-बदल विरोधी कानून: चुनौतियाँ और समाधान 55
- भारत की इथेनॉल क्रांति: प्रगति और चुनौतियाँ 57
- भारतीय शिक्षा में रूपांतरण: दीर्घकालिक दृष्टिकोण 61
- भारत में रोज़गार संकट का समाधान 65
- भारत की साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ: खतरे और समाधान रणनीतियाँ 68
- मेक इन इंडिया का आकलन: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ 71
- खेत से थाली तक: प्राकृतिक कृषि का प्रसार 73
- दृष्टि अभ्यास प्रश्न 77

दृष्टि The Vision

नोट :

भारत का समुद्री सुरक्षा प्रतिमान

चार्ल्स डार्विन के अनुसार, बदलते परिवेश के साथ अनुकूलन और समायोजन करने की क्षमता मानव अस्तित्व एवं प्रगति की कुंजी है। उनका मानना था कि सबसे मज़बूत या सबसे बुद्धिमान प्रजाति अस्तित्व नहीं बनाए रखती, बल्कि वह प्रजाति अपना अस्तित्व बनाए रखती है जिसमें प्रत्यास्थ और अनुकूल बनने की क्षमता होती है। प्रत्यास्थ अनुकूलनशीलता (resilient adaptability) की यह धारणा समय के इतिहास में सत्य सिद्ध हुई है और यह समुद्री क्षेत्र के मामले में विशेष रूप से प्रासंगिक है जहाँ उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिये एक लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

भारत के लिये समुद्री सुरक्षा का क्या महत्त्व है?

- भारत 7000 किमी से अधिक लंबी तटरेखा रखता है जो इसे समुद्री डकैती या पाइरेसी, आतंकवाद, तस्करी, अवैध मत्स्यग्रहण (illegal fishing) और पर्यावरणीय क्षरण जैसे विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। भारत को अपनी तटीय और अपतटीय आस्तियों—जैसे तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों, मत्स्यग्रहण क्षेत्रों और बंदरगाहों को इन खतरों से बचाने की ज़रूरत है।
- भारत की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से समुद्री क्षेत्र पर निर्भर करती है, जहाँ इसका 70% से अधिक व्यापार मूल्य और लगभग 95% व्यापार समुद्र के माध्यम से संपन्न होता है। भारत अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं का आयात भी समुद्री क्षेत्र से, विशेषकर खाड़ी क्षेत्र से करता है।
    - इस परिदृश्य में, भारत को हिंद महासागर में और उससे आगे के क्षेत्रों में संचार के समुद्री मार्गों (Sea Lanes of Communication- SLOCs) की सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जो इसके आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- भारत हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region-IOR) में रणनीतिक हित रखता है, जो इसके कई मित्रवत एवं सहयोगी देशों के साथ-साथ कुछ संभावित शत्रुओं का भी क्रीड़ा क्षेत्र है।
    - भारत IOR में कई देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्रवासी संबंध रखता है और उनके विकास एवं सुरक्षा में निवेश भी करता है।

समुद्री क्षेत्र में विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **कठिन सुरक्षा चुनौतियाँ:**
  - असममित रणनीति (Asymmetrical Tactics): असममित रणनीति का उपयोग—जैसा कि काला सागर में रूस के विरुद्ध यूक्रेन की कार्रवाइयों या दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा समुद्री मिलिशिया की तैनाती में देखा गया, समुद्री सुरक्षा के लिये एक नया आयाम पेश करता है। इसमें ऐसे अपरंपरागत और अप्रत्याशित तरीके शामिल हैं जो पारंपरिक सैन्य रणनीतियों का पालन नहीं भी कर सकते हैं।
  - 'ग्रे-ज़ोन वारफेयर' (Grey-Zone Warfare): ग्रे-ज़ोन रणनीति का उपयोग, जो परंपरागत और अपरंपरागत तरीकों के बीच आता है, प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में चुनौतियाँ पेश करता है क्योंकि ये रणनीतियाँ प्रायः विधिक एवं नीतिगत अस्पष्टताओं का लाभ उठाती हैं।
    - इस तरह की रणनीतियों में गुप्त अभियान (covert operations) और खुले संघर्ष की सीमा से नीचे की कार्रवाइयाँ शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के लिये, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों द्वारा SEZ का उल्लंघन।
  - लड़ाकू ड्रोन: लड़ाकू ड्रोन (combat drones) का उपयोग समुद्री अभियानों में एक नया आयाम जोड़ता है, जो राज्यों और गैर-राज्य अभिकर्ताओं को टोही अभियान, निगरानी और संभावित रूप से हमला करने में सक्षम बनाता है।
  - लैंड अटैक मिसाइल: समुद्री क्षेत्र में भूमि पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों (Land Attack Missiles-LAM) की तैनाती समुद्री सुरक्षा के लिये प्रत्यक्ष खतरा पैदा करती है। इसमें उन मिसाइलों का उपयोग शामिल है जो समुद्री मंचों से भूमि-आधारित प्रतिष्ठानों को लक्षित कर सकती हैं और ये समुद्र-आधारित खतरों की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती हैं।
- **अपरंपरागत सुरक्षा खतरे:**
  - अवैध मत्स्यग्रहण (Illegal Fishing): अवैध मत्स्यग्रहण गतिविधियों से समुद्री सुरक्षा को खतरा पहुँचता है, जो समुद्री संसाधनों को कम कर सकता है और तटवर्ती समुदायों की आजीविका को नुकसान पहुँचा सकता है। उदाहरण के लिये श्रीलंकाई मछुआरों द्वारा भारतीय जल में मछली पकड़ना।
  - प्राकृतिक आपदाएँ: समुद्री क्षेत्र में चक्रवात और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति एवं तीव्रता समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों के लिये उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा करती हैं।
  - समुद्री प्रदूषण: प्रदूषण (तेल रिसाव और प्लास्टिक अपशिष्ट सहित) समुद्री क्षेत्र के लिये पर्यावरणीय और आर्थिक खतरा उत्पन करता है।
  - मानव और मादक पदार्थों की तस्करी: मानव और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियाँ, जो प्रायः समुद्री मार्गों के माध्यम से की जाती हैं, समुद्री क्षेत्र में असुरक्षा की स्थिति में योगदान करती हैं।
  - जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: समुद्र का बढ़ता जल स्तर, जलवायु परिवर्तन और संबंधित प्रभाव अल्पविकसित देशों को असंगत रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे वे पर्यावरणीय बदलावों और चरम मौसमी घटनाओं (extreme weather events) के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ज़ीरो-सम प्रतिस्पर्द्धा:** हिंद-प्रशांत में शक्तिशाली देशों के बीच कथित शून्य-संचय या ज़ीरो-सम (Zero-Sum) प्रतिस्पर्द्धा को विशेष रूप से विकासशील विश्व के लिये एक खतरे के रूप में चिह्नित किया जाता है। यह प्रतिस्पर्द्धा एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के तटीय देशों की सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने से ध्यान एवं संसाधनों के विचलन की स्थिति उत्पन्न कर सकती है।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शून्य-संचय प्रतिस्पर्द्धा (Zero-sum competition in the Indo-Pacific) शब्दावली इस विचार को संदर्भित करती है कि इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन के हित एवं कार्य परस्पर अनन्य एवं असंगत हैं और एक पक्ष के लिये कोई भी लाभ दूसरे के लिये हानि की स्थिति है।
    - यह दृष्टिकोण मानता है कि हिंद-प्रशांत एक शून्य-संचय खेल (zero-sum game) है, जहाँ दो शक्तियाँ प्रभाव, संसाधन और सुरक्षा के लिये प्रतिद्वंद्विता में संलग्न हैं।
- **समुद्री प्रशासन से संबद्ध चुनौतियाँ:**
  - समन्वय की कमी: एशिया और अफ्रीका के तटवर्ती देशों को समुद्री खतरों से निपटने के लिये अपने प्रयासों में समन्वय स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। असमान कानून-प्रवर्तन क्षमताएँ और अलग-अलग सुरक्षा

प्राथमिकताएँ प्रभावशील सहयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिये, आसियान (ASEAN) देश प्राय: दक्षिण चीन सागर में चीन की आधिपत्यवादी कार्रवाइयों का विरोध करने में अनिच्छा प्रकट करते हैं।

- सहयोग करने में अनिच्छा: कुछ तटवर्ती राज्य बाह्य सहायता पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से विदेशी एजेंसियों के साथ समुद्री सहयोग का विरोध करते हैं। यह अनिच्छा व्यापक और समन्वित सुरक्षा उपायों के विकास में बाधा बन सकती है।
- सूचना साझेदारी संबंधी चुनौतियाँ: हालाँकि सूचना साझेदारी की इच्छा नज़र आती है, लेकिन इस सहयोग की अपनी सीमाएँ हैं जहाँ विभिन राज्य प्राय: साझा सुरक्षा लक्ष्यों के लिये आवश्यक न्यूनतम सूचना ही साझा करते हैं। उदाहरण के लिये, भले ही भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूचना साझेदारी पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा एवं संप्रभुता संबंधी चिंताओं के कारण व्यापक रूप से से सूचना साझेदारी की अनिच्छा रखते हैं।

समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिये भारत द्वारा कौन-सी पहलें की गई हैं?

- **समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना:** इसमें देश के समुद्री क्षेत्रों की निगरानी एवं गश्त के लिये अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये भारतीय नौसेना, तट रक्षक एवं समुद्री पुलिस का आधुनिकीकरण और विस्तार करना शामिल है।
  - इसके तहत विमान वाहक, पनडुब्बी, फ्रिगेट, हेलीकॉप्टर, रडार एवं उपग्रह जैसे उन्नत प्लेटफॉर्मों, प्रणालियों एवं उपकरणों का अधिग्रहण करना भी शामिल है।
- **तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों की उन्नत प्रौद्योगिकीय निगरानी:** इसमें तटीय निगरानी नेटवर्क (Coastal Surveillance Network), नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, राष्ट्रीय स्वचालित पहचान प्रणाली (National Automatic Identification System) और राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना (National Maritime Domain Awareness Project) जैसी विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।
  - इनका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की एक व्यापक एवं एकीकृत तस्वीर प्रदान करना और किसी भी खतरे या घटना का समय पर पता लगाने तथा प्रतिक्रिया देने में सक्षमता प्राप्त करना है।
- **इंटर-एजेंसी समन्वय के लिये तंत्र की स्थापना करना:** इसमें समुद्री और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये राष्ट्रीय समिति (National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security), राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (National Maritime Security Coordinator), संयुक्त संचालन केंद्र (Joint Operations Centres) और तटीय सुरक्षा संचालन केंद्र (Coastal Security Operations Centres) जैसे विभिन्न निकायों एवं समितियों का गठन करना शामिल है।
  - इनका उद्देश्य नौसेना, तट रक्षक, सीमा शुल्क विभाग, मात्स्यिकी और बंदरगाहों जैसे समुद्री सुरक्षा में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय एवं सूचना साझेदारी की सुविधा प्रदान करना है।
- **मछुआरों और तटवर्ती समुदायों का एकीकरण:** इसमें बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करना, ट्रांसपोंडर एवं संकट चेतावनी ट्रांसमीटरों की स्थापना, सामुदायिक जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन और आजीविका एवं कल्याण योजनाओं के प्रावधान जैसे विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन शामिल है।
  - इनका उद्देश्य मछुआरों और तटवर्ती समुदायों को समुद्री सुरक्षा ढाँचे में शामिल करना तथा उनकी सुरक्षा एवं कल्याण को बढ़ाना है।
- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (Security and Growth for All in the Region- SAGAR)
- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium- IONS)
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association- IORA)

चुनौतियों को दूर करने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue- QUAD), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और आसियान क्षेत्रीय फोरम (ASEAN Regional Forum- ARF) जैसे द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से समान विचारधारा वाले देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बेहतर बनाना।
  - इस तरह के सहयोग में सूचना साझेदारी, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण, अंतरसंचालनीयता (interoperability) और साझा खतरों के प्रति प्रतिक्रियाओं का समन्वयन शामिल हो सकता है।

- समुद्री क्षेत्र के लिये एक साझा आचार संहिता या मानदंडों एवं नियमों का एक समूह विकसित करना जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) पर आधारित हो।
  - ऐसी आचार संहिता विवादों को रोकने या प्रबंधित करने, तनाव कम करने और समुद्री शक्तियों के बीच विश्वास निर्माण उपायों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।
- तट रक्षकों और अन्य समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका एवं क्षमता को सुदृढ़ करना, क्योंकि वे समुद्री डकैती, तस्करी, मानव तस्करी और प्रदूषण जैसे गैर-पारंपरिक खतरों के प्रति प्रायः प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होते हैं।
  - वे समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता को बढ़ाने, तटीय देशों की संप्रभुता एवं अधिकारों की रक्षा करने और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- सतत् विकास, क्षेत्रीय एकीकरण और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, शासन और जलवायु परिवर्तन जैसे गैर-पारंपरिक खतरों के मूल कारणों एवं प्रेरकों को संबोधित करना। ये तटीय समुदायों की आजीविका, प्रत्यास्थता एवं सुरक्षा में सुधार करने और आपराधिक गतिविधियों के लिये प्रोत्साहन एवं अवसरों को कम करने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत समुद्री सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है और इसने उभरते परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिये SAGAR और IONS जैसी पहलें की है। भारत का क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग न केवल इसकी तटरेखा की रक्षा करता है बल्कि वैश्विक समुद्री स्थिरता में भी योगदान देता है। सुरक्षित समुद्र का दृष्टिकोण भारत को एक ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करता है जो प्रत्यास्थता, अनुकूलनशीलता और सहयोग को महत्त्व देता है।

उद्योग-अकादमिक सहयोग को मज़बूत करना

उद्योग-शिक्षा जगत सहयोग (Industry-Academia Collaboration) को उनके पारस्परिक लाभ के लिये चिह्नित किया जाता है, कई भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान (Higher Education Institutions- HEIs) उद्योग साझेदारी और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property- IP) एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfers) की संभावनाओं की उपेक्षा करते हैं, जिससे सक्रिय रूप से बुनियादी अनुसंधान के संचालन के बावजूद पेटेंट, लाइसेंसिंग और स्टार्ट-अप से प्राप्त लाभ के अवसर से चूक जाते हैं।

उद्योग-शिक्षा जगत सहयोग में व्याप्त चुनौतियों पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिये एक संपूर्ण एवं बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उद्योग-शिक्षा जगत सहयोग क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

- **व्यावहारिक विशेषज्ञता और शैक्षणिक कठोरता:**
  - उद्योग-शिक्षा जगत सहयोग विभिन्न संगठनों को व्यावहारिक विशेषज्ञता एवं शैक्षणिक कठोरता (Practical Expertise and Academic Rigor) का एक मिश्रण प्रदान करता है।
  - उद्योग के पेशेवर अनुबंध प्रशासन संबंधी चुनौतियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करते हैं, जबकि विश्वविद्यालय अनुसंधान-आधारित कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि एवं अत्याधुनिक सिद्धांत प्रदान करते हैं।
- **अनुसंधान व्यावसायीकरण:**
  - ऐसा सहयोग विश्वविद्यालयों को पेटेंट, लाइसेंसिंग समझौतों और स्टार्ट-अप कंपनियों की स्थापना के माध्यम से अपने शोध का व्यावसायीकरण करने के अवसर प्रदान करता है।
- आर्थिक विकास:
  - ये सहयोग नवाचार, रोज़गार सृजन और उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।
  - सहयोगात्मक प्रयासों से प्रायः अभिनव समाधान, सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी और उद्योग-विश्वविद्यालय सहयोग के लिये नए अवसरों की प्राप्ति होती है।
- **उत्कृष्टता की संस्कृति (Culture of Excellence):**
  - ज्ञान के आदान-प्रदान से आगे उद्योग-विश्वविद्यालय सहयोग प्रतिभा विकास को भी बढ़ावा देता है। यह अंत:क्रिया एक प्रतिभा पाइपलाइन स्थापित करती है, उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देती है और उद्योग की चुनौतियों से निपटने के लिये पेशेवरों की अगली पीढ़ी को तैयार करती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:**
  - मज़बूत उद्योग-शिक्षा जगत सहयोग रखने वाले देश प्रायः एक सुदृढ़ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के कारण वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी होते हैं।
    - भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization- WIPO) द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index) 2023 रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं के बीच 40वें स्थान पर है।

Global Ranking in University/Industry Research Collaboration 2014-20

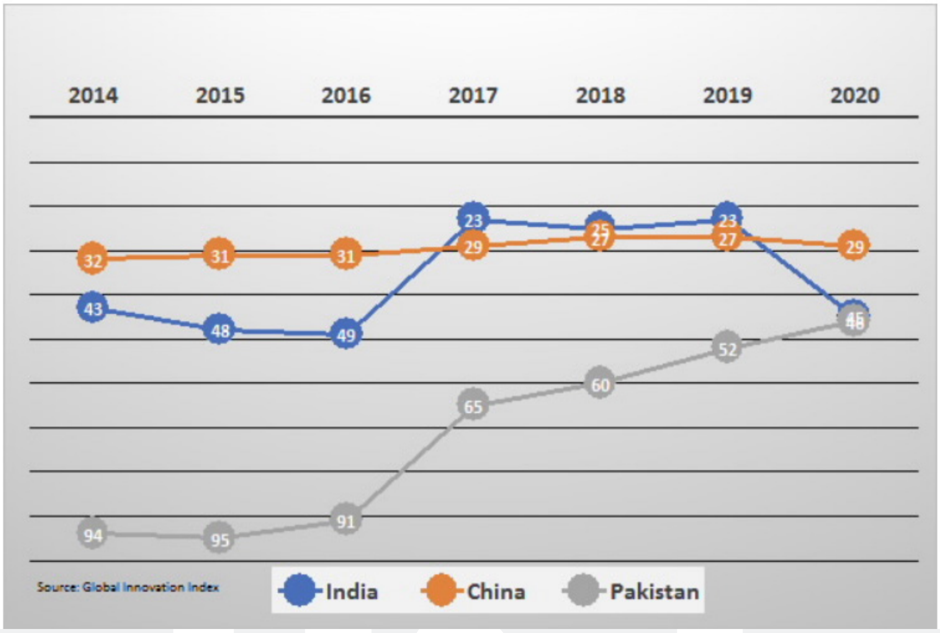

उद्योग-शिक्षा जगत सहयोग में कौन-सी बाधाएँ मौजूद हैं?

- **विपरीत प्रयोजन संघर्ष (Cross-Purpose Conflict):**
  - शिक्षाविद आम तौर पर नई अवधारणाओं को स्थापित करने के लिये मौलिक अनुसंधान को प्राथमिकता देते हैं, जबकि उद्योग प्रक्रिया में सुधार और अल्पकालिक मुनाफे के लिये व्यावहारिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे एक उल्लेखनीय विपरीत प्रयोजन संघर्ष पैदा होता है।
- **सांस्कृतिक मतभेद (Cultural Differences):**
  - HEIs शोधकर्ता कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा की जाँच करते समय शैक्षणिक कठोरता एवं सैद्धांतिक गहराई में वृद्धि की आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं। इसके विपरीत, व्यावहारिक परिणामों को प्राथमिकता देने वाली कंपनी के पास प्राय: व्यापक सैद्धांतिक चर्चाओं के लिये समय या विशेषज्ञता का अभाव होता है और वह वास्तविक समाधानों, प्रक्रिया में सुधार या उत्पाद नवाचार पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **बौद्धिक गुणों का संघर्ष (Conflict of Intellectual Properties):**
  - विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशन के अधिकार (right to publish) की रक्षा पर बल देने और पेटेंट एवं स्वामित्व संबंधी सूचना की सुरक्षा के लिये उद्योग की आवश्यकता के बीच का संघर्ष चिंता का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय है।
- **कौशल अंतराल (Skill Gap):**
  - उद्योग की आवश्यकताओं के साथ तालमेल की कथित कमी के लिये भारत की शिक्षा प्रणाली की आलोचना की जाती है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप स्नातकों के पास मौजूद कौशल एवं रोज़गार बाज़ार द्वारा मांग किये जाते कौशल के बीच असंगतता उत्पन्न हुई।
- **असंरचित सहयोग ढाँचे:**
  - स्पष्ट रूप से परिभाषित और संरचित सहयोग ढाँचे की कमी के परिणामस्वरूप भ्रम, स्पष्टता की कमी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी स्थापित करने में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **संसाधन की असमानताएँ:**
  - विकसित देशों के विपरीत, जहाँ उद्योग प्राय: विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) में पर्याप्त निवेश करते हैं, भारतीय उद्योग आमतौर पर अपने बजट का एक छोटा भाग ही शिक्षा जगत के साथ अनुसंधान एवं विकास साझेदारी के लिये आवंटित करते हैं।
    - भारत में R&D व्यय के लगभग 60% का वहन सरकार करती है।

नोट :

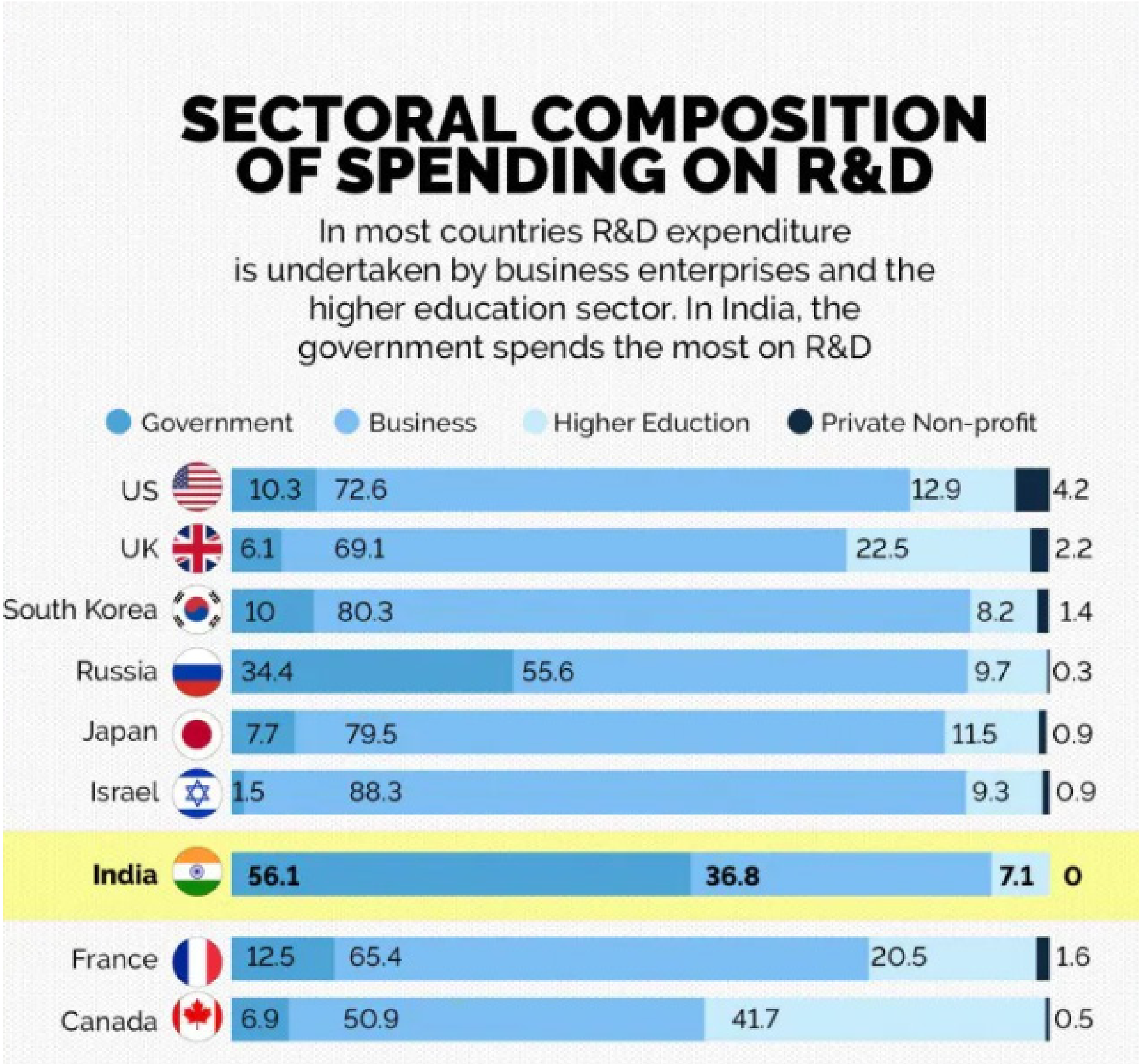

भारत में उद्योग-शिक्षा जगत सहयोग के लिये प्रमुख सरकारी योजनाएँ:

- अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने हेतु योजना (Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration- SPARC)
- इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT)
- उच्चतर आविष्कार योजना (UAY)
- अनुसंधान पार्क (Research Park)
- राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद(National Council for Cooperative Training- NCCT): सहकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी NCCT द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण, जागरूकता और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं पेशेवरों की निरंतर भागीदारी के माध्यम से सहकारी समितियों के लिये उद्योग-शिक्षा जगत संबंध सुनिश्चित किये जाते हैं।
- **भारत नवाचार विकास कार्यक्रम (India Innovation Growth Programme- IIGP):** इसका उद्देश्य भविष्य के लिये प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करने हेतु विचार निर्माण (ideation), नवाचार (innovation) एवं त्वरण

(acceleration) के चरणों के माध्यम से नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को सक्षम बनाकर भारतीय नवाचार पारितंत्र को उन्नत बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक और औद्योगिक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित एक उच्च प्रभावपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से भारत में एक नवाचार पाइपलाइन का निर्माण करना है।

- **UGC का मसौदा दिशानिर्देश:** भारतीय विश्वविद्यालयों के लिये सतत और जीवंत विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज प्रणाली (Sustainable and Vibrant University-Industry Linkage System for Indian Universities) पर हाल ही में UGC के मसौदा दिशानिर्देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालयों में एक उद्योग संबंध सेल (Industry Relation Cell- IRC) और कंपनियों में एक विश्वविद्यालय संबंध सेल (University Relation Cell- URC) के गठन का सुझाव दिया गया है।

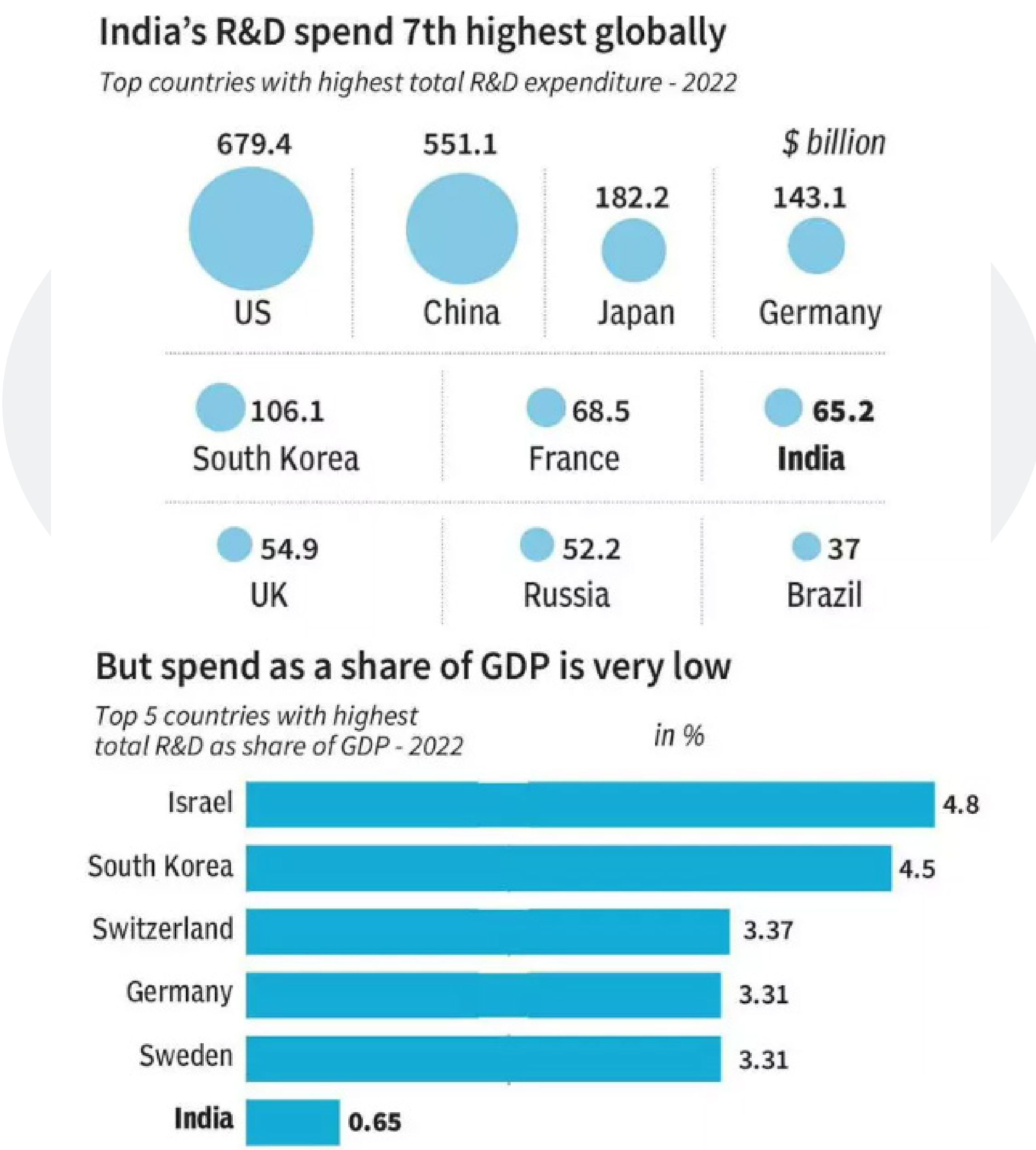

भारत में विश्वविद्यालय और उद्योग किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं?

- **अल्पकालिक सहयोग:**
  - न्यूनतम अनुसंधान सुविधा रखने वाले कॉलेज या विश्वविद्यालय उन स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के साथ अल्पकालिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो अपनी उत्पादन लाइन में ऐसी तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनके त्वरित समाधान की आवश्यकता है।
- **दीर्घकालिक अनुसंधान सहयोग:**
  - बेहतर अनुसंधान सुविधा और संकाय विशेषज्ञता रखने वाले कॉलेज या विश्वविद्यालय उद्योग के साथ ऐसे दीर्घकालिक अनुसंधान सहयोग के लिये साझेदारी कर सकते हैं जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर लक्षित हो (जैसा कि IMPRINT जैसी पहल के तहत लक्षित है)।
  - ऐसे दीर्घकालिक सहयोग का अतिरिक्त लाभ यह है कि छात्र अनुसंधान परियोजनाओं पर प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर सकते हैं। इससे वे समय-सीमा का प्रबंधन कर सकना, विफलताओं से निपटना और उद्योग में सहकर्मियों के साथ सहयोग करना सीख सकेंगे।

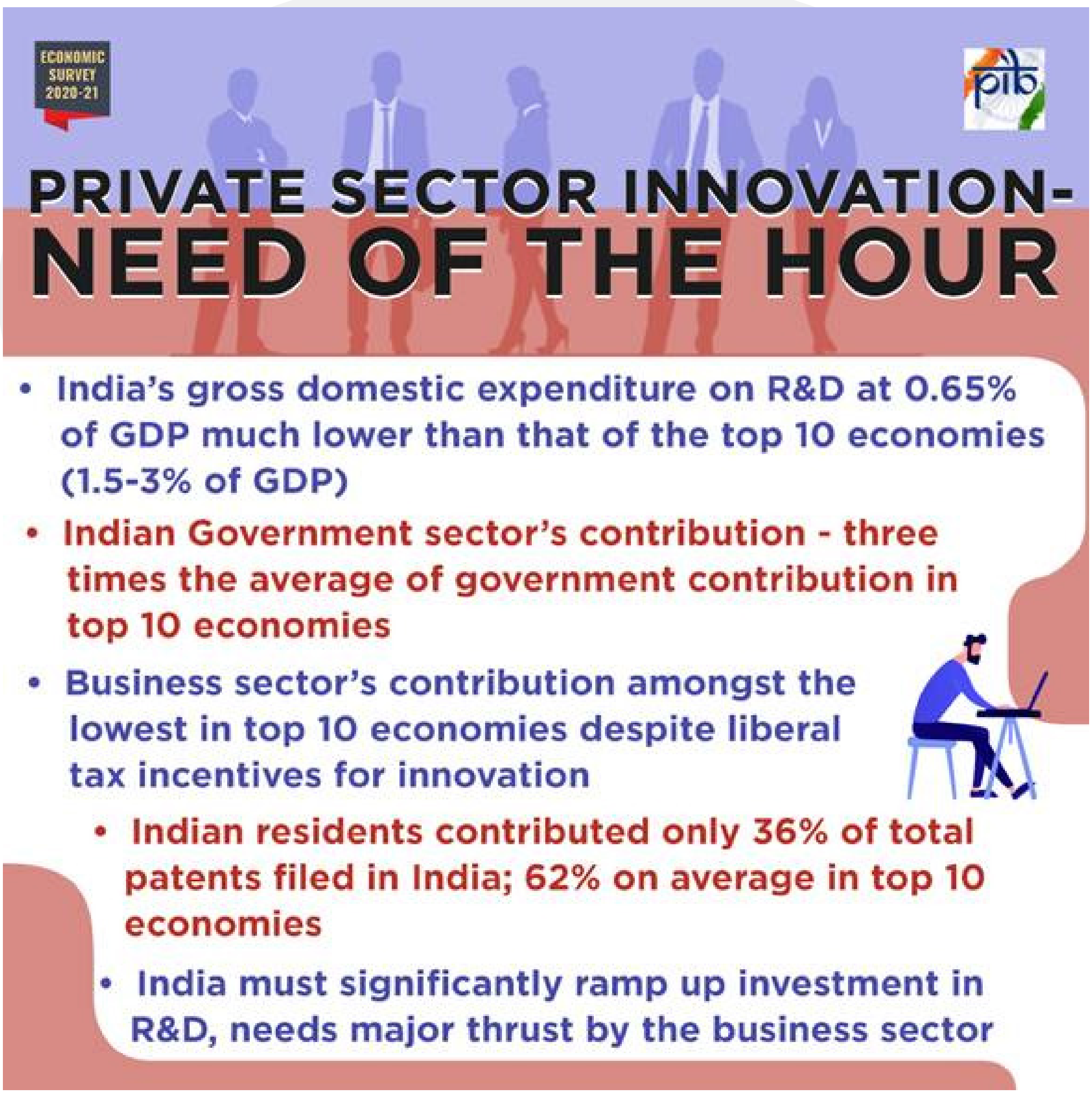

- **सहजीवी संबंध विकसित करना:**
    - उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्योगों को सहजीवी संबंध विकसित करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।
    - विशिष्ट डोमेन के उद्योगों को स्वयं को नए अनुसंधान विकास से अवगत रखने के लिये उसी डोमेन के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुसंधान समूहों के साथ सहयोग करना चाहिये।
- **खुले संवाद के माध्यम से विश्वास निर्माण:**
    - संभावित संघर्षों को संबोधित करने और शिक्षा जगत एवं उद्योग दोनों की प्राथमिकताओं को समायोजित करते हुए दृष्टिकोण में लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिये खुले संवाद में संलग्न रहें।
    - स्पष्ट संचार, बौद्धिक संपदा पर परस्पर समझौते और संवेदनशील सूचना की सुरक्षा के लिये गैर-प्रकटीकरण समझौतों के माध्यम से भरोसे का निर्माण करें।
- **एक सक्षमकारी वातावरण का सृजन करना:**
    - अनुसंधान के लिये एक रोडमैप के साथ-साथ IPR अधिकारों, उत्तरदायित्वों और सहयोग के परिणामों के दायरे को रेखांकित करने वाले स्पष्ट समझौते संपन्न किये जाने चाहिये।
    - हितधारकों द्वारा वादा किये गए प्रदेय (deliverables) की जाँच करने के लिये फंडिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के एक दल द्वारा अत्यंत आवश्यक वार्षिक समीक्षा भी की जानी चाहिये।
- **अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर व्यय की वृद्धि करना:**
    - उपयुक्त अनुसंधान अनुदान के लिये पर्याप्त सरकारी वित्तपोषण होना चाहिये।
    - इसके लिये अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय को वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद के 0.7% से बढ़ाकर शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में 'अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय' (Gross Domestic Expenditure on Research and Development- GERD) के औसत स्तर (2% से अधिक) तक ले जाने की आवश्यकता है।
- **निजी क्षेत्र नवाचार:**
    - निजी कंपनियों को भारत में उभरते उद्यमियों को वित्तपोषण, मेंटरशिप और संसाधन प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप पारितंत्र में सक्रिय रूप से सहयोग एवं निवेश करना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत के पास हितों के टकराव को हितों के अभिसरण में बदलकर आर्थिक क्षमताओं के केंद्रीय चालक के रूप में उद्योग-शिक्षा जगत संबंधों को ऊपर उठाने का अवसर है। गतिशील स्टार्टअप के साथ-साथ आत्मविश्वास से भरे अनुसंधानकर्ताओं और संकाय की उभरती पीढ़ी भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, जहाँ युवा शिक्षाविद देश के विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

प्रतिबंधों का अनावरण: भारत में यौन शिक्षा का परिदृश्य

भारतीय यौन शिक्षा में जाति और लिंग (जेंडर) युवा व्यक्तियों के अनुभवों को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करते हैं। मीडिया प्रायः युवा लोगों के बीच जातिगत अंतरों से उत्पन्न होने वाले संघर्षों और जातिगत सीमाओं को पार करने वाले रिश्तों से संबंधित कानूनी मुद्दों को उजागर करता रहता है। प्रासंगिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए, सामाजिक परिवर्तन और यौनिकता (sexuality) के बीच संबंध को समझना महत्त्वपूर्ण है। आलोचनात्मक सोच और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ युवाओं को सशक्त बनाने से इन चुनौतियों को संबोधित करने में मदद मिल सकती है और एक अधिक एकजुट एवं समावेशी समाज को बढ़ावा दिया जा सकता है।

यौन शिक्षा का क्या महत्त्व है?

- **सामाजिक न्याय (Social Justice):** यौन शिक्षा सामाजिक न्याय शिक्षा का अभिन्न अंग है। यह प्रजनन के जैविक पहलुओं तक सीमित नहीं है और इसमें लिंग पहचान (gender identities) का सम्मान करने तथा स्वस्थ पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के बारे में शिक्षण प्रदान करना भी शामिल है।
    - यौन शिक्षा सहमति (consent), व्यक्तिगत सीमाओं (personal boundaries) और यौन शोषण को रोकने के तरीकों के बारे में ज्ञान प्रदान कर एक अधिक समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देती है।
- **विधिक मान्यता और शिक्षा का अधिकार:** हाल के निर्णयों, जैसे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्णय में पुष्टि की गई है कि बच्चों को यौन शिक्षा और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार है।
    - जब शिक्षा को मूल अधिकार माना जाता है तो यौन शिक्षा स्वाभाविक रूप से इसका एक अनिवार्य घटक बन जाती है, जहाँ सुनिश्चित होता है कि युवा अपनी भलाई के लिये आवश्यक ज्ञान से संपन्न हैं।

- **व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव:** अध्ययन दर्शाते हैं कि यौन शिक्षा यौन संसर्ग की शुरुआत में संयम को बढ़ावा देने, इसकी आवृत्ति कम करने और जोखिम भरे यौन व्यवहार का शमन करने में योगदान करती है।
  - यौन शिक्षा व्यापक सूचना प्रदान कर व्यक्तियों को अपने यौन स्वास्थ्य के संबंध में सूचित विकल्प चुनने के लिये सशक्त बना सकती है।
- **लैंगिक संरचनाओं को समझना (Understanding Gender Constructs):** यौन शिक्षा छात्रों को LGBTQ+ स्पेक्ट्रम में शामिल लोगों के बारे में समझ विकसित करने में मदद करती है; इस प्रकार एक अधिक समावेशी एवं स्वीकरणकारी समाज के निर्माण में योगदान देती है। इस समझ से विभिन्न लिंगों के व्यक्तियों के बीच बेहतर संबंध एवं अंत:क्रिया की स्थिति बन सकती है।
- **लैंगिक संबंधों का रूपांतरण (Transformation of Gender Relationships):** स्कूलों में यौन शिक्षा को लागू करने से घर और समाज दोनों में लैंगिक संबंधों को रूपांतरित करने की क्षमता है। यह सम्मान, समझ और खुले संवाद को बढ़ावा देकर रूढ़िवादिता को तोड़ने और लैंगिक भूमिकाओं (gender roles) के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में योगदान कर सकती है।
- **स्वास्थ्य और कल्याण:** भारत में विश्व में HIV से पीड़ित लोगों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या मौजूद है। असुरक्षित यौन संबंध के खतरों और यौन संचारित संक्रमणों (STIs) एवं HIV/AIDS से बचने के तरीकों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लोग स्वयं का और अपने यौन साथियों का बचाव कर सकते हैं।
  - NFHS-5 रिपोर्ट में पाया गया कि 15-49 आयु वर्ग की महज 22% महिलाओं और 31% पुरुषों को HIV/AIDS के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त था।

भारत में जाति और लिंग यौन शिक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं?

- **जाति (Caste):** जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रणाली है जो लोगों को उनके जन्म और आनुष्ठानिक शुद्धता (ritual purity) के आधार पर पदानुक्रमित समूहों में विभाजित करती है।
  - जाति विभिन्न समूहों के लिये यौन शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता और सामग्री में बाधाएँ उत्पन्न कर यौन शिक्षा को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिये जो हाशिये पर हैं और प्रभुत्वशाली जातियों द्वारा उत्पीड़ित हैं।
    - उदाहरण के लिये, कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि निचली जाति के छात्रों को स्कूलों में भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लिये यौनिकता एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सीखने के अवसर सीमित हो सकते हैं।
  - जाति उन मानदंडों और मूल्यों को भी आकार प्रदान कर सकती है जो विभिन्न समूहों के यौन व्यवहार, दृष्टिकोण एवं विकल्पों को प्रभावित करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, कुछ जातियों में यौनिकता, लैंगिक भूमिका और विवाह के संबंध में अधिक रूढ़िवादी या पितृसत्तात्मक विचार मौजूद हो सकते हैं, जबकि अन्य में अधिक उदार या समतावादी विचार पाए जा सकते हैं।
- **लिंग (Gender):** यह समाज विशेष में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं, अपेक्षाओं एवं व्यवहार को परिभाषित करता है।
  - लिंग, लैंगिक असमानता और रूढ़िवादिता उत्पन्न कर यौन शिक्षा को प्रभावित कर सकता है जो विभिन्न लिंगों के लिये यौन शिक्षा की आवश्यकताओं, अनुभवों और परिणामों को प्रभावित करता है।
    - उदाहरण के लिये, कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि भारत में बालिकाओं को यौन शिक्षा तक पहुँच में बालकों की तुलना में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि निजता/गोपनीयता, सुरक्षा एवं गतिशीलता की कमी या इनके साथ ही सामाजिक कलंक, शर्म और भय।
  - लिंग यौन शिक्षा की सामग्री और वितरण को भी प्रभावित कर सकता है, जो पक्षपातपूर्ण या अपूर्ण हो सकता है और ट्रांसजेंडर एवं नॉन-बाइनरी लोगों जैसे लैंगिक पहचान एवं अभिव्यक्तियों की विविधता एवं जटिलता को संबोधित करने में विफल सिद्ध हो सकता है।

भारत में यौन शिक्षा को अन्य किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है?

- **राज्यों का प्रतिरोध:** कुछ राज्य सरकारों और वर्गों का मानना है कि यौन शिक्षा कथित सामाजिक मूल्यों (Societal values) का उल्लंघन है। वे यौन क्रिया और यौनिकता पर खुलकर चर्चा करने का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वे इसे अनैतिक और अनुचित मानते हैं। इससे यौन स्वास्थ्य के बारे में चुप्पी, गलत सूचना या आधे-अधूरे ज्ञान की स्थिति बन सकती है।
  - गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य ने संस्कृति के संरक्षण के नाम पर स्कूलों में यौन शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है या इसे लागू करने से इनकार कर दिया है।

- **रूढ़िवादी रवैया:** भारत में यौन शिक्षा को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे रूढ़िवादी रवैया, सीमित उपलब्धता और संलग्नता की कमी। बहुत से लोग यौन शिक्षा को संकीर्णता और अनैतिकता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखते हैं, जिससे व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना कठिन सिद्ध हो सकता है।
- **सीमित पाठ्यक्रम:** भारत में कई स्कूल पर्याप्त या गुणवत्तापूर्ण यौन शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, जबकि शिक्षकों के पास इसके प्रभावी प्रसार के लिये आवश्यक प्रशिक्षण एवं सामग्री की कमी पाई जाती है। कुछ स्कूल 'सेक्स' के केवल जैविक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य इस विषय की पूरी तरह से अनदेखी कर देते हैं या इसके बजाय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं।
- **भाषा बाधा:** सहमति जैसी अवधारणाओं पर चर्चा के लिये क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दावली का अभाव पाया जाता है। भारत में एक विविध भाषाई परिदृश्य पाया जाता है और यौन स्वास्थ्य से संबंधित कई शब्दों के लिये स्थानीय भाषाओं में समान आशय के शब्दों का अभाव हो सकता है। इससे यौन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में प्रभावी ढंग से और संवेदनशील तरीके से संवाद करना जटिल सिद्ध हो सकता है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** राजनीतिक दल और नेता प्रायः रूढ़िवादी समूहों को तुष्ट करने तथा उनकी विचारधारा के साथ संरेखित बने रहने के लिये यौन शिक्षा को बढ़ावा देने में अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिये, महिला जननांग कर्तन (female genital mutilation) जैसी प्रथाएँ अभी भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है।

आगे की राह:

- **सरकार की प्रतिबद्धता और कार्यान्वयन:** सरकार को स्कूली पाठ्यक्रम के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में यौन शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये। यौन शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त धन, नीति समर्थन और सतत पहल आवश्यक हैं।
  - सरकार को सभी राज्यों को साथ लाना चाहिये और उन्हें यौन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
- **स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकरण:** यौन शिक्षा को सामान्य स्कूल पाठ्यक्रम में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाना चाहिये, जहाँ लैंगिक संबंधों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा देने, रूढ़िवादिता को चुनौती देने और सम्मानजनक एवं स्वस्थ यौन व्यवहार को बढ़ावा देने में इसके महत्त्व पर बल दिया जाना चाहिये।
  - यह एकीकरण शैक्षिक विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है।
- **आरंभिक और आयु-उपयुक्त शिक्षा:** बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को चिह्नित करते हुए, कम आयु से ही बच्चों के लिये यौन शिक्षा की शुरुआत कर देनी चाहिये।
  - पूर्व-किशोर वर्ग सहित व्यापक वर्गों तक पहुँच के लिये किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य रणनीति (Adolescent Reproductive and Sexual Health Strategy- ARSH) तथा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Adolescent Health Programme- RKSK) जैसी पहलों का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **यौन संबंधों में कानूनी साक्षरता:** जब अदालतें किशोर आयु के लोगों के बीच 'सहमति' से यौन संबंधों के अपराधीकरण पर विमर्शरत हैं, शिक्षा क्षेत्र को ऐसे संबंधों के कानूनी पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करनी चाहिये।
  - इसमें छात्रों को यौन संबंधों के बारे में उनके अधिकारों, उत्तरदायित्वों और कानूनी ढाँचे के बारे में शिक्षित करना शामिल है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण:** यौन शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। कार्यशालाएँ, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों को कक्षा में यौन शिक्षा से संबंधित विविध मुद्दों को संबोधित करने के लिये आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं संवेदनशीलता से लैस कर सकते हैं।
- **मौजूदा संसाधनों का उपयोग:** विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निकायों ने यौन शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम, शिक्षण सहायता एवं सामग्री विकसित की है, जैसे कि व्यापक यौनिकता शिक्षा (Comprehensive Sexuality Education-CSE) के लिये IPPF फ्रेमवर्क। इन मौजूदा संसाधनों का लाभ उठाकर शैक्षिक सामग्रियों के विकास को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और स्कूलों में यौन शिक्षा के लिये एक मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **सामुदायिक संलग्नता और समर्थन:** एक सहायक वातावरण के सृजन के लिये सामुदायिक संलग्नता अत्यंत आवश्यक है। यौन शिक्षा के महत्त्व पर जारी विमर्श में माता-पिता, अभिभावकों और सामुदायिक नेताओं को शामिल करने से आधे-अधूरे ज्ञान या भ्रांतियों को दूर करने और अधिक खुले एवं स्वीकार्य माहौल को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

नोट :

- **नियमित अद्यतन और मूल्यांकन:** यौन शिक्षा का परिदृश्य गतिशील है और बदलते सामाजिक मानदंडों, वैज्ञानिक समझ एवं कानूनी परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिये पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिये।
  - यौन शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का निरंतर मूल्यांकन उनकी प्रासंगिकता और प्रभाव को सुनिश्चित कर सकेगा।

निष्कर्ष:

एक समग्र दृष्टिकोण जो सरकारी प्रतिबद्धता, शैक्षिक एकीकरण, कानूनी साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन उपयोग, सामुदायिक संलग्नता और निरंतर मूल्यांकन को संयुक्त करे, भारत में यौन शिक्षा में आगे बढ़ने के लिये आवश्यक है। इन पहलुओं को सामूहिक रूप से संबोधित कर भारत एक ऐसी पीढ़ी को बढ़ावा देने की दिशा में प्रगति कर सकता है जो सूचना-संपन्न, सम्मान की भावना रखने वाली और स्वस्थ यौन संबंधों को विकसित करने में सक्षम होगी।

अधिक सक्रिय भारतीय राज्य का खाका

भारतीय राज्य (Indian State) बहुत बड़े होने और फिर भी बहुत छोटे होने का विरोधाभास (paradox of too big and yet too small) रखता है। किसी शहरी क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने या घर बनाने के प्रयास में किसी व्यक्ति को तुरंत ही एहसास हो जाता है कि लाइसेंस, परमिट, मंज़ूरी और अनुमतियों की भारी संख्या कैसे जीवन को दुश्वार बना देती है। यहाँ तक कि एक सामान्य नागरिक के रूप में भी, कोई भी व्यक्ति कभी भी कानून और जटिल नियमों के सही पक्ष पर होने के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकता है।

अन्य राज्यों की तुलना में भारतीय राज्य की क्या स्थिति है ?

- भारत में 'वेबेरियन राज्य' (Weberian state) बहुत छोटा है । G-20 समूह में, भारत में प्रति व्यक्ति सिविल सेवकों की संख्या सबसे कम है।
- भारत में कुल रोज़गार में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी (5.77%) इंडोनेशिया और चीन के मुक़ाबले महज आधी और यूनाइटेड किंगडम की तुलना में लगभग एक तिहाई है।
- लगभग 1600 प्रति मिलियन के आँकड़े के साथ भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मियों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में 7500 प्रति मिलियन की तुलना में बहुत कम है।
- इसी प्रकार, विकास के समान चरण वाले देशों से तुलना करें तो भारत में चिकित्सकों, शिक्षकों, नगर नियोजकों, पुलिस, न्यायाधीशों, अग्निशमन कर्मियों, खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों और नियामकों की प्रति व्यक्ति संख्या सबसे कम है।

वेबेरियन राज्य:

- वेबेरियन राज्य जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर (Max Weber) द्वारा विकसित एक अवधारणा है। उनके अनुसार, एक आधुनिक राज्य प्रशासन एवं विधि की एक प्रणाली है जिसे राज्य और विधि द्वारा संशोधित किया जाता है तथा जो कार्यकारी कर्मचारियों के सामूहिक कार्यों का मार्गदर्शन करता है; इसी प्रकार कार्यपालिका को संविधि द्वारा विनियमित किया जाता है और यह संघ/एसोसिएशन के सदस्यों (जो आवश्यक रूप से जन्म के आधार पर एसोसिएशन से संबद्ध होते हैं) पर अधिकार का दावा करती है, लेकिन उस क्षेत्र में सक्रिय रूप से घटित उन सभी चीज़ों पर व्यापक दायरे के भीतर जिस पर वह प्रभुत्व रखती है।

भारतीय राज्य के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **अपर्याप्त राज्य क्षमता के कारण आउटसोर्सिंग सेवाएँ:** भारतीय राज्य कर-जीडीपी अनुपात और सार्वजनिक व्यय-जीडीपी अनुपात जैसे मापन पर अपेक्षाकृत छोटा है। चाहे वह सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान हों, कल्याणकारी भुगतान हों या न्याय प्रणाली हों—यह अधिशेष के बजाय कमी को प्रकट करता है।
  - अपर्याप्त राज्य क्षमता के कारण, केंद्र और राज्यों की सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बेहतर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिये बाध्य होती हैं।
- **विकृत प्रोत्साहन और कौशल अंतराल:** मुख्य समस्याओं में से एक है सार्वजनिक संस्थानों द्वारा सृजित विकृत प्रोत्साहन (Perverse Incentives) और अधिकारियों के बीच कौशल अंतराल (Skill Gap)। इन कारकों ने राजनीतिक कार्यपालिका और सिविल सेवाओं की ठोस नीति निर्माण और प्रवर्तन की क्षमता को नष्ट कर दिया है।
- **शक्तियों का अत्यधिक संकेंद्रण:** भारत में नीति निर्माण और कार्यान्वयन शक्तियों का अत्यधिक संकेंद्रण पाया जाता है।
  - इसके अलावा, कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिये अग्रिम पंक्ति के कर्मियों पर प्रतिबंध की स्थिति अविश्वास की संस्कृति और अकुशल कार्यान्वयन के लिये जवाबदेही की कमी को बढ़ावा देती है।
- **टेक्नोक्रेटिक अंतराल:** शीर्ष नीतिनिर्माता तेज़ी से जटिल होती जा रही अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिये टेक्नोक्रेटिक कौशल की कमी दर्शाते हैं। आर्थिक, वित्तीय, अनुबंध और अन्य तकनीकी मामलों से निपटने के लिये पर्याप्त क्षमता के अभाव में केंद्र और राज्य परामर्श फर्मों की नियुक्ति के लिये बाध्य होते हैं।

- मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में पाँच बड़ी कंसल्टेंसी फर्मों—प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PricewaterhouseCoopers), डेलॉइट (Deloitte), अर्न्स्ट एंड यंग (Ernst & Young), केपीएमजी (KPMG) और मैकिन्से (McKinsey) को महत्त्वपूर्ण कार्यों की आउटसोर्सिंग के लिये 500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया।

- **बाज़ार निगरानीकर्ताओं के पास कर्मियों की कमी:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जैसे बाज़ार निगरानीकर्ताओं के पास पेशेवर कर्मचारियों की कमी है।
  - SEBI के पास लगभग 800 पेशेवर कर्मी हैं, जबकि अमेरिका में इसके समकक्ष अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (U.S. Securities and Exchange Commission) के पास कॉर्पोरेट्स के शासन के लिये 4,500 से अधिक विशेषज्ञ हैं।
  - इसी तरह, RBI के पास पेशेवर कर्मचारियों की संख्या 7000 से भी कम है जो यूएस फेडरल रिज़र्व की तुलना में बहुत कम है जिसे 22000 पेशेवरों की सहायता प्राप्त है।
- **कमज़ोर निरीक्षण और ऑडिट अभ्यास:** एक अन्य समस्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट के दायरे का सीमित होना है। यह सरकार में वित्त और प्रशासनिक प्रभागों को नीतिगत उद्देश्यों के बजाय नियमों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये अधिक प्रोत्साहित करता है।
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी अन्य निगरानी एजेंसियों और न्यायालयों द्वारा संदर्भ को समझे बिना पूर्व-सूचना का उपयोग करने की प्रवृत्ति ने नौकरशाहों को नीतिगत मामलों में विवेक का प्रयोग करने से विमुख कर दिया है।
  - अधिकारी प्राय: बड़े अनुबंधों को रद्द कर देना पसंद करते हैं, भले ही विस्तार की अनुमति देना बेहतर हो।
    - इसके कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में देरी और अनावश्यक संविदात्मक विवाद की स्थिति बनती है।
- **सेवानिवृत्त अधिकारियों की समस्याजनक नियुक्ति:** नियामक निकायों और न्यायाधिकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति भी समस्याजनक है। ऐसी नियुक्तियों के लाभार्थियों को पिछली सेवाओं से मिलने वाले पेंशन लाभों से समझौता किये बिना मोटा वेतन प्राप्त होता है।
  - यह सिविल सेवकों को राजनीतिक हेरफेर के प्रति भेद्य बनाता है और उनके सेवाकालीन निर्णयों को प्रभावित करता है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र की कम प्रभावकारिता:** सार्वजनिक क्षेत्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी इसकी प्रभावकारिता को कम करती है। प्रदर्शन से संबद्ध वेतन और प्रोत्साहन योजनाएँ (जैसे बोनस), जो निजी क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक प्रभावकारी नहीं हैं।
  - भारत में विशेष रूप से छठे वेतन और सातवें वेतन आयोग द्वारा पर्याप्त वेतन वृद्धि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन बहुत अधिक है (नौकरी की प्रकृति के अनुपात से विसंगत)।
  - शीर्ष स्तर को छोड़कर, अधिकांश कौशल स्पेक्ट्रम के लिये सार्वजनिक क्षेत्र का वेतन निजी क्षेत्र के वेतन से बहुत अधिक है। यह नियुक्तियों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है क्योंकि यह सरकारी नौकरियों को सभी के लिये अत्यधिक आकर्षक बनाता है, चाहे वह सामाजिक रूप से प्रेरित हो या नहीं।

आगे की राह:

- **पृथक नीति निर्माण और कार्यान्वयन:** ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के अनुभव बताते हैं कि नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारियों को पृथक करने से निष्पादन में तेज़ी आती है और नवाचारों को बढ़ावा मिलता है, जिससे कार्यक्रम स्थानीय संदर्भों के लिये बेहतर अनुकूल हो जाते हैं।
  - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को निष्पादित करने का कार्य सौंपा गया है जबकि नीतिगत निर्णय मंत्रालय स्तर पर किये जाते हैं। इस व्यवस्था से देरी और लागत वृद्धि में भारी कमी आई है।
- **वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना:** उस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है जिसमें कमज़ोर प्रत्यायोजन और अपर्याप्त राज्य क्षमता एक-दूसरे को पोषित करते हैं। इसके लिये वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों (उनके उपयोग के लिये स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रियाओं के साथ) को अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों या निचले स्तर के नौकरशाहों को सौंपना उपयुक्त होगा।
- **पार्श्व प्रवेश संस्कृति का सामान्यीकरण:** मध्य और वरिष्ठ स्तर पर एक संस्थागत एवं नियमित पार्श्व प्रविष्टि (Lateral Entry) सिविल सेवाओं के आकार और टेक्नोक्रेटिक अंतराल को दूर करने में मदद कर सकती है।
  - गैर-आईएएस सेवाओं (जैसे भारतीय राजस्व, आर्थिक और सांख्यिकीय सेवाओं) के योग्य अधिकारियों को उच्च-स्तरीय पदों पर उचित अवसर मिलना चाहिये, यदि उनके पास आवश्यक प्रतिभा एवं विशेषज्ञता है।

नोट :

- इसके साथ ही, विभिन्न स्तरों के सिविल सेवकों को मिशन कर्मयोगी (सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम) के तहत विषय-विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

- **नियामक एजेंसियों को संवेदनशील बनाना:** पंचाट और अदालती निर्णयों के विरुद्ध अपील करना अधिकारियों का डिफ़ॉल्ट मोड ही बन गया है, जिससे सरकार सबसे बड़ी याचिकाकर्ता बन गई है।
  - इस परिदृश्य से निपटने के लिये निरीक्षण एजेंसियों को नीतिगत निर्णयों के संदर्भ की सराहना करने के लिये संवेदनशील बनाया जाना चाहिये। उन्हें वास्तविक निर्णयों के साथ-साथ उनके विकल्पों से जुड़ी लागतों को भी ध्यान में रखना चाहिये।
- **सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना:** नियामक निकायों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति प्राय: सिविल सेवकों को राजनीतिक हेरफेर के प्रति भेद्य/संवेदनशील बनाती है।
  - सभी सरकारी नौकरियों के लिये सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने और सभी नियुक्तियों के लिये एक पूर्ण ऊपरी सीमा का निर्माण करने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन में सुधार लाना:** सार्वजनिक क्षेत्र को आंतरिक रूप से प्रेरित व्यक्तियों को आकर्षित करना चाहिये ताकि वे सामाजिक भलाई में योगदान कर सकें।
  - रोज़गार सुरक्षा और बेहतर कार्यशील परिस्थितियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में जोखिम और कौशल-समायोजित वेतन निजी क्षेत्र की तुलना में कम होना चाहिये।
  - इसका एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि भविष्य के वेतन आयोग द्वारा मध्यम वेतन वृद्धि लागू की जाए और सरकारी नौकरियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में कमी लाई जाए।
- **निजी क्षेत्र में रोज़गार सृजन:** उच्च आर्थिक विकास, जो निजी क्षेत्र में आकर्षक रोज़गार अवसर उत्पन्न करता है, सरकारी नौकरियों को उन लोगों के लिये कम आकर्षक बना देगा जो प्राप्त वेतन पर अधिक विचार करते हैं। यह भ्रष्टाचार को कम कर सकता है और सामाजिक रूप से प्रेरित व्यक्तियों के सरकार में शामिल होने की संभावना को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत के शासन संबंधी विरोधाभास (governance paradox) के लिये व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, जैसे नीति निर्माण को कार्यान्वयन से अलग करना, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को सशक्त बनाना और सेवानिवृत्ति की आयु को समायोजित करना। इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और सामाजिक भलाई के लिये प्रतिबद्ध लोगों को आकर्षित करना है। भारत अपनी राज्य मशीनरी को पुनर्जीवित कर प्रभावी शासन के वैश्विक मॉडल के रूप में उभर सकता है।

दिव्यांगों का सशक्तीकरण

दिव्यांगता (Disability) एक पहचान और इकाई के रूप में विभिन्न भेद्यताओं—सामाजिक, आर्थिक एवं लैंगिक—के प्रतिच्छेद बिंदु पर अस्तित्व रखती है, जहाँ समता के लिये कार्रवाई की संकल्पना करते समय प्रत्येक पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी।

वैश्विक स्तर पर 1.3 बिलियन लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं। उनमें से 80% विकासशील देशों में निवास करते हैं, जबकि उनमें से 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

वर्तमान प्रणालियाँ दिव्यांगता से रहित व्यक्तियों के लिये डिज़ाइन की गई हैं और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अपवर्जनकारी (exclusionary) सिद्ध होती हैं। इसके परिणामस्वरूप उन्हें गरीबी, शिक्षा एवं अवसरों तक पहुँच की कमी, अनौपचारिकता और सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव के अन्य रूपों का सामना करना पड़ता है।

भारत में दिव्यांगता की परिभाषा:

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के अनुसार, दिव्यांगजन वह व्यक्ति है जो ऐसी दीर्घकालिक अपंगता या अक्षमता (impairment) रखता है जो उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी क्षमताओं को प्रभावित करती है।
  - यह अक्षमता उन्हें समाज में पूर्ण और प्रभावी ढंग से भागीदारी कर सकने से अवरुद्ध करती है।
- **दिव्यांगता की चार मुख्य श्रेणियाँ हैं:**
  - व्यवहारिक या भावनात्मक (Behavioural or emotional)
  - संवेदी अक्षमता विकार (Sensory impaired disorders)
  - भौतिक/शारीरिक (Physical)
  - विकास संबंधी (Developmental)

भारत में दिव्यांगता की वर्तमान स्थिति:

- विश्व बैंक के अनुसार भारत की 5-8% आबादी दिव्यांगता की

शिकार है। NSSO का अनुमान है कि 2.2% आबादी दिव्यांग है। NFHS-5 सर्वेक्षण (2019-21) में पाया गया कि 4.52% आबादी दिव्यांग है।

भारत में दिव्यांगजनों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- **सीमित जागरूकता:** पहली बाधा दिव्यांगजनों के लिये उपलब्ध सरकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जागरूकता की कमी है।
  - यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है जहाँ सूचना प्रसार चुनौतीपूर्ण है।
- **अभिगम्यता और अवसंरचना की कमी:** कई सार्वजनिक स्थान—जैसे स्कूल, अस्पताल, परिवहन प्रणाली और सरकारी कार्यालय दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप डिज़ाइन नहीं किये गए हैं।
  - यह उनकी गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक एवं नागरिक गतिविधियों में भागीदारी को सीमित करता है।
  - यूनिसेफ (UNICEF) के अनुसार, दिव्यांग बच्चों को प्रायः ऐसे स्थानों से अपवर्जन का शिकार होना पड़ता है, जिससे वे उन महत्त्वपूर्ण पहलों से चूक जाते हैं जिनका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है।
- **शिक्षा और रोज़गार तक सीमित पहुँच:** ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रायः शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुँच के संकट का सामना करना पड़ता है।
  - समावेशी शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की कमी आवश्यक कौशल हासिल करने और कार्यबल में भाग ले सकने की उनकी क्षमता में बाधक बन सकती है।
- **विकासात्मक योजनाओं से अपवर्जन:** कुछ विकासात्मक योजनाएँ अनजाने में ही दिव्यांगजनों को अपवर्जित कर सकती हैं, जिससे वे महत्त्वपूर्ण पहलों के दायरे से बाहर हो सकते हैं।
  - इसका एक उदाहरण टीकाकरण अभियान हैं जो दिव्यांगजनों की पहुँच और संचार आवश्यकताओं (जैसे रैंप, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिए या ब्रेल सामग्री) को ध्यान में नहीं रखते हैं।
- **धारणा और कलंक:** दिव्यांगजनों को कभी-कभी समाज में सार्थक योगदान देने में सक्षम स्वायत्त व्यक्ति के बजाय दान या दया के पात्र के रूप में देखा जाता है।
  - यह धारणा सामाजिक कलंक, भेदभाव और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से अपवर्जन का कारण बन सकती है, जिससे उनकी चुनौतियाँ और बढ़ सकती हैं।
- **कृषि पर निर्भरता और जलवायु परिवर्तन के जोखिम:** भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः कृषि पर अत्यधिक निर्भरता की स्थिति पाई जाती है और इन क्षेत्रों में दिव्यांगजन विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं।
  - स्वच्छ जल एवं आहार तक पहुँच में कमी, तूफान, लू और बाढ़ ने उनकी आजीविका, स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण के लिये जोखिम को बढ़ा दिया है।
- **कानूनी और नीतिगत समर्थन का अभाव:** भारत ने वर्ष 2007 में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities- CRPD) की पुष्टि की और वर्ष 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWD) को अधिनियमित किया, जो दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
  - हालाँकि इन कानूनों एवं नीतियों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन में विभिन्न कमियाँ एवं चुनौतियाँ मौजूद हैं और दिव्यांगजनों की एक बड़ी संख्या अभी भी अपने अधिकारों एवं प्राप्त उपचारों से अपरिचित है।

दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिये कौन-सी पहलें की गई हैं?

- **'स्पार्क' परियोजना:** ILO और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) महाराष्ट्र में महिला विकास निगम के सहयोग से स्पार्किंग डिसेबिलिटी इन्क्लूसिव रूरल ट्रांसफोर्मेशन (Spark-ing Disability Inclusive Rural Transformation- SPARK) परियोजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।
  - इस परियोजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को अग्रणी भूमिका सौंपी गई है, जहाँ उन्हें ग्रामों से चिह्नित किया जा रहा है और दिव्यांगता समावेशन सुविधाकर्ता (Disability Inclusion Facilitators- DIFs) के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
    - DIFs दिव्यांगता समावेशन और समावेशन में मौजूद बाधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये समुदाय, दिव्यांगजनों, दिव्यांगजनों के देखभालकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध महिलाओं और अन्य हितधारकों से संलग्नता बढ़ाते हैं।
    - DIFs दिव्यांग महिलाओं की पहचान करते हैं और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये मौजूदा स्वयं सहायता समूहों के मुख्यधारा में लेकर आते हैं जहाँ ये महिलाएँ उद्यम शुरू करने के लिये धन तक पहुँच बनाने में सक्षम होती हैं।

नोट :

- स्पार्क परियोजना सामाजिक स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर तक दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव को प्रेरित करने में सक्षम सिद्ध हुई है।
- विशिष्ट नि:शक्तता पहचान पोर्टल (Unique Disability Identification Portal)
- सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme)
- दिव्यांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता की योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances)
- दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप (National Fellowship for Students with Disabilities)
- दिव्यांगजनों के अद्वितीय पहचान पत्र (Unique ID for persons with disabilities- UDID)

दिव्यांगजनों की स्थिति में सुधार के लिये कौन-से उपाय किये जाने चाहिये?

- **रोज़गार के अवसर बढ़ाना:** दिव्यांगजनों के लिये रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करने और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - सरकार और निजी क्षेत्र को RPWD अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करना चाहिये, जो सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिये 4% आरक्षण और दिव्यांगजनों को रोज़गार देने वाले नियोक्ताओं के लिये प्रोत्साहन का निर्देश देता है।
  - विभिन्न CSR पहलें भी दिव्यांगजनों के लिये समावेशी और सुलभ कार्यस्थलों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
- **अभिगम्यता और अवसंरचना में सुधार:** स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन प्रणालियों और सरकारी कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगजनों के लिये अधिक अभिगम्य और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
  - सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांतों को अपनाकर और रैंप, लिफ्ट, संकेत चिह्न/साइनेज (signages), टैक्टाइल पैथ, सहायक उपकरण एवं दिव्यांगजनों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली अन्य सुविधाएँ प्रदान कर ऐसा किया जा सकता है।
  - सरकार को सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) के कार्यान्वयन एवं निगरानी को भी सुनिश्चित करना चाहिये, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिये सार्वजनिक भवनों एवं परिवहन प्रणालियों को अभिगम्य बनाना है।
- **जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाना:** दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संवेदनशील बनाने तथा दिव्यांगों से जुड़ी भ्रांतियों एवं गलत धारणाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
  - दिव्यांगजनों की प्रतिभा एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित कर सकने वाले विभिन्न अभियान, कार्यशाला, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से और उन्हें निर्णयकारी एवं नेतृत्वकारी भूमिकाओं में संलग्न करने के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।
  - मीडिया और शिक्षा प्रणाली भी दिव्यांगजनों की सकारात्मक एवं सम्मानजनक छवि के निर्माण और समावेशन एवं विविधता की संस्कृति को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकती है।
- **कानूनी और नीतिगत समर्थन को सुदृढ़ करना:** दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिये कानूनी और नीतिगत ढाँचे को सुदृढ़ करने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  - सरकार को दिव्यांगजनों हेतु क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त संसाधन एवं धन आवंटित करना चाहिये तथा उनके परिणामों एवं प्रभाव की निगरानी करनी चाहिये।
  - सरकार को दिव्यांगजनों को प्रभावित करने वाले कानूनों एवं नीतियों के निर्माण एवं समीक्षा में दिव्यांगजनों और उनके संगठनों की भागीदारी एवं परामर्श को भी सुनिश्चित करना चाहिये।
  - सरकार को दिव्यांगजनों के मुद्दों और शिकायतों से निपटने के लिये न्यायपालिका, पुलिस एवं प्रशासन की जागरूकता एवं क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिये।
- **ज़मीनी स्तर पर क्षमता निर्माण:** सरकारी नीतियों और उनके लक्षित लाभार्थियों के बीच के अंतराल को दूर करने के लिये ज़मीनी स्तर पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
  - समुदाय के नेता दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं लाभों का पक्षसमर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये उनका प्रशिक्षण आवश्यक है।

नोट :

कृषि खाद्य प्रणालियों की प्रच्छन्न लागत

खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के लिये ज़िम्मेदार कृषि क्षेत्र एक बिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार और आजीविका प्रदान करता है।

हम वर्तमान में एक निर्णायक मोड़ पर हैं जहाँ बढ़ती वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों में अपर्याप्त खाद्य उपलब्धता, खाद्य तक सीमित पहुँच और वहनीयता (affordability) संबंधी चिंताएँ शामिल हैं। इसके साथ ही, खाद्य उत्पादन और खेती के नकारात्मक प्रभावों के कारण पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रच्छन्न लागतें (hidden costs) उत्पन्न होती हैं।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने अपनी 'द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, 2023 में कृषि-खाद्य प्रणालियों (agrifood systems) की इन 'प्रच्छन्न लागतों' को उजागर किया है और उनके प्रभाव के बारे में विचार किया है।

खाद्य और कृषि की प्रच्छन्न लागत:

- कृषि-खाद्य प्रणालियों की प्रच्छन्न लागतों में ग्रीनहाउस गैस (GHG) एवं नाइट्रोजन उत्सर्जन जल उपयोग, भूमि-उपयोग परिवर्तन से उत्पन्न पर्यावरणीय लागत, अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न के कारण उत्पादकता में होने वाले हानियों से संबंधित स्वास्थ्य लागत और गरीबी एवं अल्पपोषण से जुड़ी उत्पादकता हानियों से उत्पन्न सामाजिक लागत शामिल हैं।
- 'द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, 2023 154 देशों में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि-खाद्य प्रणालियों की प्रच्छन्न लागत का आकलन करने का FAO का पहला प्रयास है।

वैश्विक संदर्भ में रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- वर्ष 2020 में क्रय शक्ति समता (PPP) पर कृषि-खाद्य प्रणालियों की वैश्विक परिमाणित प्रच्छन्न लागत लगभग 12.7 ट्रिलियन डॉलर थी, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (PPP के संदर्भ में) के लगभग 10% के बराबर है।
- वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2020 में मात्राबद्ध प्रच्छन्न लागतों (quantified hidden costs) का 73% आहार पैटर्न से जुड़ा था जिसके कारण मोटापा और गैर-संचारी रोग (NCDs) उत्पन्न हुए, जिससे फिर श्रम उत्पादकता की हानि हुई।
- कृषि से संबद्ध मात्रात्मक पर्यावरणीय प्रच्छन्न लागत, जो मात्रात्मक प्रच्छन्न लागतों के 20% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है, कृषि मूल्यवर्द्धित के लगभग एक-तिहाई भाग के बराबर है।
- सामाजिक पक्ष के मामले में यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि-खाद्य प्रणालियों में कार्यरत मध्यम गरीबों की आय को निम्न-आय देशों में 57% और निम्न-मध्यम-आय देशों में 27% तक बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मध्यम गरीबी रेखा (moderate poverty line) से ऊपर हैं।
- रिपोर्ट में कृषि-खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिये निर्णय-निर्माण में इन लागतों को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया गया है।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

- भारत की कृषि-खाद्य प्रणालियों की कुल प्रच्छन्न लागत लगभग 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व में तीसरी सबसे बड़ी लागत है।
- FAO की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि-खाद्य प्रणालियों से संबद्ध कुल 12.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मात्राबद्ध प्रच्छन्न लागत में भारत की हिस्सेदारी 8.8% थी, जबकि चीन ने इसमें 20% और अमेरिका ने 12.3% का योगदान किया।
- भारत में प्रच्छन्न लागतों में बीमारी के बोझ (आहार पैटर्न से उत्पादकता हानि) की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी (60%), जबकि इसके बाद कृषि-खाद्य श्रमिकों के बीच गरीबी की सामाजिक लागत (14%) और फिर नाइट्रोजन उत्सर्जन की पर्यावरणीय लागत (13%) की हिस्सदारी थी।
- रिपोर्ट में सभी को स्वस्थ एवं पर्यावरणीय रूप से संवहनीय आहार प्रदान करने के लिये कृषि-खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिये समर्थन को पुनरुद्देशित करने के महत्त्व पर बल दिया गया है।

गहन कृषि पद्धतियाँ भारत में प्रच्छन्न लागतों को कैसे प्रभावित कर रही हैं?

- **समाज पर प्रभाव:**
  - स्वदेशी प्रणाली का पतन: बहुराष्ट्रीय निगमों से खरीदे गए बीजों के प्रवेश और उर्वरकों के उपयोग ने बीज संप्रभुता (seed sovereignty) को नष्ट कर दिया है, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को बाधित किया है और दालों एवं मोटे अनाजों जैसी विभिन्न प्रकार की फसलों से एकल-फसल रोपण की ओर संक्रमण को प्रेरित किया है।
    - दूसरी ओर, भारत में पारंपरिक खेती का दृष्टिकोण फसलों की एक विस्तृत शृंखला पर केंद्रित रहा है जो स्थिरता प्रदान करता है और प्रकृति के साथ अधिक तालमेल रखता है। भारत के गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में 'बारहनाजा' (बारह अनाज) एक फसल विविधीकरण प्रणाली है जो एक वर्ष में 12 फसलों की खेती पर केंद्रित है।

- ऋणग्रस्तता में वृद्धि : कृषि आदानों/इनपुट के निजीकरण और विनियमन से कृषक परिवारों में ऋणग्रस्तता भी बढ़ गई है। वर्ष 2013 में भारत में किसान परिवार का ऋण-परिसंपत्ति अनुपात (debt-to-asset ratio) वर्ष 1992 की तुलना में 630% अधिक पाया गया।
- निम्न कृषि आय: भारत में कृषि तेज़ी से अव्यवहार्य होती गई है जहाँ एक किसान परिवार की औसत मासिक घरेलू आय महज 10,816 रुपए है।

- **पारिस्थितिकी पर प्रभाव:**
  - मृदा उर्वरता में गिरावट: उचित फसल चक्र (crop rotation) का पालन किये बिना 'मोनोकल्चर' और गहन खेती (intensive farming) जैसे अभ्यास मृदा से विशिष्ट पोषक तत्वों को समाप्त कर सकते हैं।
  - भूजल का अत्यधिक दोहन: भारत में कृषि सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर करती है ताकि फसलों के लिये नियमित एवं पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है जिसके प्रतिकूल पारिस्थितिक परिणाम उत्पन्न हुए हैं।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - चावल और गन्ने की खेती का विस्तार जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है; यह भूजल संसाधनों पर दबाव को बढ़ाता है और वायु एवं जल प्रदूषण में योगदान देता है।
- **भारत में कृषि-खाद्य प्रणालियों की प्रच्छन्न लागत को कम करने के लिये आगे की राह:**
- **फसल विविधीकरण:** मृदा की उर्वरता को बढ़ाने, कीटों एवं बीमारियों के जोखिम को कम करने और कृषि में समग्र प्रत्यास्थता में सुधार लाने के लिये फसल विविधीकरण (crop diversification) एवं चक्रण (crop rotation) को बढ़ावा देना।

Type of diversification	Nature of diversification	Potential benefit
Improved structural diversity	Makes crops within the field more structurally diverse	Pest suppression
Genetic diversification in monoculture	Cultivation of mixture of varieties of same species in a monoculture	Disease suppression, Increased production stability
Diversify field with fodder grasses	Growing fodder grasses alongside of food/pulse/oilseed/ vegetable etc.	Pest suppression, opportunity to livestock farming
Crop rotations	Temporal diversity through crop rotations (Sequential cropping)	Disease suppression, Increased production stability
Polyculture	Spatial and temporal diversity of crops (Growing two or more crop species within the field)	Insect, pest disease suppression, climate change buffering and increased production
Agroforestry	Growing crops and trees together (Spatial and temporal diversity)	Pest suppression and climate change buffering
Mixed landscapes	Development of larger-scale diversified landscapes through mixture of crops and cropping system with multiple ecosystems	Pest suppression and climate change buffering
Micro-watershed based diversification	Integration of crop with other farming components for year round income and employment generation, besides sustaining soil and environmental health	Insect, pest and disease suppression, climate change buffering and increased production, employment and income

- **जलवायु-प्रत्यास्थी फसल किस्मों की खेती करना:** ऐतिहासिक रूप से स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के प्रति प्रत्यास्थता प्रदर्शित करने वाली फसल किस्मों की पहचान करने और उनका उपयोग करने के लिये पारंपरिक कृषि ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के साथ संयुक्त किया जाना चाहिये।
    - उदाहरण के लिये, उप-सहारा अफ्रीका में सूखा-सहिष्णु मक्के की किस्मों को विकसित और प्रसारित किया गया है, जिससे लाखों छोटे किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है।
- **लक्षित सिंचाई (Precision Irrigation):** इसका उद्देश्य जल उपयोग दक्षता को अधिकतम करना है, जहाँ सुनिश्चित हो कि जल की प्रत्येक बूँद पौधों के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान करे।
    - जल उपयोग दक्षता को अधिकतम करने और पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिये ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग किया जाता है।
- **परिवर्तनीय दर उर्वरकीकरण (Variable Rate Fertilization):** यह एक कृषि पद्धति है जिसमें मृदा के पोषक तत्वों के स्तर, फसल की आवश्यकताओं और अन्य प्रासंगिक कारकों में भिन्नता के आधार पर खेत में उर्वरकों के अनुप्रयोग को समायोजित करना शामिल है।
    - प्रत्येक फसल और क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उर्वरक अनुप्रयोग के लिये मृदा परीक्षण, रिमोट सेंसिंग और परिशुद्ध कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर परिवर्तनीय दर उर्वरकीकरण की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।
- **सरकारी नीति परिवर्तन:**
    - सरकारी नीति परिवर्तन कराधान, सब्सिडी और विधान निर्माण के माध्यम से प्रच्छन्न कृषि-खाद्य लागत को कम कर सकते हैं।
    - जोखिमों और ज़िम्मेदारियों को साझा कर, सार्वजनिक और निजी दोनों ही संस्थाएँ कृषि क्षेत्र में चुनौतियों का प्रबंधन करने और उनका शमन करने के लिये मिलकर कार्य कर सकती हैं।
- **कृषि-खाद्य व्यवसाय में न्याय की स्थिति का निर्माण :**
    - अंतर-पीढ़ीगत न्याय (Intergenerational Justice): कृषि-खाद्य व्यवसाय के नकारात्मक ऐतिहासिक प्रभावों की ज़िम्मेदारी लें और उनका समाधान करें।
    - अंतरा-पीढ़ीगत न्याय (Intragenerational Justice): यह किसानों के लिये उचित मुआवजे की रणनीतियों के साथ मौजूदा पीढ़ी के भीतर संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
    - अंतर्जातीय न्याय (Interspecies Justice): मानव असाधारणता (human exceptionalism) को अस्वीकार करें तथा जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र के मूल्य का उचित हिसाब रखें, उसकी रक्षा करें और उसका पुनरुद्धार करें।
- **FAO का वास्तविक लागत लेखांकन दृष्टिकोण:**
    - FAO का वास्तविक लागत लेखांकन दृष्टिकोण (True Cost Accounting Approach)—जो उद्योग की पर्यावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक लागत और लाभों को महत्त्व देता है—का उपयोग कृषि-खाद्य कंपनियों की प्रच्छन्न लागत से निपटने के लिये किया जा सकता है।
    - इसमें व्यवसायों के उत्पादन, प्रसंस्करण और अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के तरीके को विनियमित करना शामिल होगा।

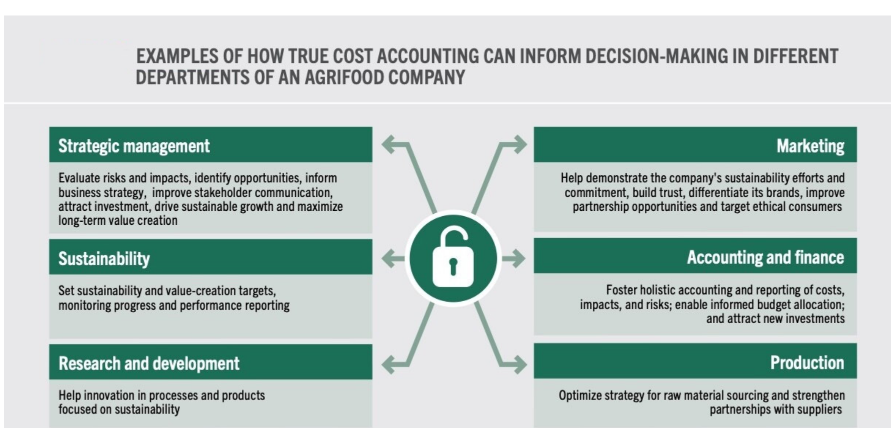

नोट :

निष्कर्ष:

चूँकि हम एक पर्यावरणीय संकट के मुहाने पर खड़े हैं, यह स्पष्ट है कि हमारा वर्तमान प्रक्षेप पथ पृथ्वी की व्यवस्था को सुरक्षित एवं उपयुक्त सीमाओं से परे धकेल रहा है। हमारे पास न केवल आगे की क्षति को रोक सकने की क्षमता है बल्कि एक न्यायसंगत एवं रूपांतरकारी बदलाव को प्रेरित करने की भी क्षमता है जो अपने ग्रह के साथ हमारे संबंधों को पुन: व्यवस्थित कर सकता है। इसके लिये पहला महत्त्वपूर्ण कदम यह होगा कि हमारी खाद्य प्रणाली के गहन एवं न्यायसंगत रूपांतरण की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया जाए।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम का आकलन

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम [Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA] भारत का सबसे सख्त आतंक-विरोधी कानून है जिसमें कथित रूप से कुछ कठोर प्रावधान शामिल हैं। इसके स्वरूप और क्रियान्वयन में बहुत-सी छूटें दी गई है क्योंकि देश बार-बार आतंकवादी कृत्यों से आहत होता रहा है। फिर भी, विभिन्न कानूनों के तहत आरोप पत्र (charge sheets) दाखिल करने में लगने वाले समय पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 'भारत में अपराध' (Crime in India 2022) रिपोर्ट के आँकड़ों को देखें तो एक चिंताजनक स्थिति नज़र आती है। UAPA के तहत दर्ज लगभग 50% मामलों में आरोप पत्र प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के कम से कम एक वर्ष बाद दायर किये गए। इनमें से 15% आरोप पत्र दायर करने में दो वर्ष से अधिक समय लगा।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम:

- इसे वर्ष 1967 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिये अधिनियमित किया गया था।
- आतंकवादी वित्तपोषण, साइबर-आतंकवाद, व्यक्तिगत पदनाम और संपत्ति की जब्ती से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिये इसमें कई बार संशोधन किया गया, जिसमें नवीनतम संशोधन वर्ष 2019 में देखा गया।
- यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency- NIA) को देश भर में UAPA के तहत दर्ज मामलों की जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।
- यह आतंकवादी कृत्यों के लिये उच्चतम दंड के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान करता है।
- यह संदिग्धों को बिना किसी आरोप या ट्रायल के 180 दिनों तक हिरासत में रखने और आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने की अनुमति देता है, जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि वे दोषी नहीं हैं।
- यह गैर-कानूनी गतिविधि को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण या अलगाव का समर्थन करता है या उसे प्रेरित करता है, या जो इसकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाता है या इसका अनादर करता है।
- यह आतंकवाद को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या आघात का कारण बनता है या इसकी मंशा रखता है, या किसी संपत्ति को क्षति पहुँचाता है या नष्ट करता करता है, या जो भारत या किसी अन्य देश की एकता, सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है।

UAPA के पक्ष में और विपक्ष में तर्क:

पक्ष में तर्क:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** इसके समर्थकों का तर्क है कि UAPA राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह कानून सरकार को उन व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध निवारक उपाय करने का अधिकार देता है जो आतंकवाद और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली अन्य गतिविधियों में शामिल हैं या उनका समर्थन करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, एक जेसुइट पादरी एवं कार्यकर्ता स्टैन स्वामी (Stan Swamy) पर जनवरी 2018 में आयोजित दलितों की एक बैठक के दौरान हिंसा भड़काने के लिये UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। सरकार ने आरोप लगाया ता कि वह एक प्रतिबंधित माओवादी समूह से संलग्न थे और राज्य में तख्तापलट की साजिश का अंग थे।
- **आतंकवाद विरोधी उपाय:** UAPA को एक व्यापक कानून के रूप में देखा जाता है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक साधन प्रदान करता है। यह व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति देता है, जिससे उनकी जाँच करना, मुकदमा चलाना और आतंकी गतिविधियों को रोकना आसान हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, सरकार ने UAPA के तहत कई व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी या आतंकी संगठनों के रूप में नामित किया है (जैसे मसूद अज़हर , हाफ़िज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम, लश्कर -ए- तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य)। इससे सरकार को उनकी संपत्ति जब्त करने, उनकी यात्रा को प्रतिबंधित करने और उन पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिली है।

- **निवारक निरोध:** UAPA गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के संदिग्ध व्यक्तियों के निवारक निरोध (Preventive Detention) की अनुमति देता है। समर्थकों का तर्क है कि संभावित खतरों के साकार होने से पहले इन्हें रोकने के लिये यह प्रावधान आवश्यक है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ औपचारिक परीक्षण या ट्रायल के लिये पर्याप्त सबूत नहीं भी हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, छात्र कार्यकर्ता सफ़ूरा ज़रगर को वर्ष 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में UAPA के तहत हिरासत में ले लिया गया था। सरकार ने आरोप लगाया था कि वह एक प्रतिबंधित चरमपंथी समूह से संलग्न थी और CAA विरोधी विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में शामिल थी।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताएँ:** समर्थकों का तर्क है कि UAPA आतंकवाद से निपटने के लिये भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के वैश्विक प्रयासों से संरेखित है और आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष में अन्य देशों के साथ सहयोग के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
    - उदाहरण के लिये, सरकार ने वर्ष 2019 में आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) की पुष्टि की और इसके प्रावधानों को शामिल करने के लिये UAPA में संशोधन किया। इस संशोधन ने सरकार को आतंकवाद के वित्तपोषण को अपराध घोषित करने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिये वित्तीय संस्थानों पर दायित्व लागू करने में सक्षम बनाया।
- **प्रभावी अभियोजन:** UAPA को एक मज़बूत कानूनी साधन के रूप में देखा जाता है जो गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सुविधा प्रदान करता है। यह कानून बाधित संचार (intercepted communi-cations), इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य आधुनिक जाँच तकनीकों के उपयोग की अनुमति देता है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों के विरुद्ध मामला/केस बनाना आसान हो जाता है।
    - उदाहरण के लिये, सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के एकमात्र जीवित पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब पर मुकदमा चलाने और उसे दोषी ठहराने के लिये UAPA का इस्तेमाल किया था। सरकार ने हमलों में उसकी संलिप्तता साबित करने के लिये सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड, कबूलनामे और फोरेंसिक सबूतों का सहारा लिया। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और वर्ष 2012 में फाँसी दे दी गई।
- **निवारक उपाय:** UAPA को उन व्यक्तियों एवं संगठनों के विरुद्ध एक निवारक उपाय (Deterrence) के रूप में देखा जाता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिये हानिकारक गतिविधियों में संलग्न होने के इच्छुक हो सकते हैं। कानून द्वारा निर्धारित गंभीर दंड और कानूनी परिणामों का उद्देश्य व्यक्तियों को गैर-कानूनी गतिविधियों में भाग लेने या समर्थन करने से हतोत्साहित करना है।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 2001 में संसद पर हमले का मामला जिसमें 14 लोग मारे गए और 22 लोग घायल हुए। सरकार ने हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के दोषी पाए गए लोगों पर गंभीर दंड आरोपित करने के लिये UAPA का इस्तेमाल किया। मुकदमे के बाद अफजल गुरु और अन्य को वर्ष 2013 में फाँसी दे दी गई।

विपक्ष में तर्क:

- **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** यह कानून संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति, निरायुध सम्मेलन और संगम या संघ निर्माण की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह असहमति एवं विरोध को अपराध घोषित करता है और इसका इस्तेमाल सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्रों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिये किया जा सकता है।
- **सुरक्षा तंत्र का अभाव:** अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिये कानून में पर्याप्त सुरक्षा उपायों और जवाबदेही तंत्र का अभाव है। यह केंद्र सरकार को बिना किसी न्यायिक समीक्षा या अपील के अवसर के व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का एकमात्र विवेक सौंपता है। यह सबूत देने का बोझ भी आरोपी पर डाल देता है, जिससे जमानत या निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
    - इसके अलावा, NIA बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली (2020) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि UAPA के तहत जमानत पर विचार करते समय अदालतों को अभियोजन के मामले/केस के विस्तृत विश्लेषण में संलग्न होने और यह देखने की अनुमति नहीं है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ('साक्ष्य' के रूप में उद्धृत) पर्याप्त है भी या नहीं।
        - बाद में थ्वाहा फज़ल बनाम भारत संघ (2021) मामले में न्यायालय ने UAPA की धाराओं के तहत आरोपित आरोपियों के लिये जमानत प्राप्त करना कुछ आसान बना दिया।

- **संघीय ढाँचे के विरुद्ध:** विरोधी तर्क देते हैं कि यह कानून देश के संघीय ढाँचे के विरुद्ध है, क्योंकि यह विधि-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जाँच करने की राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण करता है। यह NIA की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को भी कमज़ोर करता है, जिसे आतंकवाद-निरोध के लिये एक केंद्रीय एजेंसी माना जाता है।
- **दोषसिद्धि की निम्न दर:** इस कानून के तहत दोषसिद्धि की दर निम्न रही है जो प्रकट करता है कि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के मामले में अप्रभावी और मनमाना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2016 और 2019 के बीच UAPA के तहत दर्ज मामलों में से केवल 2.2% मामलों में ही न्यायालयों में दोषसिद्धि हुई। इससे पता चलता है कि इस कानून का इस्तेमाल आतंकवाद पर अंकुश लगाने के बजाय निर्दोष लोगों को परेशान करने और उन्हें डराने-धमकाने के लिये किया जाता है।

न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण रहा है?

- अरूप भुइयां बनाम असम राज्य (2011) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है या लोगों को हिंसा के लिये उकसाता है या अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से कोई कार्य करता है।
- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (2004) मामले में, न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि आतंकवाद से मुकाबले के प्रयासों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो यह आत्म-पराजय की स्थिति होगी।
- भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि UAPA के तहत जमानत पर प्रतिबंधों के बावजूद, संवैधानिक न्यायालय जमानत की अनुमति दे सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि आरोपी के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
- मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) मामले में न्यायालय ने कहा कि सरकारी और संसदीय कृत्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाना वैध है। हालाँकि ऐसे विरोध प्रदर्शन और सभाओं को शांतिपूर्ण एवं अहिंसक/निरायुध होना चाहिये।

UAPA में सुधार के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- **कानून में संशोधन करना:** शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, असहमत विचार और वैचारिक अभिव्यक्ति जैसी संवैधानिक रूप से संरक्षित गतिविधियों को दायरे से बाहर करने के लिये 'गैर-कानूनी गतिविधि' और 'आतंकी कृत्य' की परिभाषा को स्पष्ट किया जाना चाहिये। वर्तमान में मौजूद परिभाषाएँ अस्पष्ट, व्यापक एवं व्यक्तिनिष्ठ हैं और इनका उपयोग किसी भी ऐसे कृत्य को अपराध घोषित करने के लिये किया जा सकता है जिसे सरकार अवांछनीय या धमकीपूर्ण मानती है।
  - असहमति (dissent) अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की एक अनिवार्य विशेषता है, जैसा कि मकबूल फिदा हुसैन बनाम राजकुमार पांडे (2008) मामले में कहा गया था।
- **सबूत के बोझ को हस्तांतरित करना:** सुनिश्चित किया जाए कि सबूत या साक्ष्य प्रदान करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर हो, न कि अभियुक्त पर। UAPA आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत को ही उलट देता है, जहाँ अभियुक्तों पर ही स्वयं को निर्दोष साबित करने का भार डाल दिया गया है, बजाय इसके कि अभियोजन पर उसे दोषी सिद्ध करने का उत्तरदायित्व हो। इससे आरोपी को जमानत मिलना या मामले की निष्पक्ष सुनवाई होना अत्यंत कठिन हो जाता है।
- **एक समीक्षा तंत्र स्थापित करना:** कतिपय संघों या व्यक्तियों को गैर-कानूनी या आतंकी के रूप में प्रतिबंधित करने या नामित करने के सरकार के निर्णयों की निगरानी करने और इसे चुनौती देने के लिये एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाए। वर्तमान तंत्र अपर्याप्त और अप्रभावी है, क्योंकि सरकार को अपने कार्यों के लिये कोई कारण या सबूत नहीं देना पड़ता है और समीक्षा न्यायाधिकरण (review tribunal) प्रायः पक्षपाती या सरकार से प्रभावित होता है।
- **अंतिम उपाय के रूप में UAPA का उपयोग करना:** सुनिश्चित किया जाए कि UAPA का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाए, न कि सुरक्षा खतरों या सामाजिक अशांति से निपटने के लिये पहली प्रतिक्रिया के रूप में।
  - UAPA कानून का इस्तेमाल वैध असहमति, आलोचना या विरोध को दबाने या नागरिक समाज के अभिकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों या मानवाधिकार रक्षकों को परेशान करने, डराने या चुप कराने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
  - सरकार को सभी नागरिकों के मूल अधिकारों एवं स्वतंत्रता का सम्मान एवं सुरक्षा करनी चाहिये और संघर्षों एवं शिकायतों को हल करने के लिये संवाद, समझौता वार्ता एवं सुलह को अधिमानित या प्रमुख साधन के रूप में उपयोग करना चाहिये।

निष्कर्ष:

UAPA भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक शक्तिशाली उपकरण या साधन है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव को

लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। इसके समर्थक राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद-निरोध के पक्ष पर बल देते हैं, जबकि इसके आलोचक अधिकारों के संभावित उल्लंघन और दोषसिद्धि की निम्न दर की ओर इशारा करते हैं। सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन निर्माण के लिये विचारशील संशोधन, सम्यक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता और UAPA के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है, जो भारत में एक अधिक प्रभावकारी आतंकवाद विरोधी रणनीति को आकार दे सकेगा।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक: कमियाँ और समाधान

"निर्धनता मानव सुख/खुशहाली की प्रबल शत्रु है; यह निश्चित रूप से स्वतंत्रता को नष्ट करती है और यह कुछ गुणों को अव्यवहारिक जबकि अन्य को अत्यंत कठिन बना देती है।" – सैमुअल जॉनसन

- इसके ठीक विपरीत, आय के संदर्भ में गरीबी या निर्धनता के पारंपरिक मापन सीमित हैं और केवल निर्वाह के लिये संसाधनों की कमी पर संकीर्ण रूप से केंद्रित हैं। लेकिन गरीबी मात्र निर्वाह तक ही सीमित विषय नहीं है।
- नोबेल पुरस्कृत अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने क्षमता और कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए—जिसे लोकप्रिय रूप से 'क्षमता दृष्टिकोण' (capability approach) के रूप में जाना जाता है, कल्याण (well-being) पर एक समृद्ध, अभिनव एवं व्यापक परिप्रेक्ष्य का नेतृत्व किया है।

अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण:

- अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के लिये एक मानक ढाँचा है।
  - यह उन वास्तविक अवसरों या स्वतंत्रताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो लोगों के लिये अपनी खुशहाली, पसंदों या संसाधनों के बजाय उस तरह के जीवन को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं जिन्हें वे महत्त्व देते हैं।
- डा. सेन के अनुसार क्षमता दृष्टिकोण के दो मुख्य घटक हैं: कार्यप्रणाली (Functionings) और क्षमता (Capabilities)।
  - कार्यप्रणाली होने और करने की मूल्यवान स्थितियाँ (valuable states of being and doing) हैं जिन्हें एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जैसे स्वस्थ, शिक्षित या सामाजिक रूप से सक्रिय होना।
  - क्षमताएँ वैकल्पिक कार्यप्रणालियों का वह समूह है जिसे कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए चुन सकता है।
    - उदाहरण के लिये, किसी व्यक्ति में सुपोषित होने या अल्पपोषित होने की क्षमता हो सकती है, जो खाद्य तक उनकी पहुँच और उनके आहार विकल्पों पर निर्भर करता है।
- अमर्त्य सेन का तर्क है कि क्षमता दृष्टिकोण उपयोगितावाद (utilitarianism) और संसाधनवाद (resourcism) जैसे अन्य दृष्टिकोणों की तुलना में मानव कल्याण का आकलन करने का बेहतर तरीका है ।
  - उनका दावा है कि ये दूसरे दृष्टिकोण मानव जीवन की विविधता और जटिलता के प्रति या तो बहुत संकीर्ण हैं या अत्यंत असंवेदनशील हैं।
    - उपयोगितावाद उन विकल्पों के चयन से संबंधित है जो अत्यंत प्रसन्नता या इच्छाओं की संतुष्टि की ओर ले जाते हैं।
    - जबकि संसाधनवाद इस विषय से संबंधित है कि समाज में आय, धन या कल्याण जैसे संसाधनों को किस प्रकार वितरित किया जाता है।
  - अमर्त्य सेन के लिये विकास का अंतिम लक्ष्य है लोगों की क्षमताओं का विस्तार करना, न कि केवल उनकी आय या उपयोगिताओं का।
- सेन के क्षमता दृष्टिकोण ने मानव विकास सूचकांक (Human Development Index- HDI) के सृजन को प्रेरित किया है।

मानव विकास सूचकांक (HDI):

- HDI एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के तीन आयामों को संयुक्त करता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर।

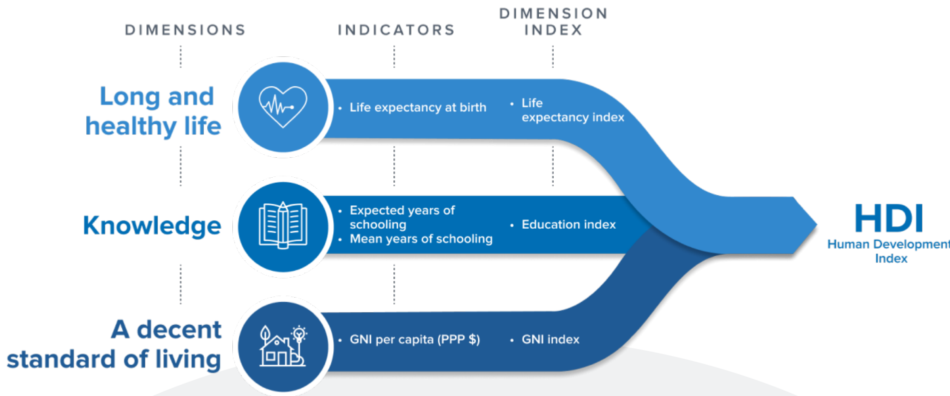

- यह 0 से 1 के दायरे में होता है जहाँ उच्च मान उच्च मानव विकास का संकेत देते हैं।
- HDI की गणना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा की जाती है और इसे 'मानव विकास रिपोर्ट' में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- HDI अकेले गरीबी के विभिन्न आयामों और जटिलताओं को पूर्णरूपेण प्रकट नहीं कर सकता था, इसलिये HDI को पूरकता प्रदान करने के लिये बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index- MPI) की अवधारणा पेश की गई।

MPI क्या है और यह HDI से किस प्रकार भिन्न है?

- **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):**
  - MPI गरीबी का मापन है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे विभिन्न आयामों में लोगों के समक्ष विद्यमान विभिन्न अभावों को दर्शाता है।
  - MPI को 'ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव' (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित किया गया और इसे मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है।
  - MPI की गणना बहुआयामी रूप से गरीब लोगों के प्रतिशत (incidence or headcount ratio) के साथ उन आयामों की औसत संख्या जिनमें वे वंचित हैं (intensity) के गुणन के माध्यम से की जाती है। अर्थात् MPI = H x A (incidence x intensity)
    - MPI 0 से 1 के दायरे में होता है, जहाँ उच्च मान बहुआयामी गरीबी के उच्च स्तर का संकेत देते हैं।

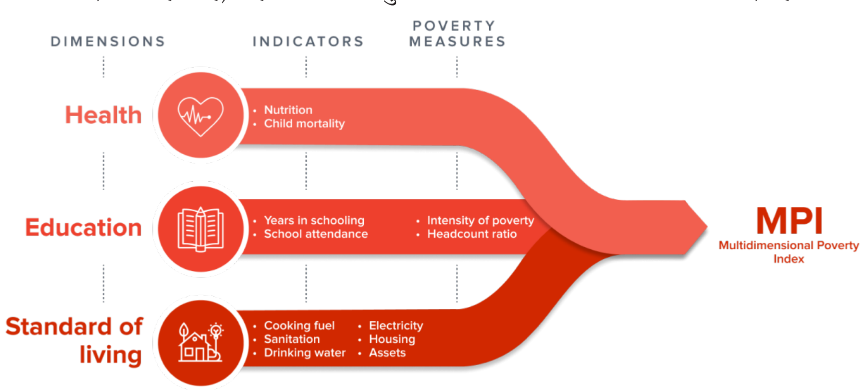

MPI बनाम HDI:

बहुआयामी गरीबी सूचकांक	मानव विकास सूचकांक
• व्यक्तियों के अभावों/वंचनाओं को तीन आयामों में मापता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर	• देश की उपलब्धियों को तीन आयामों में मापता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय
• गरीबी की तीव्रता और स्थिति (intensity and incidence) को ग्रहण करने के लिये 10 संकेतकों का उपयोग करता है	• मानव विकास के औसत स्तर को ग्रहण करने के लिये 3 संकेतकों का उपयोग करता है
• 0 से 1 के दायरे में होता है, जहाँ 0 का अर्थ है गरीबी का नहीं होना और 1 का अर्थ है चरम गरीबी	• 0 से 1 के दायरे में होता है, जहाँ 0 का अर्थ है निम्न मानव विकास और 1 का अर्थ है अत्यंत उच्च मानव विकास
• इसे UNDP और OPHI द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है	• इसे UNDP द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- MPI बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या एवं प्रतिशत और उनके समक्ष विद्यमान अभावों की औसत संख्या को प्रकट कर यह चिन्हित कर सकता है कि कौन लोग गरीब हैं और वे किस प्रकार गरीब हैं।
- विभिन देशों के अंदर असमानताओं एवं गरीबी के पैटर्न को प्रकट करने के लिये MPI को क्षेत्रों, जातीय समूहों या अन्य श्रेणियों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है।

भारत में MPI की गणना:

- भारत में MPI की गणना नीति आयोग (NITI Aayog) OPHI और UNDP के सहयोग से की जाती है।
- नीति आयोग राष्ट्रीय MPI के लिये नोडल एजेंसी है, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है।
- आँकड़ों के लिये प्राथमिक डेटा स्रोत के रूप में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) की मदद ली गई थी।

MPI 2023 के आँकड़े पर सवाल क्यों उठाये जा रहे हैं?

- MPI मूल्यों में तेज़ी से कमी: वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत के राष्ट्रीय MPI मूल्य के 24.85% से घटकर 14.96% होने को इसकी वैधता के लिये प्रश्नगत किया जा रहा है। 9.89% की यह कमी गरीबी के स्तर में पर्याप्त सुधार का संकेत देती है, जो इंगित करती है कि इस अवधि के दौरान लगभग 135.5 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लेकिन इन अनुमानों को भ्रामक और गलत सूचना से युक्त माना जा रहा है।
- कोविड-19 महामारी के प्रभाव को नजरअंदाज करना: MPI मूल्यों में भारी कमी वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक एवं सामाजिक व्यवधानों को परिलक्षित नहीं कर पा रही है।
    - MPI अनुमानों में भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक आघातों और उसके बाद के संघर्षों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है, जिससे गरीबी स्तर में कथित सुधारों की सटीकता पर सवाल उठते हैं।

भारत में MPI की गणना से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ:

- **एकसमान भार के साथ एकत्रीकरण:** UNDP के मानव विकास सूचकांक के ही समान MPI में भी उपयोग की जाने वाली पद्धति में एकसमान भार (uniform weighting) के साथ एकत्रीकरण शामिल है। इसका अर्थ यह है कि समग्र सूचकांक की गणना में सभी आयामों को एकसमान महत्त्व दिया जाता है। यह दृष्टिकोण विभिन्न अभावों के अलग-अलग महत्त्व को ध्यान में न रखते हुए गरीबी की जटिलताओं को अतिसरलीकृत कर सकता है।
    - राष्ट्रीय MPI राज्यों और ज़िलों में भी सभी संकेतकों के लिये समान भार और कट-ऑफ का उपयोग करता है, जो देश की विविधता एवं विषमता के प्रतिबिंबन में चूक सकता है।
        - उदाहरण के लिये, बिजली के लिये वंचना कटौती (deprivation cut-off) का अर्थ है दिन में कम से कम चार घंटे बिजली तक पहुँच, जो कुछ क्षेत्रों या खंडों के लिये उपयुक्त नहीं भी हो सकता है।
- **डेटा स्रोत संबंधी समस्याएँ:** MPI राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और 5 के डेटा पर निर्भर करता है। आलोचकों का तर्क है कि ये सर्वेक्षण सटीक अनुमान के लिये पर्याप्त विस्तृत नहीं हैं और NFHS-5 की विश्वसनीयता के बारे में पहले से चिंताएँ मौजूद हैं जहाँ खुले में शौच के संबंध में सरकारी दावों से इसका विरोधाभास नज़र आया था। MPI इन समस्याओं के बावजूद NFHS आँकड़ों की सीमितता को उपयुक्त रूप से संबोधित किये बिना इनका उपयोग करता है।

नोट :

- NFHS को प्रत्येक पाँच वर्ष पर किया जाता है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि MPI देश में गरीबी की स्थिति में नवीनतम परिवर्तनों को चिह्नित कर सकने में सक्षम नहीं हो सकता।
- **प्रासंगिक डेटा स्रोतों का उपयोग नहीं करना:** MPI घरेलू उपभोग व्यय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 75वें दौर के डेटा को शामिल नहीं करता है।
  - NFHS डेटा को NSS डेटा के साथ संयुक्त करने से बहुआयामी गरीबी की अधिक व्यापक एवं सटीक तस्वीर मिल सकती है। लेकिन इस प्रासंगिक डेटा स्रोत को आकलन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
- **लुप्त आयाम:** राष्ट्रीय MPI में गरीबी के कुछ महत्त्वपूर्ण आयाम शामिल नहीं हैं, जैसे सामाजिक अपवर्जन, भेदभाव, हिंसा, असुरक्षा और पर्यावरणीय गिरावट, जो गरीबों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।
  - इसके अलावा, कुछ संकेतक, जैसे कि पोषण और शिक्षा, इन आयामों के बहुआयामी पहलुओं (जैसे भोजन की गुणवत्ता और अधिगम प्रतिफल) को दायरे में ले सकते हैं।
- **अंतरा-घरेलू अंतर (Intra-household Differences):** राष्ट्रीय MPI गरीबी में विद्यमान अंतरा-घरेलू अंतर, विशेष रूप से लिंग एवं आयु असमानताओं को दायरे में ले सकने में अक्षम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह विश्लेषण की इकाई के रूप में परिवार या घर का उपयोग करता है।
  - यह घर के विभिन्न सदस्यों—जैसे महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों द्वारा सामना किये जाने वाले अभावों में भिन्नता की अनदेखी कर सकता है।

MPI में सुधार के लिये उपाय:

- **आय में उतार-चढ़ाव के लिये समायोजन:** राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भारी कमी के कारण MPI में बढ़ोतरी को देखते हुए, आय में उतार-चढ़ाव के लिये एक तंत्र लागू करने पर विचार किया जाना चाहिये। इसमें समय के साथ आर्थिक प्रभावों को पकड़ने के लिये तकनीकों को सुचारू करना या विलंबित आय चर (lagged income variable) को शामिल करना शामिल हो सकता है।
- **गतिशील शहरी-ग्रामीण प्रवासन प्रभाव:** शहरी स्थानों पर गतिशील कारकों के प्रभाव को, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान 'रिवर्स माइग्रेशन' पर विचार करते हुए, स्वीकार करें। एक ऐसा मॉडल विकसित करें जो ग्रामीण-शहरी प्रवास के बदलते पैटर्न और जीवन स्थितियों एवं MPI पर इसके प्रभावों को दर्शाता हो।
- **शिक्षा पर व्यय पर बल देना:** स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा व्यय दोनों ही निम्न MPI से जुड़े हैं, जहाँ शिक्षा की लोच अधिक है (पूर्ण मूल्य में), जिसका अर्थ यह है कि शिक्षा में 1% की वृद्धि स्वास्थ्य देखभाल में समान वृद्धि की तुलना में MPI को अधिक कम कर देती है। चूँकि राज्य-स्तरीय अनुमान शैक्षिक व्यय में गिरावट का संकेत देते हैं, MPI में वृद्धि की संभावना है।
- **अपराधी सांसदों के प्रभाव को कम करना:** आपराधिक मामलों से संबद्ध सांसदों की हिस्सेदारी और उच्च MPI के बीच के संबंध को देखते हुए, इस प्रभाव को कम करने के लिये रणनीतियाँ तलाशी जाएँ। इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, पारदर्शिता बढ़ाना और विधायी निकायों के भीतर आपराधिक तत्वों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिये नीतिगत पहलें करना शामिल हो सकता है।
  - एक अध्ययन के अनुसार, यदि राज्य के कुल सांसदों में आपराधिक मामलों से संबद्ध सांसदों की हिस्सेदारी 20% से अधिक हुई तो MPI भी उतना ही उच्च हुआ।
- **संवेदनशीलता विश्लेषण:** MPI मॉडल की सुदृढ़ता का परीक्षण करने के लिये संवेदनशीलता विश्लेषण (Sensitivity Analysis) करें। इसमें यह समझने के लिये अलग-अलग प्रमुख पैरामीटर शामिल हैं कि इनपुट में परिवर्तन परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं; इस प्रकार, ये MPI गणना की स्थिरता एवं विश्वसनीयता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
- **नीति अनुशंसाएँ:** गरीबी के चिह्नित चालकों को संबोधित करने पर लक्षित नीति अनुशंसाओं को सूचना-संपन्न करने के लिये निष्कर्षों का उपयोग करें। इसमें उन नीतियों की वकालत करना शामिल हो सकता है जो आय स्थिरता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल में लक्षित निवेश और विधायी निकायों में भ्रष्टाचार एवं आपराधिकता से निपटने के उपायों को बढ़ावा देती हैं।

दक्षिण एशिया में भारत की चुनौतियाँ

भारतीय विदेश नीति को अपने पड़ोस में ही एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जबकि भारत वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से 'वैश्विक दक्षिण' (Global South) का नेतृत्व करने और विश्व राजनीति में एक प्रमुख हितधारक बनने के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की महत्त्वाकांक्षा रखता है, निकट पड़ोस में विद्यमान जटिलताओं से उसके प्रयासों में बाधा आ रही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र, जहाँ भारत अवस्थित है, भारत की महत्त्वाकांक्षाओं के साथ संरेखित होने को लेकर उत्साहित नहीं है। वस्तुत: ऐसा प्रतीत लगता है कि भारत की राह में बाधाएँ ही उत्पन्न की जा रही हैं, आंशिक रूप से इसलिये कि इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली पड़ोसी के उद्भव को लेकर अन्य देश

आशंका रखते हैं। यह परिदृश्य भारत के लिये एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण स्थिति पेश कर रहा है, जिसका सामना भारत को पहले कभी भी नहीं करना पड़ा है।

जॉन मियरशाइमर का आक्रामक यथार्थवाद का सिद्धांत: जॉन मियरशाइमर (John Mearsheimer) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक प्रमुख सिद्धांतकार हैं जो आक्रामक यथार्थवाद (Offensive Realism) के अपने सिद्धांत के लिये जाने जाते हैं।

आक्रामक यथार्थवाद का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अंतर्निहित रूप से अराजक है और राज्यों को अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी शक्ति को अधिकतम करने के प्रयास के माध्यम से अपनी सुरक्षा एवं अस्तित्व को प्राथमिकता देनी चाहिये।

मियरशाइमर का तर्क है कि राज्य प्रभुत्व की तलाश (pursuit of dominance) से प्रेरित होते हैं और यह तलाश प्रतिस्पर्द्धा, असुरक्षा और अंतत: संघर्ष को जन्म देती है।

वर्तमान भू-राजनीति में भारत के समक्ष कौन-सी दुविधाएँ मौजूद हैं?

भारत को अपने पड़ोस में कई दुविधाओं (dilemmas) का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से प्रत्येक दुविधा अद्वितीय चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। इन दुविधाओं को तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **राजनीतिक दुविधा (Political Dilemma):**
    - भारत विरोधी शासन व्यवस्थाएँ: प्रमुख दुविधाओं में से एक है दक्षिण एशिया में राजनीतिक रूप से भारत विरोधी शासनों का उदय। उदाहरण के लिये, मालदीव में नई सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाते हुए मुखरता से भारतीय सैनिकों को देश से निकालने की मांग की है।
    - संभावित विचारधारात्मक बदलाव: बांग्लादेश में आगामी चुनाव, जहाँ खालिदा ज़िया के पुन: सत्ता में लौटने की संभावना है, भारत की राजनीतिक दुविधा में एक और परत जोड़ता है।
        - यह आशंका मौजूद है कि ऐसी सरकार विचारधारा के स्तर पर भारत विरोधी हो सकती है, जिससे राजनयिक संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता जटिल बन सकती है।
- **संरचनात्मक दुविधा (Structural Dilemma):**
    - चीन का प्रभाव: दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत को संरचनात्मक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व और प्रभाव के लिये एक चुनौती है। चूँकि चीन इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक खिलाड़ी बन गया है, यह भौतिक लाभ की इच्छा रखने वाले क्षेत्रीय देशों को आकर्षित कर रहा है।
        - इस संरचनात्मक बदलाव से भारत के लिये अपने पड़ोसी देशों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्द्धा कर सकना कठिन हो गया है, जिससे उन देशों का झुकाव चीन की ओर होता जा रहा है।
- **मानदंडात्मक दुविधा (Normative Dilemma):**
    - बदलती क्षेत्रीय गतिशीलता: ऐतिहासिक रूप से भारत का इस भूभाग के प्रति एक मानदंडात्मक और राजनीतिक रुख रहा है। एक गैर-मानदंडात्मक विकल्प के रूप में चीन का उद्भव भारत के पारंपरिक समीकरण को चुनौती दे रहा है।
        - चीन का 'मानदंड-मुक्त क्षेत्र' (norms-free-zone) होने का दृष्टिकोण दक्षिण एशियाई कूटनीति की गतिशीलता को बाधित कर रहा है, क्योंकि क्षेत्र के देशों को एक ऐसी शक्ति के साथ संरेखित होना अधिक आकर्षक लग सकता है जो उन पर मानदंडात्मक शर्तें नहीं लागू करता।
    - सीमित विकल्प: दक्षिण एशियाई राज्यों के लिये व्यवहार्य विकल्पों का अभाव एक दुविधा उत्पन्न करता है। चीन द्वारा एक गैर-मानदंडात्मक विकल्प की पेशकश के साथ, भारत को क्षेत्र में बदलती गतिशीलता को समायोजित करने के लिये अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह बदलाव अपने पड़ोस में मानदंड और राजनीतिक अपेक्षाएँ लागू करने में भारत के ऐतिहासिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है।

चीन भारत से किस प्रकार अलग स्थिति रखता है?

- **BRI और आर्थिक प्रभाव:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और अन्य परियोजनाओं में चीन की सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप क्षेत्र में छोटे राज्यों के बीच उलझाव बढ़ गया है।
    - BRI एक वृहत अवसंरचना और आर्थिक विकास परियोजना है जिसमें विभिन्न देशों में निवेश के साथ कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाना शामिल है।
    - चीन की वित्तीय क्षमता और इन पहलों के प्रति प्रतिबद्धता उसे भारत पर एक उल्लेखनीय लाभ की स्थिति प्रदान करती है।
    - हालाँकि भारत भी क्षेत्रीय आर्थिक परियोजनाओं से संलग्न है, चीन की वृहत आर्थिक क्षमता क्षेत्र में उसके प्रभाव को अधिक सघन करती है।
- **दक्षिण एशियाई राज्यों की ओर हाथ बढ़ाना:** चीन ने दक्षिण एशियाई राज्यों की ओर हाथ बढ़ाने में एक अग्रसक्रिय दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मानक या अन्य कारणों से उनकी अनदेखी कर सकते हैं या उनका साथ छोड़ सकते हैं।

- इसके प्रमुख उदाहरणों में तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान, सैन्य शासित म्यांमार और संकटग्रस्त श्रीलंका के साथ चीन की संलग्नता के रूप में देखा जा सकता है।
- भारत भी राजनयिक पहुँच बढ़ाने में संलग्न है, लेकिन चीन के प्रयासों का पैमाना और वित्तीय समर्थन इस क्षेत्र में उसके अधिक उल्लेखनीय समग्र प्रभाव में योगदान देता है।

- **सीमा विवाद समाधान रणनीति:** अपने पड़ोसियों के साथ (भारत को छोड़कर) सीमा विवादों के निपटान का चीन का दृष्टिकोण इस भूभाग के देशों को अपनी ओर आकर्षित करने पर लक्षित एक विशिष्ट रणनीति है। चीन विभिन्न मुद्दों का समाधान कर (जैसा कि भूटान के साथ किया जा रहा है) स्वयं को एक विश्वसनीय एवं सहयोगी भागीदार के रूप में स्थापित करना चाहता है।
    - भारत भी पड़ोसियों के साथ सीमा विवादों को सुलझाने के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन चीन द्वारा नियोजित विशिष्ट फोकस एवं रणनीति इस क्षेत्र में उसकी अद्वितीय स्थिति में योगदान करती है।

भारत को इन दुविधाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

- **संयुक्त राज्य अमेरिका की घटती उपस्थिति:** इसका पहला कारण है बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीतिक वास्तुकला, जो दक्षिण एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की घटती उपस्थिति से चिह्नित होती है।
    - ऐतिहासिक रूप से अमेरिका इस क्षेत्र में एक भूराजनीतिक स्थिरांक (geopolitical constant) की स्थिति रखता था। हालाँकि उसकी मौजूदगी भारत के लिये हमेशा लाभप्रद नहीं रही, लेकिन उसका जाना भारत के लिये हानिप्रद माना जा रहा है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति ने एक शक्ति शून्यता (power vacuum) उत्पन्न कर दी है, जिससे अन्य खिलाड़ियों, विशेष रूप से चीन को इस शून्यता को भरने का अवसर मिल गया है।
- **भू-राजनीतिक बफ़र के रूप में चीन का उदय:** दूसरा कारण चीन का आक्रामक और प्रभावकारी उदय है। क्षेत्र में एक प्रमुख भू-राजनीतिक हितधारक के रूप में चीन के उद्भव ने छोटे राज्यों के लिये 'भू-राजनीतिक बफ़र' (Geopolitical Buffer) के रूप में कार्य किया है।
    - इन राज्यों ने अपनी विदेश नीति में 'चाइना कार्ड' का तेज़ी से उपयोग किया है और स्वयं को रणनीतिक रूप से चीन के साथ संरेखित कर लिया है।
    - इस बदलाव को संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति से उत्पन्न शक्ति शून्यता की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है और यह उस गतिशीलता को दर्शाता है जहाँ पड़ोसी राज्य भारत के परिप्रेक्ष्य में तो अपनी स्वायत्तता का दावा करने के लिये अधिक इच्छुक हैं, लेकिन जब चीन की बात आती है तो एक वे अलग झुकाव प्रदर्शित करते हैं।
- **पड़ोसी देशों की रणनीतिक स्वायत्तता और चीन का आकर्षण:** तीसरा कारण पड़ोसी राज्यों द्वारा चुने गए रणनीतिक विकल्पों से संबंधित है। हालाँकि ये राज्य अपने संबंधों में रणनीतिक स्वायत्तता की इच्छा रख सकते हैं, लेकिन चीन के साथ व्यवहार में इस स्वायत्तता पर बल देने का उनका उत्साह सीमित है।
    - क्षेत्र में एक शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में चीन के उदय ने छोटे राज्यों को अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिये भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाने के लिये अधिक कुशल बना दिया है।
    - यह गतिशीलता अपने पड़ोसियों के साथ संलग्न होने और क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने के भारत के प्रयासों के लिये एक चुनौती है।

इस भू-राजनीतिक बदलाव का क्या परिणाम हो सकता है?

- इसका सकल परिणाम या वह परिणाम जो समय के साथ विकसित हो सकता है, कुछ हद तक चिंताजनक है। यदि भारत नवोन्मेषी उपाय नहीं करता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वह स्वयं को भू-राजनीतिक रूप से एक अमित्र या गैर-अनुकूल दक्षिण एशिया में फँसा हुआ पाएगा।

भारत को क्या करना चाहिये?

- **मैत्रीपूर्ण बाह्य अभिकर्ताओं को संलग्न करना:** भारत को परस्पर सम्मान, विश्वास और सहयोग के आधार पर अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास जारी रखना चाहिये।
    - भारत को इस भूभाग के साथ अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों पर बल देना चाहिये और व्यापार, कनेक्टिविटी, विकास, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अपनी सहायता एवं साझेदारी की पेशकश करनी चाहिये।
    - भारत को अपने पड़ोसी देशों के लिये एक विश्वसनीय और रचनात्मक भागीदार बनने का लक्ष्य रखना चाहिये, न कि एक दबंग या वर्चस्ववादी शक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिये।

- **लचीली कूटनीति:** भारतीय कूटनीति को पड़ोसी देशों में विभिन्न हितधारकों को संलग्न करने के लिये पर्याप्त अनुकूल होना चाहिये। कूटनीति का सार भारत विरोधी तत्वों की शत्रुता को कम करने में निहित है, न कि उनके प्रति घृणा रखने में।
    - वर्तमान नेतृत्वकर्ताओं के साथ संलग्न होना बुद्धिमानी है, लेकिन केवल सत्ता में बैठे लोगों तक ही संलग्नता रखना नासमझी होगी।
- **राजनयिक कार्मिकता का विस्तार करना:** भारत को अपनी राजनयिक गतिविधियों में संसाधनों और कार्मिकों का अधिक निवेश करना चाहिये। भारत को अपने राजनयिकों की संख्या और गुणवत्ता में भी वृद्धि करनी चाहिये, जो इस भूभाग और उससे परे भारत के हितों एवं मूल्यों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें।
    - भारत को अपनी उपलब्धियों, विविधता एवं 'सॉफ्ट पॉवर' का प्रदर्शन कर और लोगों के परस्पर संपर्क एवं अंत:क्रियाओं को सुगम बनाकर अपनी सार्वजनिक कूटनीतिक और सांस्कृतिक पहुँच को भी आगे बढ़ाना चाहिये।

निष्कर्ष:

चीन के उदय और बदलती गतिशीलता के बीच दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति को महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिदृश्य में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिये भारत को आर्थिक कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देनी चाहिये, क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये और सकारात्मक संबंधों के लिये अपने 'सॉफ्ट पावर' का उपयोग करना चाहिये। विकसित हो रहे दक्षिण एशियाई परिदृश्य में एक स्थिरताकारी शक्ति बनने के लिये रणनीतिक संचार, क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी और धैर्यवान एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण भारत के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

BioCNG के माध्यम से भारत का हरित भविष्य

कुछ वर्ष पूर्व कैरा ज़िला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड, जो 'अमूल डेयरी' के रूप में विख्यात है, भारत के खाद्य उद्योग में पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने अपने संयंत्र के अपशिष्ट से ऊर्जा का उपयोग करने के लिये पूरी तरह से स्वचालित बायो-सीएनजी (BioCNG) उत्पादन एवं बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की।

बनास डेयरी गुजरात में अपने बायो-सीएनजी पायलट प्रोजेक्ट के साथ सफलता का स्वाद चखने के बाद अमूल अब 230 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बनासकांठा में ऐसे चार अन्य नए संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है। अमूल द्वारा बायो-सीएनजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर आदर्श बदलाव की स्थापना होगी।

बायो-सीएनजी:

- बायो-सीएनजी (BioCNG), जिसे 'बायोमीथेन' के रूप में भी जाना जाता है, एक नवीकरणीय और स्वच्छ दहन परिवहन ईंधन है जो बायोगैस को प्राकृतिक गैस की गुणवत्ता में अद्यतन या अपग्रेड करने के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से शुद्धिकृत बायोगैस (purified biogas) है जो निम्नलिखित जैविक अपशिष्ट पदार्थों से बनाई जाती है:
    - कृषि अपशिष्ट: फसल अवशेष, भूसा, खाद
    - खाद्य अपशिष्ट: खराब भोजन, बचा हुआ अवशेष
    - सीवेज कीचड़: अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट

बायो-सीएनजी के क्या लाभ हैं?

- **उच्च कैलोरी मान:** बायो-सीएनजी उच्च कैलोरी मान रखती है, जिसका अर्थ यह है कि यह अन्य ईंधनों की तुलना में प्रति इकाई मात्रा में अधिक ऊर्जा पैदा कर सकती है। यह इसे वाहन ईंधन, बिजली उत्पादन, हीटिंग और खाना पकाने जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिये अधिक कुशल एवं किफायती बनाता है।
    - बायो-सीएनजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) को प्रतिस्थापित कर सकती है, जो अपेक्षाकृत निम्न कैलोरी मान रखती है और अधिक महँगी होती है।
- **स्वच्छ ईंधन:** बायो-सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि यह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह गैसोलीन या डीजल की तुलना में कम मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर (PM) का उत्सर्जन करती है।
    - ये प्रदूषक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये हानिकारक हैं, क्योंकि ये श्वसन संबंधी समस्याओं, अम्लीय वर्षा, धुँध (स्मॉग) और जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं।
    - अवशेष या धुएँ का अभाव: बायो-सीएनजी कोई अवशेष या धुआँ उत्पन्न नहीं करती है, जो इसे एक गैर-प्रदूषणकारी ईंधन बनाता है। यह अपने पीछे कोई राख, टार या कार्बन संचय नहीं छोड़ती, जो इंजन को नुकसान पहुँचा सकते हैं और इसके प्रदर्शन को कम कर सकते हैं।
        - इस प्रकार बायो-सीएनजी अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में अधिक सुरक्षित एवं स्वच्छ ईंधन है।
- **किफायती/मितव्ययी:** बायो-सीएनजी किफायती ईंधन है, क्योंकि इसे स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट पदार्थों से उत्पादित किया जा सकता है।

- इससे परिवहन और भंडारण लागत की बचत करने के साथ-साथ स्थानीय रोज़गार एवं आय के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है।
- बायो-सीएनजी ऊर्जा आयात बिल को भी कम कर सकता है, जहाँ भारत कच्चे तेल की अपनी आवश्यकता के लगभग 85% भाग का आयात करता है।
- बायो-सीएनजी का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक स्तर पर रसोई ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह LPG की तुलना में सस्ती एवं स्वच्छ है।

- **जैव-उर्वरक:** बायो-सीएनजी का उपयोग जैव-उर्वरक (Bio-Fertilizers) के उत्पादन के लिये किया जा सकता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता और फसल की उत्पादकता में सुधार हो सकता है। जैव-उर्वरक ऐसे जैविक उर्वरक हैं जिनमें जीवाणु, कवक और शैवाल जैसे लाभकारी सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों द्वारा इसके अवशोषण को संवृद्ध करते हैं।
  - बायो-सीएनजी के उत्पादन के बाद बचे हुए घोल या डाइजेस्टेट (slurry or digestate) से जैव-उर्वरक का उत्पादन किया जा सकता है।

बायो-सीएनजी के लिये सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

- **CBG सम्मिश्रण दायित्व (CBG Blending Obligation- CBO):** सरकार ने अक्टूबर 2023 में सिटी गैस वितरण (City Gas Distribution-CGD) क्षेत्र के संपीडित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas- CNG) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (Piped Natural Gas- PNG) खंडों में संपीडित बायो-गैस (Compressed Bio-Gas- CBG) के चरणबद्ध अनिवार्य सम्मिश्रण की घोषणा की।
  - CBO देश में संपीडित बायो-गैस के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देगा।
    - प्राकृतिक गैस के साथ बायो-गैस के पाँच प्रतिशत सम्मिश्रण से एलएनजी आयात में 1.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आएगी।
  - CBO वित्त वर्ष 2025 तक स्वैच्छिक रहेगा और अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व की शुरुआत वित्त वर्ष 2026 से होगी।
    - वित्त वर्ष 2026, 2026-27 और 2027-28 के लिये CBO को कुल सीएनजी/पीएनजी उपभोग का क्रमशः 1%, 3% और 4% रखा जाएगा।
    - वर्ष 2028-29 से आगे CBO 5% होगा।
- **कार्यान्वयन:**
  - इस अधिदेश के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (National Biofuels Coordination Committee- NBCC) को सौंपा गया है।
  - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) CGD कंपनियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करेगा।
  - CGD कंपनियाँ अपने CNG और PNG नेटवर्क में CBG के सम्मिश्रण के लिये ज़िम्मेदार होंगी।
- **उद्देश्य:** CBO के मुख्य उद्देश्यों में CGD क्षेत्र में CBG की मांग को प्रोत्साहित करना, LNG के आयात को कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और शुद्ध शून्य उत्सर्जन (net zero emission) के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना है।

CBG सम्मिश्रण दायित्व के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **फीडस्टॉक की उपलब्धता:** इस चुनौती में CBG उत्पादन के लिये कच्चे माल की स्थिर एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है जो मौसम, क्षेत्र और बाज़ार की स्थितियों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है। फीडस्टॉक की लागत भी CBG परियोजनाओं की लाभप्रदता एवं व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकती है।
  - सरकार ने सतत् योजना (SATAT scheme) के तहत फीडस्टॉक खरीद के लिये विभिन्न प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की घोषणा की है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन एवं निगरानी संबंधी समस्याएँ मौजूद हैं।
- **पर्याप्त अवसंरचना और प्रौद्योगिकी का अभाव:** CBG उत्पादन के लिये आवश्यक उपकरण एवं सुविधाओं (जैसे बायोगैस डाइजेस्टर, कंप्रेसर, प्यूरीफायर इत्यादि) का विकास और तैनाती एक प्रमुख चुनौती है।
  - CBG भंडारण, परिवहन और वितरण के लिये पाइपलाइन, सिलेंडर, डिस्पेंसर आदि अवसंरचना का निर्माण एवं रखरखाव भी एक चुनौती है।
  - सरकार ने सतत योजना के तहत CBG संयंत्र स्थापित करने के लिये उद्यमियों और निवेशकों से बोलियाँ (bids) आमंत्रित की हैं, लेकिन इसमें उच्च पूंजी लागत, नियामक बाधा, तकनीकी गड़बड़ी जैसी प्रवेश एवं निकास की बाधाएँ मौजूद हैं।

- **विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग:** CBG मूल्य शृंखला में शामिल विभिन्न अभिकर्ताओं—जैसे कि किसानों, उद्यमियों, निवेशकों, नियामकों, उपभोक्ताओं आदि के बीच एक अनुकूल एवं सहयोगात्मक माहौल को बढ़ावा देने में बाधा आती है।
  - इसमें हितधारकों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी शामिल है, जैसे कि गुणवत्ता मानकों, मूल्य निर्धारण तंत्र, संविदात्मक दायित्वों आदि का अनुपालन करना।
  - सरकार ने सम्मिश्रण अधिदेश की निगरानी एवं कार्यान्वयन के लिये एक केंद्रीय भंडार निकाय (Central Repository Body- CRB) की स्थापना की है, लेकिन हितधारकों के बीच समन्वय एवं संचार के मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि हितों का टकराव, सूचना विषमता आदि।
- **एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में CBG के बारे में जागरूकता और स्वीकृति:** सरकार ने CBG के अंगीकरण के लिये आम लोगों और उद्योग को शिक्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न अभियान और पहलों की शुरुआत की है, जैसे कि 'गो ग्रीन' अभियान, CBG का लोगो जारी करना आदि। हालाँकि उपभोक्ताओं के बीच धारणा और पसंद संबंधी मुद्दे उभर सकते हैं, जैसे भरोसे की कमी, जड़ता, परिवर्तन का प्रतिरोध आदि।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस/बायो-सीएनजी उत्पादन के लिये संयंत्र स्थापित करने हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता
- बिजली और बायो-सीएनजी उत्पादन के लिये परियोजनाओं की आरंभिक स्थापना के लिये आवश्यक मशीनरी एवं घटकों के आयात के लिये सीमा शुल्क पर रियायत
- नगरनिकाय ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Wastes- MSW)) पर आधारित CBG संयंत्रों के लिये 'स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0' के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता
- लाभकारी CBG खरीद मूल्य और उसे CBG खुदरा बिक्री मूल्य के साथ अनुक्रमित करना
- ऑफटेक में सुधार के लिये CGD नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ CBG के सम्मिश्रण के लिये नीति दिशानिर्देश

CBG सम्मिश्रण दायित्व (CBO) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- **नीति और विनियामक ढाँचा:**
  - स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य एवं समयसीमा: CBG उत्पादन एवं मांग को प्रोत्साहित करने के लिये वृद्धिशील वृद्धि के साथ CNG एवं PNG के लिये वार्षिक सम्मिश्रण प्रतिशत पर स्पष्टता सुनिश्चित करें।
  - सुव्यवस्थित विनियम: CBG संयंत्र स्थापित करने और मंज़ूरी प्राप्त करने के लिये नियामक प्रक्रियाओं को सरल एवं द्रुत किया जाए।
  - वित्तीय प्रोत्साहन: CBG उत्पादन और अवसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिये आकर्षक सब्सिडी, टैक्स ब्रेक और फीड-इन टैरिफ लागू करें।
- **क्षमता निर्माण और अवसंरचना विकास:**
  - तकनीकी सहायता: संभावित CBG उत्पादकों को प्रौद्योगिकी चयन, संयंत्र संचालन और गुणवत्ता नियंत्रण पर तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करें।
  - वित्तीय सहायता: CBG संयंत्रों और अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये कम ब्याज वाले ऋण और अनुदान की पेशकश करें।
  - ग्रिड एकीकरण: संपीडन और परिवहन सुविधाओं सहित मौजूदा गैस ग्रिड में CBG के प्रवेश के लिये अवसंरचना का विकास करना।
  - गुणवत्ता मानक: CNG और PNG नेटवर्क में CBG के सुरक्षित एवं कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सख्त गुणवत्ता मानकों को लागू करें।
- **जागरूकता और बाज़ार विकास:**
  - जन जागरूकता अभियान: पर्यावरणीय संवहनीयता और ऊर्जा सुरक्षा के लिये CBG के लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करें।
  - उद्योग सहभागिता: CBG के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिये CGD कंपनियों, वाहन निर्माताओं और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करें।
  - प्रौद्योगिकी प्रदर्शन: संभावित निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करने के लि सफल CBG परियोजनाओं का प्रदर्शन करें और सर्वोत्तम अभ्यासों प्रथाओं को बढ़ावा दें।
- **अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर विचार करना:**
  - ग्रामीण विकास पर ध्यान: आय के अवसर पैदा करने और ऊर्जा पहुँच में सुधार के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में CBG उत्पादन को बढ़ावा देना।
  - फीडस्टॉक विविधिकरण को बढ़ावा देना: संवहनीय CBG उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये कृषि अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट और नगरनिकाय ठोस अपशिष्ट जैसे विविध फीडस्टॉक के उपयोग को प्रोत्साहित करें।

नोट :

- पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करना: CBG उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने संबंधी उपायों को लागू करें, जैसे कि मीथेन उत्सर्जन को कम करना और डाइजेस्टेट को स्थायी रूप से प्रबंधित करना।

बदलते परिदृश्य के बीच भारत की विकास रणनीति

वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि दर वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 7% अनुमानित है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक ने इसे 6.3% आँका है। अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश करने वाले इन तमाम अनुमानों के बीच भारत के निर्यात में गिरावट का रुख चिंता का कारण बन सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) की रिपोर्ट के अनुसार, श्रम-प्रधान क्षेत्रों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पिछले 5 वर्षों से घट रही है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की भविष्य की विकास रणनीति को संतुलित करने की आवश्यकता है।

बदलती वैश्विक परिस्थितियाँ कौन-सी हैं?

- **विवैश्वीकरण की प्रवृत्ति:** रूस-यूक्रेन युद्ध और इज़राइल-हमास संघर्ष जैसे जारी भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण वि-वैश्वीकरण (Deglobalization) की एक स्पष्ट वैश्विक प्रवृत्ति नज़र आती है।
- **प्रतिबंधों का आरोपण:** भू-राजनीतिक संघर्षों के परिणामस्वरूप कुछ देशों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप आपूर्ति शृंखलाएँ विघटित हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय निपटान (international settlements) में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। स्विफ्ट (SWIFT) जैसी महत्त्वपूर्ण प्रणालियों तक सीमित पहुँच, जो चुनिंदा देशों के लिये ही उपलब्ध है, ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।
- **विश्व की वास्तविक जीडीपी में गिरावट:** विश्व की वास्तविक जीडीपी वृद्धि में गिरावट के परिणामस्वरूप वैश्विक निर्यात मांग में कमी आई है। यह प्रवृत्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी का प्रतिबिंब है, जो राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार तनाव और उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव जैसे कई कारकों द्वारा प्रकट होता है।
- **अनिश्चितता और मूल्य अस्थिरता:** आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं और मूल्य अस्थिरता के कारण भारत सहित कई देश आयातित पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, जिससे वैश्विक मांग में और कमी आई है।
- **निर्यात आधारित विकास रणनीति में गिरावट:** निर्यात आधारित विकास रणनीति (Export led Growth strategy) एक आर्थिक विकास दृष्टिकोण है जो विदेशी बाज़ारों में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर निर्भर करती है। इस रणनीति को हाल के वर्षों में, विशेष रूप से वर्ष 2007-2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और 2020-2021 की कोविड-19 महामारी के बाद कई चुनौतियों एवं सीमाओं का सामना करना पड़ा है।
  - उदाहरण के लिये, भारत के मामले में वर्ष 2003-04 से 2008-09 के दौरान निर्यात में सकल घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी में तीव्र वृद्धि देखी गई। वर्ष 2013-14 में यह 25% के शीर्ष स्तर तक पहुँच गया। वर्ष 2022-23 में यह 22.8% थी, जो वर्ष 2019-20 और 2020-21 में गिरकर 18.7% के निम्न स्तर पर आ गई।

निर्यात आधारित विकास रणनीति में गिरावट के पीछे कारण:

- **वैश्विक मांग में मंदी:** संकट और महामारी ने कई विकसित एवं विकासशील देशों से निर्यात की प्रभावी मांग को कम कर दिया है, विशेष रूप से पर्यटन, विनिर्माण और कमोडिटी जैसे क्षेत्रों में।
  - इससे कई निर्यात-उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात राजस्व एवं विकास संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- **संरक्षणवाद का उदय:** संकट और महामारी ने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बीच संरक्षणवादी उपायों और व्यापार तनाव की एक लहर भी पैदा कर दी है, जैसे कि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, ब्रेग्जिट (Brexit) और आपूर्ति शृंखलाओं का क्षेत्रीयकरण।
  - इनसे निर्यातकों के लिये अनिश्चितताएँ एवं बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कमज़ोर हुई है।
- **वेतन कटौती की सीमाएँ:** कई निर्यात-आधारित विकास रणनीतियों ने प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं लाभप्रदता बनाए रखने के लिये श्रमिकों के वेतन एवं आय को दमित करने पर भरोसा किया है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप असमानता, सामाजिक असंतोष और घरेलू मांग की बाधाएँ बढ़ी हैं।
  - इसके अलावा, निम्न वेतन वाले देशों या स्वचालन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन हो गया है।

निर्यात आधारित विकास रणनीति में गिरावट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है?

- निर्यात आधारित विकास रणनीति में गिरावट का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यह देश के आर्थिक प्रदर्शन, रोज़गार सृजन और वैश्विक एकीकरण को प्रभावित करता है।

- कमज़ोर वैश्विक मांग, बढ़ता संरक्षणवाद और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में गिरावट जैसे विभिन्न कारकों ने हाल के वर्षों में भारत के निर्यात को मंद कर दिया है।
  - इससे भारत की जीडीपी वृद्धि में गिरावट आई है क्योंकि देश की जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 19% है।
- इसने विशेष रूप से परिधान, रत्न एवं आभूषण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में रोज़गार सृजन को सीमित कर दिया है।

भारत को क्या उपाय करने चाहिये?

- घरेलू बचत को बढ़ावा देना: बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करने के माध्यम से घरेलू क्षेत्र की बचत में गिरावट, विशेष रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों में गिरावट, को संबोधित किया जाना चाहिये। इसके अलावा, इस गिरावट में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण करना।
  - उत्तर-कोविड रुझानों की निगरानी करना: अस्थायी प्रतिक्रियाओं और संभावित निरंतर परिवर्तनों के बीच अंतर करने के लिये घरेलू बचत में उत्तर-कोविड रुझानों की लगातार निगरानी एवं विश्लेषण करें। यदि गिरावट जारी रहती है तो रुझान को पलटने के उपाय लागू करना।
  - घरेलू क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना: परिवारों को अपनी बचत को उत्पादक निवेश में लगाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिये वित्तपोषण का एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश के लिये प्रोत्साहनों (incentives) का विकास किया जाए।
- निवेश दक्षता को अनुकूलित/इष्टतम करना: नियमित रूप से वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (Incremental Capital-Output Ratio - ICOR) का आकलन करें और निवेश की दक्षता बढ़ाने के लिये इसे कम करने की दिशा में कार्य करें। यदि IOCR का स्तर निम्न है तो इससे उच्च प्राप्य वृद्धि (higher achievable growth) की स्थिति बन सकती है, इसलिये संसाधन उपयोग की दक्षता में सुधार के प्रयास किये जाने चाहिये।
- **रोज़गार संबंधी चुनौतियों को संबोधित करना:** श्रम-बचत नवाचारों (labor-saving innovations) के बीच अद्वितीय जनसांख्यिकीय लाभ और रोज़गार सृजन की संभावित चुनौती की पहचान की जाए। गैर-कृषि और प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्रों के लिये कार्यबल तैयार करने हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल कार्यक्रमों के लिये संसाधन आवंटित करें।
- **गैर-कृषि विकास को बढ़ावा देना:** कृषि से निर्मुक्त श्रम को अवशोषित करने के लिये गैर-कृषि विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान दें। ऐसी नीतियाँ लागू करें जो समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं और जेनरेटिव AI सहित उत्पादकता बढ़ाने वाली अन्य प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण की सुविधा प्रदान करना।
- **जलवायु-अनुकूल विकास:** सेवा क्षेत्र, जो अपेक्षाकृत जलवायु-अनुकूल क्षेत्र है, पर बल देकर आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संवहनीयता के साथ संरेखित करें। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव (Green Grids Initiative- GGI) एवं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (One Sun One World One Grid- OSOWOG) जैसी पहलों को जारी रखें और इन्हें संवर्द्धित करना।

राजकोषीय उत्तरदायित्व: सतत् आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व लक्ष्यों का पालन करना। उन नीतियों को प्राथमिकता देना जो संयुक्त राजकोषीय घाटे और ऋण-जीडीपी अनुपात को क्रमशः 6% और 60% तक कम कर सकें। इससे ब्याज भुगतान को प्रबंधित करने, सरकारी बचत को कम करने तथा अर्थव्यवस्था की समग्र बचत दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:

भारत एक बदलते वैश्विक परिदृश्य का सामना कर रहा है जो वैश्वीकरण एवं आर्थिक अनिश्चितताओं जैसे कारकों से चिह्नित हो रहा है। निर्यात-आधारित विकास मॉडल की चुनौतियों को हल करने की आवश्यकता स्पष्ट है। भारत को आगे बढ़ने के लिये घरेलू प्रत्यास्थता, नवाचार और संवहनीय अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। व्यापार का विविधिकरण, शिक्षा में निवेश और राजकोषीय उत्तरदायित्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत अनुकूलनशीलता और रणनीतिक सुधारों को अपनाकर न केवल वर्तमान चुनौतियों से निपट सकता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रत्यास्थी एवं नवोन्मेषी शक्ति के रूप में भी उभर सकता है।

अनुच्छेद 370: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को समझना

11 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की संपुष्टि की, जिसे प्रत्येक भारतीय अपने मन में संजोकर रखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद

370 को निरस्त करने का सरकार का निर्णय—जिसने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया—संवैधानिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये लिया गया था न कि विघटन के लिये। न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 अपनी प्रकृति में 'अस्थायी' (temporary) था।

अनुच्छेद 370:

- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था जो भारत, पाकिस्तान और चीन के मध्य एक विवादित क्षेत्र है।
    - इसका मसौदा भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन. गोपालस्वामी आयंगर ने तैयार किया था थे और इसे वर्ष 1949 में 'अस्थायी उपबंध' (temporary provision) के रूप में संविधान में जोड़ा गया था।
- इसने राज्य को अपना संविधान एवं ध्वज रखने के साथ ही रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्वायत्तता रखने की अनुमति दी।
- यह विलय पत्र (Instrument of Accession) की शर्तों पर आधारित था, जिस पर वर्ष 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के बाद भारत में शामिल होने के लिये जम्मू-कश्मीर के शासक हरि सिंह ने हस्ताक्षर किये थे।

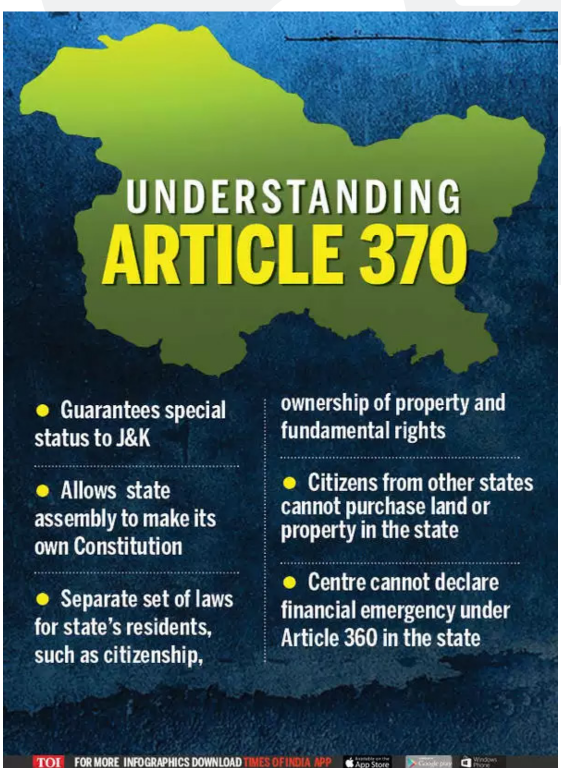

सरकार ने अनुच्छेद 370 को किस प्रकार निरस्त किया?

- **राष्ट्रपति का आदेश (Presidential Order):** वर्ष 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में संसद ने एक प्रावधान पेश करते हुए 'जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा' को 'जम्मू और कश्मीर की विधान सभा' के रूप में नया अर्थ प्रदान किया और फिर अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिये राष्ट्रपति शासन के माध्यम से विधान सभा की शक्तियों को ग्रहण कर लिया।
- **संसद में संकल्प:** संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमशः 5 और 6 अगस्त 2019 को समवर्ती संकल्प पारित किये गए। इन संकल्पों ने अनुच्छेद 370 के शेष प्रावधानों को भी रद्द कर दिया और उन्हें नए प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया।
- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम:** जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया। इस अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- 'जम्मू और कश्मीर' तथा 'लद्दाख' में विभाजित कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

- **अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान:** न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू-कश्मीर राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।
    - न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 दो प्राथमिक कारणों से एक 'अस्थायी प्रावधान' था।
        - इसने एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति की, जो थी जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की स्थापना के लिये एक अंतरिम व्यवस्था करना, जिसे राज्य संविधान का मसौदा तैयार करना था।
        - इसका उद्देश्य वर्ष 1947 में राज्य में व्याप्त युद्ध जैसी स्थिति के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के भारत संघ में एकीकरण को आसान बनाना था।

- **राज्यपाल राज्य विधानमंडल की 'सभी या कोई भी' (all or any) भूमिका ग्रहण कर सकता है:** न्यायालय ने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले के ऐतिहासिक निर्णय (जो राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यपाल की शक्तियों एवं सीमाओं से संबंधित है) का हवाला देते हुए यह माना राज्यपाल राज्य विधानमंडल की 'सभी या कोई भी' (all or any) भूमिका ग्रहण कर सकता है।
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर के मामले में राष्ट्रपति) राज्य विधानमंडल की 'सभी या कोई भी' भूमिका निभा सकता है और ऐसी कार्रवाई का न्यायिक परीक्षण केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिये।
- **राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं:** न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकपक्षीय रूप से अधिसूचित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।
  - इसमें आगे कहा गया कि राष्ट्रपति को इस संबंध में राज्य सरकार की सहमति (concurrence) प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि अनुच्छेद 370(1)(d) के परंतुक द्वारा निर्दिष्ट है।
- **वर्ष 2019 के कानून की संपुष्टि:** न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की उस सीमा तक संपुष्टि की जहाँ तक जम्मू-कश्मीर राज्य से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को पृथक किया गया।
  - न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं और संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- **राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद महज विधि निर्मात्री संस्था नहीं:** मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य में संसद की शक्ति महज विधि निर्माण तक ही सीमित नहीं है। इसका विस्तार कार्यकारी कार्रवाई तक भी होता है।
  - न्यायालय ने यह भी कहा कि जब अनुच्छेद 356 के तहत कोई उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है तब ऐसे कई निर्णय होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से लिये जाते हैं।
  - राज्य की ओर से केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय और कार्रवाई चुनौती के अधीन नहीं है।
    - प्रत्येक निर्णय को खुली चुनौती देने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी।
- **चुनाव कराने के साथ राज्य का दर्जा बहाल करना:** न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिये। उसने आदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के चुनाव 30 सितंबर 2024 तक संपन्न करा लिये जाएँ।
- **'सत्य और सुलह आयोग' की स्थापना:** न्यायमूर्ति कौल ने अपने सहमति राय (concurring opinion) में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बाद स्थापित आयोग की तर्ज पर एक 'सत्य और सुलह आयोग' (Truth and Reconciliation Commission) की स्थापना का प्रस्ताव किया ताकि 1980 के दशक से जम्मू-कश्मीर में राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता दोनों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित किया जा सके।

अनुच्छेद 370 क्यों हटाया गया?

- **एकीकरण और विकास:** अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण में बाधा डाली, अलगाववाद की भावना पैदा की और राज्य के विकास को बाधित किया।
  - यह माना जा रहा था कि पूर्ण एकीकरण से जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिये संसाधनों, अवसंरचना और अवसरों तक बेहतर पहुँच की स्थिति बनेगी।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** क्षेत्र में आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करने के लिये पाकिस्तान द्वारा अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग किया जा रहा था। इसे निरस्त करने से भारत सरकार के इस क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण होने और आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ होगी।
- **भेदभाव समाप्त करना:** अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर में महिलाओं, दलितों और हाशिये पर स्थित अन्य समूहों के विरुद्ध भेदभाव करता था। इसे निरस्त करने से ये समूह भारतीय कानूनों के दायरे में आ जाएँगे और उन्हें समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त होंगे।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर के शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी पैदा की। इसके निरसन से राज्य केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के दायरे में आ जाएगा, जिससे बेहतर प्रशासन एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- **आर्थिक समृद्धि:** अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास को बाधित किया। इसे निरस्त करने से क्षेत्र में अधिक निवेश, पर्यटन और रोज़गार सृजन की अनुमति मिलेगी।

नोट :

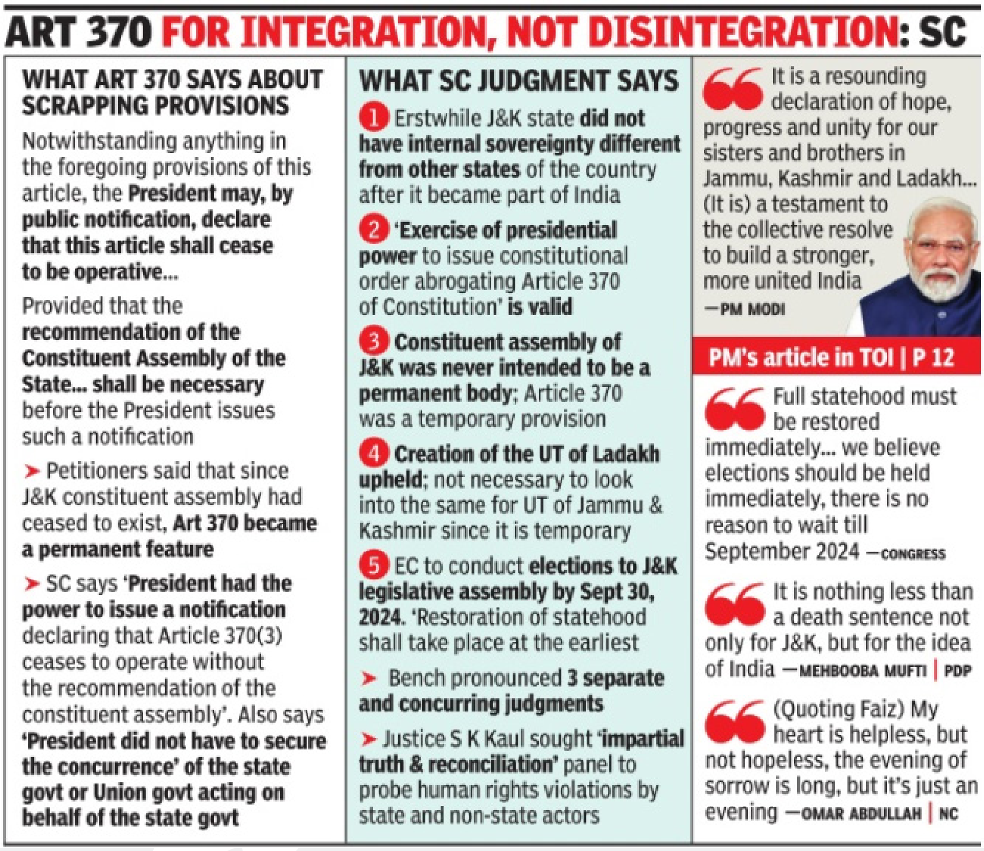

ART 370 FOR INTEGRATION, NOT DISINTEGRATION: SC

WHAT ART 370 SAYS ABOUT SCRAPPING PROVISIONS

Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the **President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative...**

Provided that the **recommendation of the Constituent Assembly of the State... shall be necessary** before the President issues such a notification

➤ Petitioners said that since J&K constituent assembly had ceased to exist, **Art 370 became a permanent feature**

➤ SC says **'President had the power to issue a notification** declaring that Article 370(3) ceases to operate without the recommendation of the constituent assembly'. Also says **'President did not have to secure the concurrence' of the state govt or Union govt acting on behalf of the state govt**

WHAT SC JUDGMENT SAYS

1. Erstwhile J&K state **did not have internal sovereignty different from other states** of the country after it became part of India
2. **'Exercise of presidential power** to issue constitutional order abrogating Article 370 of Constitution' **is valid**
3. **Constituent assembly of J&K was never intended to be a permanent body**; Article 370 was a temporary provision
4. **Creation of the UT of Ladakh upheld**; not necessary to look into the same for UT of Jammu & Kashmir since it is temporary
5. EC to conduct **elections to J&K legislative assembly by Sept 30, 2024.** 'Restoration of statehood shall take place at the earliest

➤ Bench pronounced **3 separate and concurring judgments**

➤ Justice S K Kaul sought **'impartial truth & reconciliation'** panel to probe human rights violations by state and non-state actors

"It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and Ladakh... (It is) a testament to the collective resolve to build a stronger, more united India —PM MODI

PM's article in TOI | P 12

"Full statehood must be restored immediately... we believe elections should be held immediately, there is no reason to wait till September 2024 —CONGRESS

"It is nothing less than a death sentence not only for J&K, but for the idea of India —MEHBOOBA MUFTI | PDP

"(Quoting Faiz) My heart is helpless, but not hopeless, the evening of sorrow is long, but it's just an evening —OMAR ABDULLAH | NC

अनुच्छेद 370 के निरसन का प्रभाव:

- **हिंसा में गिरावट:** अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद से जम्मू-कश्मीर में हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
  - आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 50% से अधिक की कमी आई है और सुरक्षा बलों ने 300 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है।
  - इसका श्रेय कई कारकों के संयोजन को दिया जा सकता है, जिनमें सुरक्षा उपायों की वृद्धि, खुफिया सूचनाओं का बेहतर संग्रहण और उग्रवाद के लिये सार्वजनिक समर्थन में गिरावट शामिल हैं।

सरकार में विमर्श: कमियों और चुनौतियों का समाधान

वर्तमान में सरकारी परियोजनाएँ गंगा नदी की सफाई, स्वच्छ भारत एवं जल जीवन मिशन, आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सहायता करने जैसी पहलों के लिये परामर्श समर्थन पर अत्यधिक निर्भर हो गई हैं। केंद्र सरकार ने वैश्विक रुझान के अनुरूप देश की रणनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिये 'विज़न 2047' दस्तावेज़ विकसित करने के लिये भी एक वैश्विक परामर्श या कंसल्टेंसी फर्म को संलग्न किया है।

हाल की समाचार रिपोर्टों में इस बात को उजागर किया गया है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने पिछले पाँच वर्षों में वैश्विक कंसल्टेंसी फर्मों को लगभग 5000 मिलियन रुपए के शुल्क का भुगतान किया है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसी सभी परामर्श संलग्नताओं के विवरण की मांग की गई है।

परामर्श या कंसल्टेंसी फर्म (Consultancy Firms) क्या हैं?

- कंसल्टेंसी फर्म एक ऐसा व्यवसाय है जो अन्य संस्थाओं/संगठनों को उन समस्याओं के संबंध में पेशेवर सलाह एवं समाधान प्रदान करता है जिनका स्वयं समाधान कर सकने में वे सक्षम नहीं होते हैं।
- कंसल्टेंसी फर्मों के पास विभिन्न क्षेत्रों—जैसे प्रबंधन, इंजीनियरिंग, वित्त, स्वास्थ्य सेवा आदि के विशेषज्ञ होते हैं।

- वे अपनी सेवाओं के लिये शुल्क लेते हैं और आमतौर पर विशिष्ट परियोजनाओं या लक्ष्यों पर कार्य करते हैं।
- भारत में कंसल्टेंसी फर्मों के कुछ उदाहरण हैं: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS), मैकिन्से एंड कंपनी (McKinsey & Company), डेलॉइट (Deloitte) आदि।

सार्वजनिक नीति निर्माण में कंसल्टेंसी फर्मों के क्या लाभ हैं?

- **विशिष्ट विशेषज्ञता (Specialized Expertise):** सलाहकार या कंसल्टेंट (Consultants) डोमेन-विशिष्ट ज्ञान एवं विशेषज्ञता लाते हैं जिनकी सरकारी एजेंसियों में कमी हो सकती है। कृषि, परिवहन, ऊर्जा और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में प्रभावी कार्यक्रम निर्माण एवं सेवा वितरण के लिये यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **लचीलापन और मांग-आधारित कौशल (Flexibility and On-Demand Skills):** सार्वजनिक नीतिगत चुनौतियों की गतिशील प्रकृति, विशेष रूप से डिजिटलीकरण के संदर्भ में, विशेष तकनीकी कौशल की आवश्यकता रखती है जो सलाहकारों द्वारा पर्याप्त लचीलेपन के साथ और मांग-आधारित रूप से प्रदान की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक विशेषज्ञता तक पहुँच बना सकती है।
- **परिप्रेक्ष्य की विविधता (Diversity of Perspectives):** ये सलाहकार बाह्य दृष्टिकोण और विविध कौशल समूह प्रदान करते हैं; इस प्रकार समस्या-समाधान के लिये अधिक व्यापक एवं नवोन्मेषी दृष्टिकोण में योगदान करते हैं। यह विविधता उन जटिल मुद्दों को संबोधित करने में विशेष रूप से मूल्यवान सिद्ध हो सकती है जिनका कोई संभावित स्पष्ट समाधान नहीं हो।
- **परियोजना-विशिष्ट संलग्नताओं के साथ दक्षता (Efficiency with Project-Specific Engagements):** ये परामर्श संलग्नताएँ प्राय: परियोजना-विशिष्ट होती हैं और उनकी अंतिम तिथियाँ पूर्व-निर्धारित (predetermined end dates) होती हैं। यह सरकार को अपने संस्थागत भार को स्थायी रूप से बढ़ाए बिना विशिष्ट चुनौतियों का समाधान कर सकने की अनुमति देता है, जिससे यह एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान बन जाता है।

कंसल्टेंसी फर्मों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **सरकारी क्षमताओं का खोखला होना (Hollowing out of Government Capabilities):** कंसल्टेंसी फर्मों पर वृहत रूप से निर्भर रहने से आंतरिक सरकारी क्षमताओं का ह्रास हो सकता है। समय के साथ सिविल सेवक आवश्यक कौशल और ज्ञान खो सकते हैं, जिससे सरकार बाह्य विशेषज्ञता पर अत्यधिक निर्भर हो जाएगी।
    - उदाहरण के लिये, चीन के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण संरक्षण जैसी विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं को निजी या गैर-सरकारी संगठनों को आउटसोर्स कर दिया है। इससे सार्वजनिक जवाबदेही, गुणवत्ता नियंत्रण और सामाजिक समानता की हानि हुई है।
- **अत्यधिक निर्भरता और 'मिशन क्रीप' (Excessive Dependence and Mission Creep):** एक जोखिम उत्पन्न हुआ है कि सरकारी अधिकारी नियमित या सामान्य कार्यकरणों के लिये भी कंसल्टेंसी सेवा पर अत्यधिक निर्भर बन सकते हैं। यह निर्भरता 'मिशन क्रीप' की स्थिति की ओर ले जा सकती है, जहाँ परामर्श संलग्नताओं का दायरा आरंभिक मंशा या उद्देश्य तक सीमित नहीं रहता और जिससे सलाहकारों एवं सरकारी अधिकारियों की भूमिकाओं के बीच की रेखाएँ संभावित रूप से धुंधली पड़ जाती हैं।
    - वर्ष 2018 की CAG रिपोर्ट से उजागर हुआ कि रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त सलाहकार अपने कार्यक्षेत्र से परे की गतिविधियों में संलिप्त थे, जिससे उनकी जवाबदेही एवं दक्षता पर सवाल खड़े हुए।
- **दुहरावपूर्ण कार्यकरण और नीतिगत प्रभाव के लिये पैरवी करना (Lobbying for Repeat Work and Policy Influence):** सरकारी अधिकारियों के साथ लगातार संलग्न रहे कंसल्टेंसी फर्म दुहरावपूर्ण कार्यकरण के लिये इन संबंधों का गलत लाभ उठा सकते हैं। एक चिंता यह भी है कि सलाहकार कभी-कभी अपने लाभ के लिये नीतिगत निर्णयों और निर्देशों को प्रभावित करने का प्रयास करने के रूप में अपनी सीमाओं का अतिक्रमण भी कर सकते हैं।
    - वर्ष 2019 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) ने भारत की स्वास्थ्य नीति को आकार देने में मैकिन्से एंड कंपनी की भूमिका पर एक केस स्टडी आयोजित की। इस अध्ययन में पता चला कि मैकिन्से का सरकारी अधिकारियों और हितधारकों के साथ घनिष्ठ संबंध था, जहाँ वह अपने प्रभाव का उपयोग अनुबंधों को सुरक्षित करने और स्वयं के अनुकूल नीति को आकार देने में कर रहा था।
- **सार्वजनिक नीति उद्देश्यों का विरूपण (Distortion of Public Policy Objectives):** नीति निर्माण में

सलाहकारों की संलग्नता संभावित रूप से सार्वजनिक नीति उद्देश्यों को विकृत कर सकती है। आवश्यक नहीं है कि सलाहकारों की प्राथमिकताएँ और अनुशंसाएँ हमेशा आम लोगों के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप ही हों, जिससे अपेक्षित नीतिगत परिणाम विकृत हो सकते हैं।

- वर्ष 2017 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के एक शोध-पत्र ने भारत की शिक्षा नीति पर कंसल्टेंसी फर्मों के प्रभाव का अध्ययन किया। इसने निष्कर्ष दिया कि बाज़ारीकरण, निजीकरण और मानकीकरण के पक्ष में सुधारों की वकालत करने वाली इन कंपनियों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव था, जिसने शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और विविधता के सार्वजनिक नीति उद्देश्यों को कमज़ोर कर दिया था।

- **कंसल्टोक्रेसी और लोक सेवकों की घटती भूमिका (Consultocracy and Diminishing Role of Public Servants):** 'कंसल्टोक्रेसी' शब्द सरकारी संरचनाओं के भीतर सलाहकारों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। इस परिघटना के परिणामस्वरूप पारंपरिक लोक सेवकों की भूमिका कम हो सकती है, जिससे सरकारी संस्थानों के पारंपरिक कार्यों एवं क्षमताओं पर असर पड़ सकता है।
- **भ्रष्टाचार का खतरा (Risk of Corruption):** सरकारी गतिविधियों के साथ कंसल्टेंसी फर्मों का अंतर्संबंध भ्रष्टाचार के अवसर पैदा कर सकता है। परामर्श सेवाओं से संबंधित भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों ने विश्व स्तर पर चिंताओं की वृद्धि की है और पारदर्शिता एवं नैतिक अभ्यासों की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
  - कुछ वर्ष पूर्व CBI की एक रिपोर्ट में भारत में एक भ्रष्टाचार घोटाले का खुलासा किया गया था जहाँ एक कंसल्टेंसी फर्म और राज्य स्वामित्व वाला एक उद्यम इसमें संलिप्त थे। रिपोर्ट में कंपनी पर उद्यम के अधिकारियों के साथ मिलकर निविदाओं में हेरफेर करने, परियोजना लागत बढ़ाने और धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।

आगे की राह:

- **नियामक सुरक्षा उपाय (Regulatory Safeguards):** कंसल्टेंसी फर्मों के साथ संलग्नता को व्यापक रूप से विनियमित करने की आवश्यकता है। इसमें 'ऑनबोर्डिंग' (onboarding) प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना और 'रेंट-सीकिंग' (rent-seeking) व्यवहार पर अंकुश लगाना शामिल है।
- **मूल्यवर्द्धन का खुलासा करना (Disclosure of Value Added):** पारदर्शिता से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये एक ऐसा तंत्र होना चाहिये जहाँ सलाहकार बता सकें कि सार्वजनिक नीति पहलों में उन्होंने क्या मूल्यवर्द्धन किया। जवाबदेही और सार्वजनिक भरोसे के लिये यह पारदर्शिता आवश्यक है।
  - सरकारी परियोजनाओं एवं पहलों के प्रदर्शन, परिणामों और प्रभावों की निगरानी एवं मूल्यांकन करने के लिये लोकपाल, लेखा परीक्षक और निगरानीकर्ता जैसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निरीक्षण निकाय स्थापित किये जा सकते हैं।
- **ज्ञान हस्तांतरण और क्षमता निर्माण (Knowledge Transfer and Capacity Building):** सलाहकारों से सरकारी अधिकारियों तक ज्ञान हस्तांतरण के लिये स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित किये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त, आंतरिक क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परामर्श संलग्नताओं के माध्यम से प्राप्त विशेषज्ञता सरकारी क्षमताओं के दीर्घकालिक विकास में योगदान दे।
- **हितधारकों की भागीदारी:** सर्वेक्षणों, मंचों एवं भागीदारी बजट के माध्यम से नागरिकों और हितधारकों के साथ संलग्न होना और परामर्श करना ताकि सुनिश्चित हो कि सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम आम लोगों के प्रति उत्तरदायी, समावेशी एवं जवाबदेह हैं।

निष्कर्ष:

कंसल्टेंसी फर्म सार्वजनिक नीति में सहायता करना जारी रखेंगी, क्योंकि यह अपेक्षा करना यथार्थपरक नहीं होगा कि सरकारी अधिकारी आधुनिक शासन एवं डिजिटल सेवा वितरण के लिये अपने कौशल को लगातार अद्यतन करते रहेंगे। निजी क्षेत्र से विशेषज्ञता की सतर्क ऑनबोर्डिंग से सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बशर्ते कि वे एक पारदर्शी नियामक ढाँचे के भीतर 'रिंग-फेंस्ड' (ring-fenced) हों।

COP 28: जलवायु कार्रवाई हेतु रोडमैप

हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 28वें सम्मेलन (28th Conference of Parties- COP28) संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने 'ग्लोबल वार्मिंग' को रोकने के लिये अपनी पहलों को प्रस्तुत किया और भविष्य की जलवायु कार्रवाइयों पर चर्चा में भागीदारी की।

इस सम्मेलन के मिले-जुले परिणाम सामने आए (आशा भी, निराशा भी) और इसने पेरिस समझौते के बाद से विश्व के एक

महत्त्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया। जबकि कुछ लोग इसे जीवाश्म ईंधन युग (fossil fuel era) के समापन के रूप में देख रहे हैं, अनुकूलन प्रयासों में कमियों और शमन रणनीतियों में चिंताजनक अंतरालों को लेकर आशंकाएँ भी प्रकट की गई हैं।

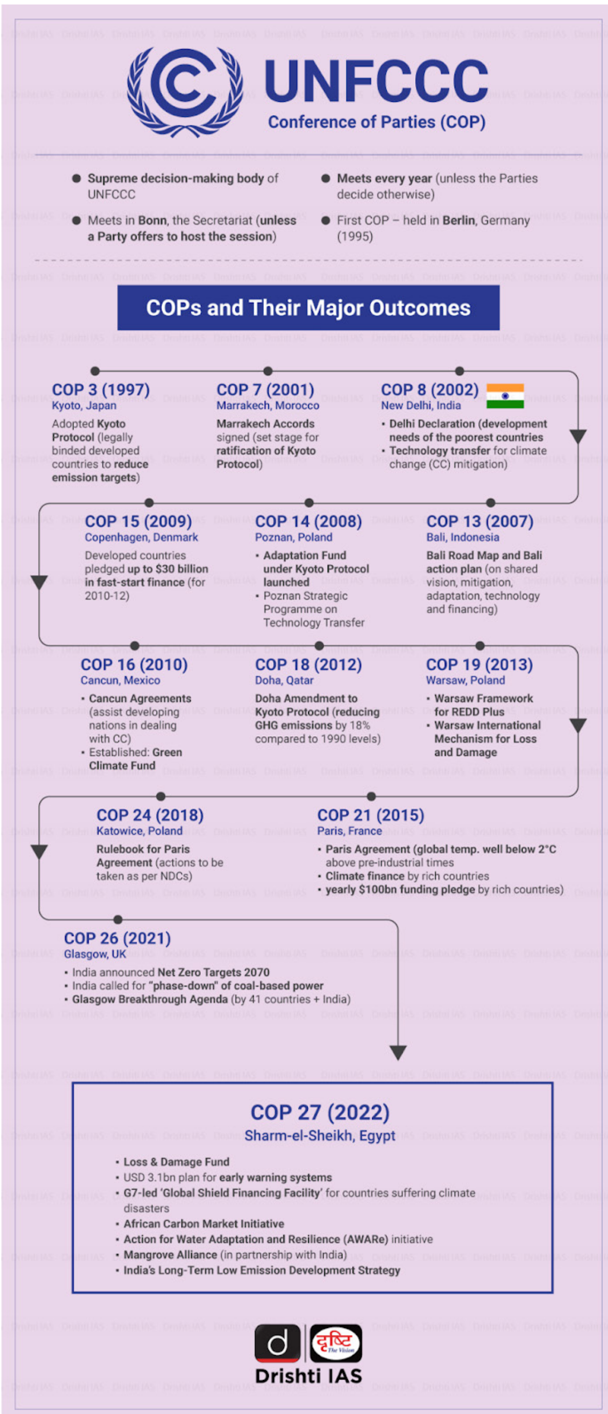

COPs:

- पक्षकार सम्मेलन या COPs (Conference of Parties) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)—जो वर्ष 1992 में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय संधि है, के ढाँचे के अंतर्गत आयोजित होने वाले सम्मेलन हैं।
- ये बैठकें या सम्मेलन, जिन्हें COP के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के आधिकारिक सत्र (official sessions) के रूप में कार्य करते हैं।
- इन सत्रों के दौरान भागीदार या पक्षकार देश (Parties) पेरिस समझौते के प्राथमिक लक्ष्य के साथ संरेखित वैश्विक प्रयासों का मूल्यांकन करते हैं, जहाँ ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है।
- कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ UNFCCC का मुख्य निर्णयकारी निकाय है।
  - वे जलवायु कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं, जैसे शमन, अनुकूलन, वित्त, प्रौद्योगिकी एवं पारदर्शिता पर निर्णय एवं संकल्प अंगीकृत करते हैं।

COP28 (2023) की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहीं?

- **वैश्विक स्टॉकटेक टेक्स्ट (Global Stocktake Text):**
  - ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है।
  - वैश्विक स्टॉकटेक टेक्स्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिये आठ कदम प्रस्तावित हैं।
  - इसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करने का आह्वान किया गया है।
  - इसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर गैर-CO_2 उत्सर्जन को (विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन सहित) व्यापक रूप से कम करने का आह्वान किया गया है।
- **जीवाश्म ईंधन से दूर जाना (Transitioning Away from Fossil Fuels):**
  - COP28 ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से उपयुक्त, व्यवस्थित एवं समतामूलक तरीके से दूर जाने और इस महत्त्वपूर्ण दशक में कार्रवाई तीव्र करने का आह्वान किया है ताकि वर्ष 2050 तक 'शुद्ध शून्य' (Net Zero) प्राप्त किया जा सके।

- **अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (Global Goal on Adaptation- GGA):**
    - वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य अनुकूली क्षमताओं को बढ़ाने और सतत विकास के लिये भेद्यता/संवेदनशीलता को कम करने पर केंद्रित है।
    - COP28 में यह टेक्स्ट अनुकूलन वित्त को दोगुना करने और आने वाले वर्षों में अनुकूलन आवश्यकताओं के आकलन एवं निगरानी की योजना बनाने का आह्वान करता है।
    - सकारात्मक है कि जल सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और स्वास्थ्य पर लक्ष्यों के लिये वर्ष 2030 की एक स्पष्ट तिथि को इस टेक्स्ट में शामिल किया गया है।
- **जलवायु वित्त (Climate Finance):**
    - व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) का आकलन है कि जलवायु वित्त के लिये नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (New Collective Quantified Goal- NCQG) के तहत वर्ष 2025 में धनी देशों पर विकासशील देशों का 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया होगा।
    - लक्ष्य यह है कि वर्ष 2025 से पूर्व एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किया जाए। यह लक्ष्य प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से शुरू होगा।
    - इसमें शमन के लिये 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अनुकूलन के लिये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और हानि एवं क्षति के लिये 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है।
- **हानि एवं क्षति कोष (Loss and Damage Fund):**
    - सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे देशों को मुआवजा देने के उद्देश्य से हानि एवं क्षति (Loss and Damage- L&D) कोष को संचालित करने के लिये एक समझौते पर पहुँचे हैं।
    - अल्पविकसित देशों (LDCs) और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) के लिये एक विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
    - आरंभिक रूप से हानि एवं क्षति कोष की निगरानी विश्व बैंक करेगा।
- **वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा (Global Renewables and Energy Efficiency Pledge):**
    - प्रतिज्ञा में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता वर्ष 2030 तक विश्व की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तीन गुना (कम से कम 11,000 गीगावॉट) करने के लिये मिलकर कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
    - इसमें वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2% से दोगुना कर 4% से अधिक करने का भी आह्वान किया गया है।
- **COP28 के लिये वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा (Global Cooling Pledge):**
    - इसमें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में 66 राष्ट्रीय सरकारें शामिल हैं जो वर्ष 2050 तक वर्ष 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन-संबंधी उत्सर्जन को कम से कम 68% कम करने के लिये मिलकर कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
- **परमाणु ऊर्जा को तीन गुना करने की घोषणा (Declaration to Triple Nuclear Energy):**
    - COP28 में की गई घोषणा का लक्ष्य वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाना है।

COP28 में भारत की क्या प्रमुख गतिविधियाँ रहीं?

- **हरित ऋण पहल (Green Credit Initiative):**
    - हरित ऋण पहल को स्वैच्छिक ग्रह-समर्थक कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु एक तंत्र के रूप में संकल्पित किया गया है जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती के लिये एक प्रभावी प्रतिक्रिया होगी।
    - यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और उनका पुनरुद्धार करने के लिये बंजर/अपघटित भूमि और नदी जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिये हरित ऋण जारी करने की परिकल्पना करता है।
- **उद्योग परिवर्तन के लिये नेतृत्व समूह का द्वितीय चरण (Phase II of the Leadership Group for Industry Transition- LeadIT 2.0):**
    - यह समावेशी एवं न्यायसंगत उद्योग परिवर्तन, सह-विकास एवं निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और उद्योग परिवर्तन के लिये उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **ग्लोबल रिवर सिटीज़ एलायंस (GRCA):**
    - इसे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत क्रियान्वित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के नेतृत्व में COP28 में लॉन्च किया गया।

नोट :

- GRCA संवहनीय नदी-केंद्रित विकास और जलवायु प्रत्यास्थता में भारत की भूमिका को उजागर करता है।
- यह एक मंच के रूप में ज्ञान के आदान-प्रदान, नदी-शहर जुड़ाव (river-city twinning) और सर्वोत्तम अभ्यासों के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा।

- **स्थानीयकृत जलवायु कार्रवाई पर क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप (QCWG):**
  - यह आयोजन संवहनीय जीवन शैली के समर्थन में स्थानीय समुदायों एवं क्षेत्रीय सरकारों की भूमिका को चिह्नित करने और उसे संवर्द्धित करने पर केंद्रित था।

संबद्ध प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **जीवाश्म ईंधन की चरणबद्ध समाप्ति के लिये कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं:**
  - समझौते में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये किसी स्पष्ट और तत्काल योजना का अभाव है और विशिष्ट समयसीमा या लक्ष्य के बिना जीवाश्म ईंधन से दूर जाने ('transitioning away') जैसी अस्पष्ट भाषा का उपयोग किया गया है।
- **वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने पर कोई निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं:**
  - COP28 समझौता विश्व के देशों से नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता में वार्षिक सुधार को दोगुना करने में योगदान करने का आह्वान करता है।
  - यह ट्रिपलिंग या तीन गुना करना एक वैश्विक लक्ष्य है और प्रत्येक देश के लिये अपनी वर्तमान स्थापित क्षमता को व्यक्तिगत रूप से तीन गुना करना अनिवार्य नहीं है। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट नहीं है कि यह ट्रिपलिंग कैसे सुनिश्चित की जाएगी।
- **अनुकूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कोई स्पष्ट तंत्र नहीं:**
  - विकासशील देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुकूलन मसौदा उनकी अपेक्षाओं से पर्याप्त कम है, क्योंकि इन उद्देश्यों को साकार करने के तरीके या इन प्रयासों को वित्तपोषित करने वाले तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है।
- **वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर जवाबदेही का अभाव:**
  - वर्तमान में सरकारों और संस्थानों को उनकी जलवायु वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु जवाबदेह ठहराने के लिये कोई स्थापित तंत्र मौजूद नहीं है।
- **जलवायु वित्त पर भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ:**
  - जलवायु वित्त प्रवाह पर डेटा को विभिन्न पद्धतियों का उपयोग कर संकलित किया जाता है और इसकी अलग-अलग व्याख्याएँ होती हैं।
  - जलवायु वित्त की दोहरी गिनती की स्थिति बन सकती है जब एक ही फंड को कई पक्षों द्वारा रिपोर्ट किया जाए; इससे वास्तविक वित्तीय प्रवाह के अति-आकलन की स्थिति बन सकती है।
- **कोयले की चरणबद्ध समाप्ति पर विरोध:**
  - यह निर्धारित करने के लिये कदम उठाया गया था कि कोई भी नया कोयला आधारित बिजली संयंत्र अंतर्निहित कार्बन जब्ती एवं भंडारण सुविधा के बिना नहीं खोला जा सकता है, लेकिन भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों की ओर से इसका कड़ा विरोध किया गया।
- **मीथेन उत्सर्जन में कटौती पर चिंताएँ:**
  - समझौते में वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर गैर-CO_2 उत्सर्जन को (विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन सहित) व्यापक रूप से कम करने का आह्वान किया गया है।
  - मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों में कृषि पैटर्न में बदलाव लाना शामिल हो सकता है जो भारत जैसे देश के लिये अत्यंत संवेदनशील मामला हो सकता है।

आगे की राह:

- **जलवायु वित्त लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता:**
  - सभी द्विपक्षीय दाताओं को अपनी जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करनी चाहिये और अधिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये।
  - जलवायु वित्त को राष्ट्रीय विकास योजनाओं और नीतियों में एकीकृत करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है।
- **स्पष्ट रोडमैप और समयसीमा:**
  - प्रमुख उपलब्धियों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विशिष्ट समयसीमा के साथ स्पष्ट एवं विस्तृत रोडमैप विकसित किया जाना चाहिये।
  - अंतरिम लक्ष्य स्थापित किये जाएँ जो समग्र दीर्घकालिक उद्देश्यों में योगदान करते हैं और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देते हैं।
- **बेहतर NDCs:**
  - विश्व के देशों को अधिक महत्त्वाकांक्षी और ठोस जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने के लिये अपने राष्ट्रीय

स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDCs) को संशोधित एवं सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- NDCs को ऊर्जा, परिवहन, कृषि और उद्योग सहित विभिन्न कई क्षेत्रों को कवर करना चाहिये।

- **विधान और नीति समर्थन:**
  - जलवायु लक्ष्यों के कार्यान्वयन का समर्थन करने वाले घरेलू विधानों एवं नीतियों को अधिनियमित एवं सशक्त करें।
  - विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा कानूनों और विनियमों में जलवायु संबंधी विचारों को एकीकृत करना चाहिये।
- **क्षमता निर्माण:**
  - जलवायु कार्रवाइयों को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता बढ़ाने के लिये स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण में निवेश करें।
  - तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत क्षमता का समर्थन करने के लिये प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान करना चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, विशेष रूप से विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर, की सुविधा प्रदान की जाए।
  - विभिन्न उद्योगों में पर्यावरणीय रूप से अनुकूल समाधानों के अंगीकरण में तेज़ी लाने के लिये दुनिया के देशों के बीच अनुभव, सीखे गए सबक और सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में COPs अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन आगे की राह चुनौतीपूर्ण और आशाजनक दोनों है। इसकी सफलता के लिये सामूहिक दृढ़ संकल्प, अटूट प्रतिबद्धता और यह चिह्नित किया जाना आवश्यक है कि बहुत कुछ दाँव पर लगा है। वैश्विक समुदाय निर्धारित योगदान को अपनाकर और वास्तविक साझेदारियों का निर्माण कर एक संवहनीय एवं प्रत्यास्थी भविष्य का निर्माण कर सकता है।

आरक्षण और जातिगत गतिशीलता: पृष्ठभूमि

कई राजनीतिक विशेषज्ञों और अन्य लोगों की राय है कि भारत में आरक्षण प्रणाली को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही, कई लोगों का तर्क है कि सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) संबंधी विमर्श को विवाद के रूप में वर्गीकृत करना आरक्षण से लाभान्वित हो रहे समुदायों के संघर्ष एवं प्रत्यास्थता की अनदेखी करता है। आरक्षण प्रणाली के समर्थक आरक्षण के प्रबल प्रभाव को उजागर करते हैं, जहाँ वे इस बात पर बल देते हैं कि यह अवांछनीय लाभ नहीं है बल्कि भारतीय संविधान द्वारा चिह्नित गंभीर सामाजिक हानियों को दूर करने का एक साधन है।

भारत में आरक्षण प्रणाली:

- **परिचय:**
  - भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था देश में आरक्षण प्रणाली की उत्पत्ति के लिये ज़िम्मेदार है।
    - सरल शब्दों में कहें तो यह आबादी के कुछ वर्गों के लिये सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और यहाँ तक कि विधायिका तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने से संबंधित है।
  - इन वर्गों को अपनी जातीय पहचान के कारण ऐतिहासिक रूप से अन्याय का सामना करना पड़ा है।
  - कोटा आधारित सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण को सकारात्मक भेदभाव (positive discrimination) के रूप में भी देखा जा सकता है।
    - भारत में यह भारतीय संविधान द्वारा समर्थित सरकारी नीतियों द्वारा शासित होता है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - जाति-आधारित आरक्षण प्रणाली की परिकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी।
  - वर्तमान में जो आरक्षण प्रणाली मौजूद है, वह सही अर्थों में वर्ष 1933 में शुरू की गई थी जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या 'कम्युनल अवार्ड' (Communal Award) प्रस्तुत किया था।
  - इस अधिनिर्णय में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन, यूरोपीय लोगों और दलितों के लिये अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया।
  - लंबी चर्चा के बाद गांधी और अंबेडकर ने 'पूना पैक्ट' पर हस्ताक्षर किये, जहाँ यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण के कुछ प्रावधानों के साथ एकल हिंदू निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होगी।
- **स्वतंत्रता के बाद:**
  - स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये प्रदान किया गया था।
  - मंडल आयोग की सिफ़ारिशों पर वर्ष 1991 में अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) को भी आरक्षण के दायरे में शामिल कर लिया गया।

- इस निर्णय के साथ 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को भी बल मिला जहाँ विचार किया गया कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिये और इसका विस्तार पदोन्नति के लिये नहीं होना चाहिये।
  - हाल ही में संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम 2019 के माध्यम से अनारक्षित श्रेणी के 'आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों' (economically weaker sections) के लिये सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया है।
  - इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के माध्यम से आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार को सशक्त किया है।
- यह 10% आर्थिक आरक्षण 50% आरक्षण सीमा से अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जा रहा है।

भारत में आरक्षण प्रणाली का विकास कैसे हुआ?

- **संवैधानिक प्रावधान और संशोधन:**
  - संविधान का भाग XVI केंद्र और राज्य विधायिका में SC एवं ST के आरक्षण से संबंधित है।
  - संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ने राज्य और केंद्र सरकारों को SC एवं ST समुदाय के सदस्यों के लिये सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाया है।
  - संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4A) शामिल किया गया जिससे सरकार पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम हुई है।
    - बाद में, आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत SC एवं ST उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिये संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा खंड (4A) में संशोधन किया गया।
  - संविधान (81वाँ संशोधन) अधिनियम, 2000 के माध्यम से अनुच्छेद 16 (4B) शामिल किया गया जो राज्य को किसी वर्ष SC/ST के लिये आरक्षित खाली रिक्तियों को अगले वर्ष भरने में सक्षम बनाता है; इस प्रकार उस वर्ष रिक्तियों की कुल संख्या पर पचास प्रतिशत आरक्षण की सीमा समाप्त हो जाती है।
  - अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करते हैं।
    - अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
    - अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगरनिकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
- **न्यायिक घोषणाएँ:**
  - मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराईराजन (1951) मामला आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का पहला प्रमुख निर्णय था। इस मामले से संविधान में पहले संशोधन की राह खुली।
    - अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जबकि राज्य के तहत रोज़गार के मामले में अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
    - मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संसद ने अनुच्छेद 15 में संशोधन करते हुए इसमें खंड (4) को शामिल किया।
  - इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) के दायरे एवं सीमा पर विचार किया।
    - न्यायालय ने कहा है कि OBCs के 'क्रीमी लेयर' को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर किया जाना चाहिये, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होना चाहिये और कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिये।
  - इसकी प्रतिक्रिया में संसद ने 77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जिसके माध्यम से अनुच्छेद 16(4A) को शामिल किया गया।
    - यह अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति के मामले में SC एवं ST समुदाय के पक्ष में सीटें आरक्षित करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि समुदायों को सार्वजनिक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो।
  - एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4A) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से वैध होने के लिये ऐसी किसी भी आरक्षण नीति को निम्नलिखित तीन संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी:
    - SC एवं ST समुदाय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की शिकार हो।

- सार्वजनिक नियोजन में SC एवं ST समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो।
- ऐसी आरक्षण नीति प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करती हो।
- जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण प्रदान के लिये राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
  - न्यायालय ने माना कि 'क्रीमी लेयर' का अपवर्जन SC/ST में मामले में भी लागू होता है, इसलिये राज्य उन SC/ST व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता जो अपने समुदाय के 'क्रीमी लेयर' से संबंधित हैं।
- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के उस कानून को वैध घोषित किया जो परिणामी वरिष्ठता के साथ SC एवं ST के लिये पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है।

भारत में आरक्षण की आवश्यकता:

- **ऐतिहासिक भेदभाव:** भारत में जाति-आधारित भेदभाव का पुराना इतिहास रहा है और कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से समाज के हाशिये पर रहे हैं। आरक्षण का उद्देश्य इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और उन लोगों के लिये अवसर प्रदान करना है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचना के शिकार हैं।
- **मानव विकास संकेतकों की कमी:** विभिन्न डेटा और रिपोर्ट विभिन्न जाति समूहों के बीच शिक्षा, रोज़गार और संसाधनों तक पहुँच में लगातार उल्लेखनीय असमानताएँ दिखाते रहे हैं।
  - आरक्षण नीतियों को हाशिये पर स्थित समुदायों के लिये प्रतिनिधित्व एवं अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित कर इन अंतरालों को दूर करने के दृष्टिकोण से डिज़ाइन किया गया है।
- **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना:** भारतीय संविधान अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के प्रावधान की अनुमति देता है। यह संवैधानिक अधिदेश सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि हाशिये पर स्थित समुदायों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो।
    - इसके प्रभावस्वरूप गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है और इन समुदायों की समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
- **पिछड़ेपन की व्यापकता:** वर्ष 1980 में मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिये आरक्षण की अनुशंसा की। इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का उद्देश्य कुछ सामाजिक समूहों के पिछड़ेपन को दूर करना है।
- **सामाजिक आर्थिक जनगणना डेटा:** सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (Socio Economic caste census) डेटा विशिष्ट समुदायों के बीच गरीबी की असंगत एकाग्रता और विकास की कमी को प्रकट करता है। आरक्षण नीतियाँ इन समुदायों को शिक्षा और रोज़गार में उपयुक्त अवसर प्रदान कर उनका उत्थान करने का लक्ष्य रखती हैं।
- **सरकारी रिपोर्ट और नीतियाँ:** विभिन्न सरकारी रिपोर्ट, जैसे सच्चर समिति की रिपोर्ट, कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को उजागर करती हैं, जबकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की रिपोर्ट से निचली जातियों की दयनीय स्थिति उजागर हुई है।
- **सार्वजनिक रोज़गार में समतामूलक प्रतिनिधित्व:** सरकारी नौकरियों में आरक्षण सार्वजनिक सेवाओं में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और विविधता एवं समावेशिता को बढ़ावा देता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट (Periodic Labour Force Survey Reports) में सरकारी रोज़गार में कुछ समूहों के निम्न प्रतिनिधित्व संबंधी आँकड़े इस आवश्यकता की पुष्टि करते हैं।

भारत में आरक्षण प्रणाली से संबद्ध प्रमुख मुद्दे:

- **शिक्षा और रोज़गार की गुणवत्ता:** आरक्षण नीतियाँ मुख्य रूप से शिक्षा और सरकारी नौकरियों तक पहुँच को लक्षित करती हैं। हालाँकि एक चिंता यह है कि ये नीतियाँ दीर्घकाल में शिक्षा और कार्यबल की गुणवत्ता से समझौते की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन योग्यता के बजाय कोटा के आधार पर किया जा सकता है।
- **प्रतिभा पलायन:** कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण नीतियों से प्रतिभा पलायन या 'ब्रेन-ड्रेन' की स्थिति बन सकती है, जहाँ अनारक्षित श्रेणियों के प्रतिभाशाली लोग आरक्षण प्रणाली से बचने के लिये विदेश में अध्ययन या कार्य करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे देश के भीतर प्रतिभा की हानि हो सकती है।
- **आक्रोश और विभाजन:** आरक्षण कभी-कभी समाज के अंदर सामाजिक एवं आर्थिक विभाजन पैदा कर सकता है। यह विभाजन उन लोगों में आक्रोश का कारण बन सकता है जिन्हें इन नीतियों से लाभ नहीं मिलता है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक एकजुटता एवं विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

- **अक्षमताएँ और भ्रष्टाचार:** आरक्षण नीतियाँ कभी-कभी अक्षमता, भ्रष्टाचार और जाति प्रमाणपत्रों में हेरफेर से भी अक्षम बनती हैं। ये मुद्दे प्रणाली की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर सकते हैं और विकास में बाधा डाल सकते हैं।
- **फर्जी लाभार्थी (Ghost Beneficiaries):** आरक्षण नीतियाँ प्राय: व्यापक श्रेणियों पर निर्भर करती हैं, जो उन श्रेणियों के सबसे वंचित व्यक्तियों को सटीक रूप से लक्षित करने में अक्षम सिद्ध हो सकती हैं। संभव है कि आरक्षित श्रेणियों के कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह वंचना का शिकार नहीं हों, फिर भी वे लाभान्वित हो रहे हों।
- **कलंक और रूढ़िवादिता:** आरक्षण के कारण कभी-कभी आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये कलंक और रूढ़िवादिता का सामना करने की स्थिति बन सकती है, जो उनके आत्म-सम्मान और समग्र विकास को प्रभावित कर सकता है।
- **आर्थिक विकास बनाम सामाजिक विकास:** आरक्षण नीतियाँ सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने में अक्षम सिद्ध हो सकती हैं। असमानता को दूर करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिये आर्थिक विकास भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **राजनीतिक शोषण:** आरक्षण नीतियों का उपयोग कभी-कभी राजनीतिक लाभ के लिये किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

आरक्षण का समाधान:

- **अवसर के बुनियादी ढाँचे का पुनरुद्धार करना:** अवसर के बुनियादी ढाँचे के पुनरुद्धार के लिये '3Es' - यानी शिक्षा, रोज़गार योग्यता और रोज़गार (Education, Employability and Employment) में तेज़ी से सुधार लाने की आवश्यकता है।
  - शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों को छोटे वर्ग आकार, शिक्षक योग्यता या शिक्षक वेतन पर अधिक ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय प्रदर्शन प्रबंधन, शासन और 'सॉफ्ट स्किल' की बाध्यकारी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिये।
  - रोज़गार योग्यता या क्षमता के मामले में हमें अभ्यास से सीखने (learning by doing), सीखने के साथ आय अर्जन करने (learning while earning), क्वालिफिकेशन मोड्यूलरिटी के साथ सीखने (learning with qualification modularity), मल्टीमॉडल डिलीवरी के साथ सीखने (learning with multimodal delivery) और सिग्नलिंग वैल्यू के साथ सीखने (learning with signaling value) के पाँच डिज़ाइन सिद्धांतों के अनुरूप प्रणाली को फिर से अभिकल्पित कर नियोक्ताओं से कौशल के लिये बड़े पैमाने पर नए वित्तपोषण को आकर्षित करने की आवश्यकता है।
  - रोज़गार के मामले में, बड़े पैमाने पर गैर-कृषि, उच्च-मज़दूरी, औपचारिक रोज़गार सृजन के लिये नियोक्ताओं हेतु नियामक बाधाओं या 'रेगुलरिटी कोलेस्ट्रॉल' (जो नियोक्ताओं पर मुक़दमेबाजी, अनुपालन, फाइलिंग और अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं) में कटौती की आवश्यकता है और इसके लिये नई श्रम संहिताएँ पारित की जानी चाहिये।
- **समान व्यवहार:** यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्तियों के साथ उचित और भेदभावरहित व्यवहार किया जाए, समानता को बढ़ावा देने का एक बुनियादी पहलू है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को उनकी पृष्ठभूमि, जैसे कि उनके माता-पिता की स्थिति, के आधार पर हानि का सामना नहीं करना पड़े या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो।
- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा:** लोगों के लिये प्रतिस्पर्द्धा के एकसमान अवसर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जहाँ व्यक्तियों को अपने कौशल, क्षमताओं और प्रयासों के आधार पर सफल होने के समान अवसर प्राप्त हों। यह व्यक्तियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिये प्रेरित करने के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है।
- **प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन:** किसी व्यक्ति के प्रदर्शन, कौशल और योगदान के उचित और निष्पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से प्रतिफलों को निर्धारित किया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित करेगा कि सफलता के निर्धारण में योग्यता और उपलब्धि प्राथमिक कारक हैं।
- **प्रयास और साहस के आधार पर आकलन:** कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के साहस के महत्त्व पर बल देने से व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी और व्यक्तिगत प्रयास की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
- **संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग:** आधुनिक राज्य को कल्याणकारी राज्य होना चाहिये और भविष्य में इसे आदर्श राज्य तब समझा जाएगा जब इसकी एक ऐसी सरकार हो जो समाज के संसाधनों का उपयोग उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं आवास प्रदान करने के लिये करे जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

- लेकिन यह सुरक्षा जाल कर्महीनता का पर्याय नहीं बन जाए। बेरोज़गार कामगारों को कार्यरत कामगारों के समान आय नहीं मिल सकती है क्योंकि कार्य करने से प्राप्त लाभ महज आय पाने तक ही सीमित नहीं है। इसी प्रकार, अमीर लोगों को खाद्य, गैस या डीज़ल सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिये।
- नीति ऐसी हो जो सब्सिडी के लिये आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Aadhaar-enabled Direct Benefit Transfer) क्रांति में तेज़ी लाए।

निष्कर्ष:

गांधीजी का मानना था कि सर्वोदय (सभी का विकास) की प्राप्ति अंत्योदय (कमज़ोरों का कल्याण) के माध्यम से हो सकेगी। विभिन्न दार्शनिकों ने इस दृष्टिकोण से विचार किया है और निष्कर्ष निकाला कि यदि आप दुनिया में अपना स्थान जाने बिना इसे डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप सभी के लिये निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकेंगे। आरक्षण सामाजिक न्याय के लिये एक बहुमूल्य साधन है लेकिन 'पूर्ण स्वराज' के कई साल गुज़रने के बाद अब इसे त्यागने का समय आ गया है क्योंकि यह प्राय: राजनीतिक हेरफेर के अधीन होता है और इसके बदले कुछ ऐसा अपनाने की आवश्यकता है जो अगले दशकों में अधिक सार्वभौमिक सिद्ध हो।

FRA 2006 को समझना: न्याय, संरक्षण और चुनौतियाँ

18 दिसंबर 2006 को राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा अधिनियमित 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम [Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act] का अनुसमर्थन किया। यह अधिनियम, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act- FRA) के रूप में जाना जाता है, भारत के सामाजिक-पर्यावरणीय विधान निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, क्योंकि यह कथित 'वन अतिक्रमण' (forest encroachments) पर लंबे समय से जारी रहे संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही, यह अधिक लोकतांत्रिक एवं ऊर्ध्वगामी वन शासन (bottom-up forest governance) के सृजन का प्रयास करता है।

लेकिन अधिनियमित होने के 17 वर्ष बाद भी FRA वनवासियों को ऐतिहासिक अन्याय से मुक्त करने और वन प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने के अपने वादे को पूरा कर सकने में अक्षम सिद्ध हुआ है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 और इसके प्रमुख प्रावधान:

- यह अधिनियम कई पीढ़ियों से वन में निवास कर रही अनुसूचित जनजातियों (Forest Dwelling Scheduled Tribes- FDST) और अन्य परंपरागत वन निवासियों (Other Traditional Forest Dwellers- OTFD) के वन अधिकारों की मान्यता, उनका पुन:स्थापन और उन्हें निहित करने से संबंधित है।
- वन अधिकारों का दावा ऐसे किसी भी सदस्य या समुदाय द्वारा किया जा सकता है जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से मुख्य रूप से जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये वनों या वन भूमि पर निर्भर रहे हों।
- यह FDST और OTFD की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करता है।
- ग्राम सभा को ऐसे किसी व्यष्टिक वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (CFR) या दोनों की प्रकृति एवं सीमा को अवधारित करने के लिये प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकार है जो FDST और OTFD को प्रदान किये जाने हैं।
- यह अधिनियम चार प्रकार के अधिकारों की पहचान करता है:
  - स्वामित्व का अधिकार: यह FDST और OTFD को ऐसी भूमि पर (अधिकतम 4 हेक्टेयर तक) स्वामित्व का अधिकार देता है जिन पर उनके द्वारा खेती की जा रही हो। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिये है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है और किसी नई भूमि का अनुदान नहीं किया जाएगा।
  - उपयोग का अधिकार: वन निवासियों को गौण वन उत्पाद (Minor Forest Produce) प्राप्त करने, चरागाह का उपयोग करने आदि का भी अधिकार है।
  - राहत और विकास का अधिकार: अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास का अधिकार और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार (जो वन संरक्षण के लिये प्रतिबंधों के अधीन है)।
  - वन प्रबंधन अधिकार: इसमें ऐसे किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार शामिल है जिसकी वे पारंपरिक रूप से सतत उपयोग के लिये संरक्षा एवं संरक्षण करते रहे हैं।

FRA 2006 के कार्यान्वयन के पीछे क्या तर्क था?

- FRA 2006 को कई पीढ़ियों से वन में निवास कर रही लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड से वंचित अनुसूचित जनजातियों और अन्य

परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता, उनके पुन:स्थापन और उन्हें निहित करने के लिये अधिनियमित किया गया।

- इस अधिनियम का उद्देश्य औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत की वन प्रबंधन नीतियों—जहाँ वनों के साथ वनवासियों के सहजीवी संबंध को स्वीकार नहीं किया गया, के कारण वन-निवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना था।
- इस अधिनियम का उद्देश्य वनवासियों को सतत तरीके से वन संसाधनों तक पहुँच बना सकने एवं उनका उपयोग कर सकने, जैव विविधता एवं पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने और वनवासियों को गैरकानूनी बेदखली एवं विस्थापन से बचाने के लिये सशक्त बनाना है।

वनवासी समुदायों को किन अन्यायों का सामना करना पड़ा?

- **पूर्व औपनिवेशिक युग:** पूर्व औपनिवेशिक युग में स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्र या यहाँ तक कि एक व्यापक क्षेत्र के वनों पर पारंपरिक अधिकार प्राप्त था। भले ही राजा या सरदार विशिष्ट वनों में शिकार के अपने अधिकार का दावा करते थे, फिर भी स्थानीय समुदायों को वनों से अन्य सभी लाभ प्राप्त होते थे।
- **औपनिवेशिक युग:** औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1878 पेश किया जो 'एमिनेंट डोमेन' (eminent domain)—यानी राजा सदैव समस्त संपत्ति का स्वामी होता है, के विचार पर आधारित था।
  - अधिकाधिक लकड़ी पाने और राजस्व को अधिकतम करने के लिये वनों की कटाई एवं रूपांतरण के लिये शाही वन विभाग की स्थापना की गई।
    - विभाग को 'राज्य' संपत्ति की स्थानीय समुदायों (जिन्हें अब अतिक्रमणकारी मान लिया गया) से रक्षा करने का भी कार्य सौंपा गया।
  - इस औपनिवेशिक वन नीति ने कई रूपों में अन्याय को बढ़ावा दिया, जैसे:
    - अब चूँकि वनों को मुख्य रूप से लकड़ी के संसाधन के रूप में देखा जाने लगा तो झूम खेती (shifting cultivation) पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
    - कृषि भूमि का तथाकथित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अपूर्ण रहा और यह राज्य के पक्ष में पूर्वाग्रही था।
    - वानिकी कार्यों के लिये श्रमबल सुनिश्चित करने हेतु वन ग्रामों (Forest Villages) की स्थापना की गई जहाँ अनिवार्य श्रम (वस्तुत: बंधुआ श्रम) के बदले परिवारों (जिसमें मुख्यत: आदिवासी शामिल थे) को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर वन भूमि दी जाती थी।
    - चूँकि वन अब राज्य की संपत्ति घोषित कर दिए गए थे, वन उत्पादों तक हर तरह की पहुँच सीमित, अस्थायी एवं प्रभार्य (शुल्क योग्य) हो गई और यह हमेशा वन नौकरशाही की दया पर निर्भर होती थी जो पुलिस शक्तियों से लैस थी।
  - स्थानीय आजीविका आवश्यकताओं के लिये किसी भी रियायत को 'विशेषाधिकार' कहा जाने लगा जिसे किसी भी समय संशोधित या निरस्त किया जा सकता था।
    - यहाँ तक कि जहाँ पहुँच की अनुमति थी, वहाँ भी स्थानीय समुदाय के पास वन के प्रबंधन का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि राज्य मूल्यवान वनों की कटाई में लगा था और भारी उपयोग वाले वनों को 'डि-फैक्टो ओपन-एक्सेस' बना दिया गया था।
- **स्वातंत्र्योत्तर युग:**
  - देश की स्वतंत्रता के बाद भी परिदृश्य में अधिक बदलाव नहीं आया। जब सरकार ने जल्दबाजी में रियासतों और ज़मींदारियों को भारत संघ के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया तो उनके वन क्षेत्रों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया और वहाँ रह रहे वनवासियों के बारे में कोई विचार नहीं किया।
    - जो लोग पीढ़ियों से वहाँ रह रहे थे, वे अचानक ही 'अतिक्रमणकारी' (encroachers) बन गए।
  - बाद में सरकार ने बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 'ग्रो मोर फूड' (Grow More Food') जैसे विभिन्न अभियानों के तहत वन भूमि को पट्टे पर तो दिया, लेकिन उन्हें कभी भी उचित रूप से विनियमित नहीं किया गया।
  - बांधों से विस्थापित लोगों को वैकल्पिक भूमि नहीं दी गई और वे अन्य स्थानों की वन भूमियों के अतिक्रमण के लिये बाध्य हुए।
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की कल्पना भी 'एमिनेंट डोमेन' के ढाँचे के भीतर ही की गई।
    - अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने के लिये भी कई समुदायों को बलपूर्वक उनकी वन भूमि से बाहर कर दिया गया।
  - विकास के लिये वनों का उपयोग करते समय स्थानीय लोगों की राय पर विचार नहीं किया गया और उल्लेखनीय शुल्क वसूलने के बावजूद उनके जीवन पर पड़े प्रभाव के लिये उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 इन ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने में किस प्रकार मदद करता है?

- FRA उल्लेखनीय कदम है क्योंकि सबसे पहले तो यह इन ऐतिहासिक (औपनिवेशिक) अन्यायों और स्वतंत्रता के बाद भी उनके बने रहने को स्वीकार करता है और फिर तीन व्यापक रूपों में उनके निवारण का प्रयास करता है।
- तथाकथित 'अतिक्रमण' के मुद्दे को दिसंबर 2005 से पहले मौजूद वास करने और खेती या अन्य गतिविधियों को जारी रखने के व्यष्टिक वन अधिकारों (IFR) को मान्यता देने के माध्यम से संबोधित किया गया है।
- पूर्ण अधिकार मान्यता के साथ वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जाना है।
- अभिगम्यता और नियंत्रण के मुद्दे को ग्राम समुदायों के वनों तक पहुँच एवं उपयोग करने और गौण वन उत्पाद के स्वामित्व एवं बिक्री के अधिकारों को मान्यता देने के रूप में संबोधित किया गया है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों सहित उनकी पारंपरिक सीमाओं के अंदर वनों का प्रबंधन कर सकने के उनके अधिकार की पुष्टि की गई है।
- यह विकेंद्रीकृत वन प्रशासन सुनिश्चित करता है, जहाँ प्रबंधन प्राधिकार और ज़िम्मेदारी को सामुदायिक अधिकारों से जोड़ता है।
  - अधिनियम यह चिह्नित करने के लिये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया निर्धारित करता है कि वन्यजीव संरक्षण के लिये सामुदायिक अधिकारों को कम करने या समाप्त करने की आवश्यकता क्यों है और कहाँ है।
  - जब किसी समुदाय के पास वन का अधिकार होता है तो इसका अर्थ होता है कि उन्हें वन में किसी भी बदलाव में अपनी बात रख सकने का एक स्वत: अधिकार प्राप्त है और वे इन बदलावों को रोक भी सकते हैं। यदि कोई बदलाव होता है तो उन्हें मुआवजा पाने का भी अधिकार है।
  - नियमगिरि मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिकार की पुन:पुष्टि की गई।
- हालाँकि वन संरक्षण नियम 2022 और FCA संशोधन 2023 इस अधिकार को दरकिनार करना चाहते हैं, फिर भी राज्य ऐसे सहमति तंत्र स्थापित कर सकते हैं।

वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबद्ध प्रमुख मुद्दे:

- **व्यष्टिक अधिकार बनाम सामुदायिक अधिकार:** कुछ राज्यों में राजनेताओं ने मुख्य रूप से व्यष्टिक या व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे यह अधिनियम एक 'अतिक्रमण नियमितीकरण' योजना में बदल गया है। यह दृष्टिकोण सामुदायिक अधिकारों की मान्यता और सुरक्षा की उपेक्षा करता है, जो सतत वन प्रबंधन के लिये आवश्यक हैं।
- **व्यष्टिक वन अधिकारों की पर्याप्त रूप से मान्यता का अभाव:** व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता ठीक तरीके से नहीं की गई है और वन विभाग के प्रतिरोध, अन्य विभागों की उदासीनता एवं प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कारण इससे समझौता किया गया है। दावेदारों को फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दोषपूर्ण एवं गैर-पारदर्शी अस्वीकृतियों तथा मनमाने आंशिक मान्यता का सामना करना पड़ता है।
- **कमज़ोर कनेक्टिविटी से ग्रस्त डिजिटल प्रक्रिया:** डिजिटल प्रक्रियाओं, जैसे मध्य प्रदेश में वनमित्र (VanMitra) सॉफ्टवेयर, के कार्यान्वयन में कमज़ोर कनेक्टिविटी एवं कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में चुनौतियाँ प्रकट हुई हैं। यह मौजूदा अन्याय को बढ़ाता है और दावों को प्रभावी ढंग से दाखिल करने एवं संसाधित करने में बाधा उत्पन्न करता है।
- **सामुदायिक वन अधिकारों की अपूर्ण मान्यता:** वनों तक पहुँच एवं प्रबंधन के सामुदायिक अधिकारों की सुस्त एवं अपूर्ण मान्यता FRA कार्यान्वयन में एक महत्त्वपूर्ण खामी है। वन नौकरशाही इन अधिकारों के प्रति प्रतिरोधी रुख रखती है, जो संभावित रूप से अपने वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों के सशक्तीकरण को बाधित करती है।
- **अधिकांश राज्यों में CFR की सीमित मान्यता:** जबकि महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य ने CFR को मान्यता देने में कुछ प्रगति की है, अधिकांश अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में गौण वन उत्पाद को वि-राष्ट्रीयकृत (de-nationalizing) करने के माध्यम से CFR को सक्रिय करना एक सकारात्मक उदाहरण है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं (विशेष रूप से क्षमताशील खनन क्षेत्रों में)।
- **संरक्षणवादियों और 'डेवलपमेंट लॉबी' के लिये सुविधाजनक:** सामुदायिक अधिकारों की गैर-मान्यता कठोर संरक्षणवादियों और विकास पैरोकारों (Development Lobby) के हितों की पूर्ति करती है। संरक्षित क्षेत्रों में समुदाय 'स्वैच्छिक पुनर्वास' (voluntary rehabilitation) के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और सामुदायिक सहमति प्राप्त किये बिना खनन या बांधों के लिये वनों का दोहन किया जा सकता है।
- **वन ग्रामों की उपेक्षा:** अधिकांश राज्यों में वन ग्रामों के मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है जो व्यापक कार्यान्वयन की कमी को दर्शाता है।

आगे की राह:

- **ग्राम सभा का सशक्तीकरण:** सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम सभा (गाँव में स्थानीय स्वशासन) वन प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हो।
- **समावेशी निर्णय लेना:** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिकार धारकों को शामिल करने को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि सुनिश्चित हो कि उनके दृष्टिकोण और आवश्यकताओं पर विचार किया गया है।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण:** वनवासियों को FRA के तहत उन्हें प्राप्त अधिकारों के बारे में सूचित करने के लिये जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाएँ।
- **क्षमता निर्माण:** वनवासियों के अधिकारों के समर्थन और वकालत के लिये नागरिक समाज संगठनों की क्षमता को सुदृढ़ करना।
- **निगरानी तंत्र:** यह सुनिश्चित करने के लिये निगरानी प्रणाली स्थापित करें कि वन विभाग और अन्य संबंधित प्राधिकार FRA के प्रावधानों एवं उद्देश्यों का पालन कर रहे हैं।
- **जवाबदेही के उपाय करना:** FRA के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन के लिये जवाबदेही उपायों को लागू करें, जहाँ सुनिश्चित किया जाए कि ज़िम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए।
- **एकीकृत योजना:** एकीकृत योजनाएँ विकसित करें जो वनवासियों के अधिकारों एवं हितों का सम्मान करते हुए वनों के विकास एवं संरक्षण, दोनों ही आवश्यकताओं पर विचार करें।
- **परामर्शी प्रक्रियाएँ:** विकास और संरक्षण लक्ष्यों के बीच संतुलन की तलाश के लिये ऐसी परामर्शी प्रक्रियाओं में संलग्न होना जिसमें सभी हितधारक भागीदारी करें।

निष्कर्ष:

कुछ राज्यों का लक्ष्य अधिकारों को शीघ्रता से चिह्नित करना है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में ऐसे द्रुत कार्यान्वयन से प्राय: वन विभाग को लाभ पहुँचता है, यह अधिकारों को विकृत करता है और नौकरशाहों को अत्यधिक नियंत्रण प्रदान करता है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये राजनेताओं, नौकरशाहों और पर्यावरणविदों द्वारा FRA के सार को समझना तथा उसका समर्थन करना महत्त्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होने से पूर्व के अन्याय बने रहेंगे, वन प्रशासन में लोकतंत्र की कमी होगी और समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण एवं सतत आजीविका का अवसर साकार नहीं हो सकेगा।

भारत में वामपंथी उग्रवाद का पर्दाफाश

छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए जहाँ मुख्य ध्यान जनजाति/आदिवासी मतों पर केंद्रित रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण जनजातीय आबादी पर ध्यान केंद्रित किया जो राज्य के कुल मतों में 34% की हिस्सेदारी रखते हैं और इस क्षेत्र में सरकार के गठन के लिये उनका समर्थन पाना प्राय: निर्णायक सिद्ध होता है।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से बस्तर में, वर्तमान में माओवादी विद्रोह की समस्या पाई जाती है जहाँ जनजातीय आबादी इस आंदोलन के लिये प्राथमिक आधार के रूप में कार्य करती है। पाँचवी अनुसूची के क्षेत्रों (Schedule Five areas) के रूप में वर्गीकृत इन माओवादी गढ़ों में चुनावों में लगातार हिंसा की घटनाएँ होती रही हैं जिनकी गंभीरता माओवादियों द्वारा चुनाव बहिष्कार के आह्वान से और बढ़ जाती है। इस वर्ष के चुनावों में भी यही प्रवृत्ति नज़र आई जो इन क्षेत्रों में माओवादी विद्रोह द्वारा उत्पन्न जारी चुनौतियों को परिलक्षित करती है।

वामपंथी उग्रवाद:

- परिचय:
  - वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism-LWE), जिसे वामपंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों को संदर्भित करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की वकालत करते हैं।
  - LWE समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या निजी संपत्ति को निशाना बनाने जैसे कदम उठाते हैं।
  - भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 के पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी (Naxalbari) के उदय के साथ हुई।
- भारत में LWE की उपस्थिति: गृह मंत्रालय के अनुसार देश के 10 राज्यों के 90 ज़िले LWE से प्रभावित हैं, हालाँकि अलग-अलग ज़िलों में उनका स्तर भिन्न-भिन्न है।
  - ये 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल।
    - इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार सर्वाधिक प्रभावित हैं, जहाँ वामपंथी समूहों की प्रबल उपस्थिति है और वे सुरक्षा बलों एवं नागरिकों पर लगातार हमले करते रहे हैं।

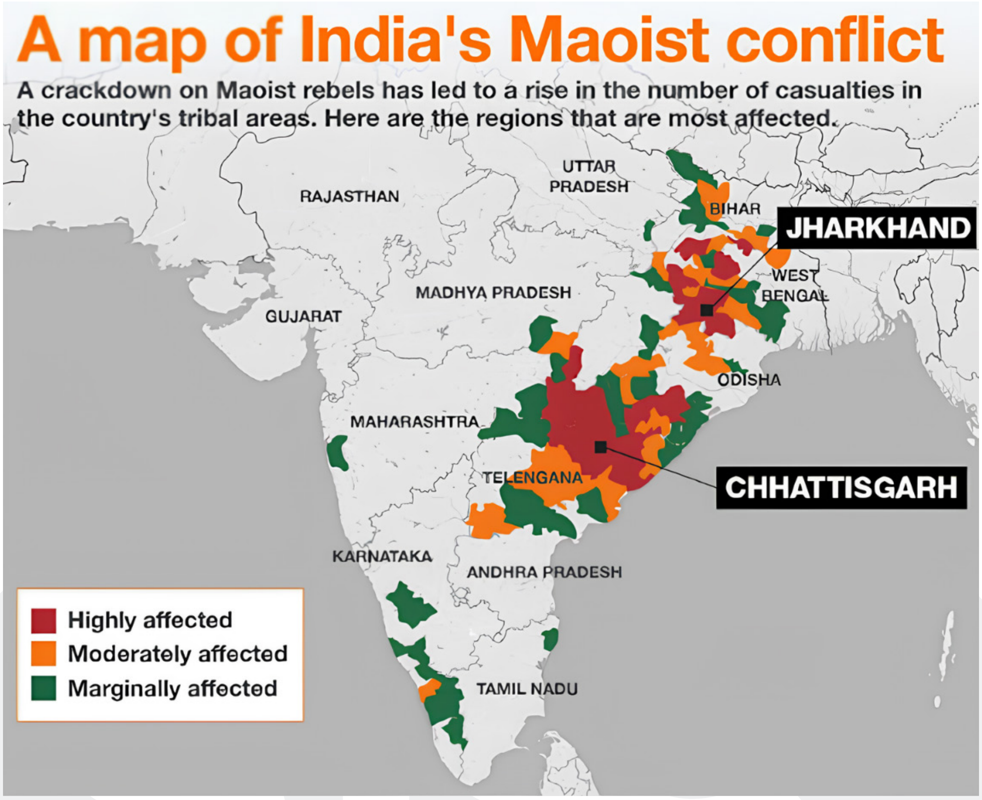

वामपंथी उग्रवाद के पीछे कौन-से प्रमुख कारण:

- **असमान विकास:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कई क्षेत्र देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में शामिल हैं, जहाँ उच्च स्तर की गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, कुपोषण और सामाजिक अपवर्जन जैसी स्थितियाँ पाई जाती हैं।
    - वामपंथी उग्रवादी समूह समाज के हाशिये पर स्थित वर्गों, विशेष रूप से जनजातीय समुदाय की शिकायतों या असंतोष का फायदा उठाते हैं, जिन्हें राज्य और निजी अभिकर्ताओं द्वारा उनकी भूमि, वन और खनिज अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।
- **शासन की कमी:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र प्रभावी शासन, प्रशासन और सेवा वितरण की कमी से पीड़ित हैं। यहाँ सरकारी संस्थाएँ प्राय: अक्षम, भ्रष्ट या अनुपस्थित होती हैं, जिससे एक रिक्तता या निर्वात का निर्माण होता है जिसे फिर LWE समूहों द्वारा भरा जाता है।
    - LWE समूह चुनाव, पंचायती कार्यकरण और विकास योजनाओं जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिये हिंसा एवं भयादोहन का भी उपयोग करते हैं।
- **वैचारिक अपील:** LWE समूह उत्पीड़ित और शोषित वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और एक ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करते हैं जो संसदीय लोकतंत्र को अस्वीकार करती है तथा सशस्त्र क्रांति की वकालत करती है।
    - वे चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग (Mao Zedong) की शिक्षाओं और वर्ष 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के नेतृत्व में उभरे नक्सलबाड़ी विद्रोह से प्रेरणा ग्रहण करते हैं।
    - वामपंथी उग्रवाद से जुड़े कुछ समूहों के भारत और भारत के बाहर अन्य चरमपंथी एवं अलगाववादी आंदोलनों से भी संबंध हैं।
- **वैश्वीकरण और सांस्कृतिक विस्थापन:** वैश्वीकरण के प्रभाव, जिनमें सांस्कृतिक परिवर्तन एवं विस्थापन शामिल हैं, विस्थापन और अलगाव की भावना में योगदान कर सकते हैं।
    - वामपंथी उग्रवादी आंदोलन उन व्यक्तियों को अस्मिता एवं उद्देश्य की एक भावना प्रदान कर सकते हैं जो इन वैश्विक शक्तियों द्वारा हाशिये की ओर धकेले जाना महसूस करते हैं।

सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाये गए हैं ?

- **सुरक्षा उपाय:**
  - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती: सरकार ने उग्रवाद विरोधी अभियान चलाने और पुलिस उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिये वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में CRPF, BSF और ITBP जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces- CAPFs) की तैनाती की है।
  - राज्य पुलिस को सबल करना: केंद्र सरकार राज्यों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, खुफिया जानकारी संग्रहण में सुधार और उग्रवाद विरोधी रणनीति में कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये वित्तीय एवं लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करती है।
  - विशेष इकाइयों की स्थापना: नक्सली नेताओं और कैंपों के विरुद्ध लक्षित अभियान चलाने के लिये 'कोबरा कमांडो' और 'ग्रेहाउंड' जैसी विशेष इकाइयाँ बनाई गई हैं।
- **विकास पहल:**
  - एकीकृत विकास परियोजनाएँ: सरकार ने LWE प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना सुधार, आजीविका के अवसर प्रदान करने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (ITDP) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) जैसी विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं।
  - कौशल विकास कार्यक्रम: सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को रोज़गार के योग्य बनाने और नक्सली भर्ती के प्रति उनकी भेद्यता को कम करने के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
  - स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना: वन धन विकास केंद्र और मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं का लक्ष्य वन-आधारित गतिविधियों एवं ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिये सतत आजीविका के अवसर पैदा करना है।
- **अधिकार और हक़दारी सुनिश्चित करना:**
  - भूमि अधिकार: सरकार जनजातीय समुदायों के समक्ष विद्यमान भूमि अलगाव (land alienation) की समस्या के समाधान के लिये भी कदम उठा रही है, जो नक्सली असंतोष का एक प्रमुख कारण रहा है।
  - वन अधिकार: वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संसाधनों पर जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और सामुदायिक वन प्रबंधन के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है।
  - शिकायत निवारण तंत्र: सरकार ने स्थानीय समुदायों की चिंताओं को दूर करने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किये हैं।
- **अन्य उपाय:**
  - सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP): वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न सिविक एक्शन कार्यक्रम के संचालन के लिये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वित्तीय अनुदान आवंटित किया जाता है।
  - आत्म-समर्पण और पुनर्वास नीति: पुनर्वास पैकेज के तहत उच्च रैंक के LWE कैडरों के लिये 2.5 लाख रुपए और मध्यम/निचली रैंक के कैडरों के लिये 1.5 लाख रुपए उनके नाम पर सावधि जमा के रूप में रखे जाते हैं जिन्हें अच्छा आचरण प्रकट करने पर 3 वर्ष पूरा होने के बाद निकाला जा सकता है।
    - उन्हें उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है और तीन वर्षों के लिये 4000 रुपए प्रति माह की वृत्ति प्रदान की जाती है।
  - 'समाधान' सिद्धांत: वामपंथी उग्रवाद की समस्या का कोई रामबाण समाधान संभव नहीं है। इसके लिये अलग-अलग स्तरों पर अल्पावधिक, मध्यम आवधिक और दीर्घावधिक नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है। 'समाधान' (SAMADHAN) का पूर्ण रूप है:
    - S- स्मार्ट लीडरशिप
    - A- एग्रेसिव स्ट्रेटेजी
    - M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग
    - A- एक्शनेबल इंटेलिजेंस
    - D- डैशबोर्ड-बेस्ड KPIs (Key Performance Indicators) और KRAs (Key Result Areas)
    - H- हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी
    - A- एक्शन प्लान फॉर इच थिएटर
    - N- नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग
  - स्मार्ट पुलिस: 'स्मार्ट' रणनीतिक प्रबंधन और वैकल्पिक प्रतिक्रिया रणनीति (SMART- Strategic Management & Alternative Response Tactics) का संक्षिप्त रूप है, जो पुलिस प्राधिकारों द्वारा डेटा-संचालित दृष्टिकोण के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है।

नोट :

- स्मार्ट पुलिस का लक्ष्य सूचना-संपन्न निर्णयन एवं संसाधन आवंटन के लिये डेटा के विभिन्न स्रोतों—जैसे अपराध के आँकड़े, नागरिक प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया आदि का उपयोग कर पुलिस कार्य की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार करना है।
- स्मार्ट पुलिस में पुलिस प्रेषण के विकल्प भी शामिल हैं, जैसे ऑनलाइन रिपोर्ट, टेलीफोन रिपोर्टिंग इकाइयाँ और फाल्स अलार्म में कमी लाना।

इन उपायों का अब तक क्या प्रभाव पड़ा है?

- पिछले आठ वर्षों में वामपंथी उग्रवादी हिंसा के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक प्रसार में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
- वर्ष 2013 की तुलना में 2022 में उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है। वर्ष 2022-23 में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा अंजाम दी गई हिंसा की घटनाओं की संख्या 413 दर्ज की गई।
- वर्ष 2013 की तुलना में 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों में 75% की कमी आई है (397 से घटकर 98)।
- वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में सुरक्षा बलों के लिये मृत्यु और हताहत की संख्या में क्रमशः 33% और 68% की कमी आई।

सरकार को और क्या करना चाहिये?

- **पेसा अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन:**
  - पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम [Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act- PESA], 1996 का उचित और पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसमें अधिनियम की मंशा के अनुरूप ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिये स्पष्ट नीति निर्देश जारी करना शामिल है।
  - कार्यान्वयन में उन कमियों को दूर किया जाए जिन्होंने माओवादियों को स्थिति का गलत लाभ उठाने की अनुमति दी है और अधिनियम को ऐतिहासिक एवं पारंपरिक जनजातीय जीवन शैली के साथ संरेखित करने की दिशा में कार्य किया जाए।
- **जनजातीय सशक्तीकरण और प्रतिनिधित्व:**
  - जनजातीय नेतृत्व को उनकी आवाज़ सुनने के लिये मंच प्रदान करने के माध्यम से सक्रिय रूप से संपोषित किया जाए। इसे स्थानीय शासन संरचनाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है।
  - जनजातीय समुदायों की आकांक्षाओं को चिह्नित किया जाए और उन्हें संबोधित किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की नीतियाँ एवं पहल उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को समायोजित करने के लिये डिज़ाइन की गई हैं।
- **विकास कार्यक्रम:**
  - ऐसे लक्षित विकास कार्यक्रम लागू करने चाहिये जो जनजातीय समुदायों के समक्ष विद्यमान सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का समाधान कर सकें। इसमें अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोज़गार के अवसर जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।
  - सुनिश्चित किया जाए कि विकास पहल सहभागितापूर्ण हो और निर्णयन प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को संलग्न किया जाए।
- **माओवादी प्रोपेगेंडा का प्रतिकार:**
  - माओवादी प्रोपेगेंडा का मुक़ाबला करने और उनकी बयानबाजी एवं वास्तविक कार्यों के बीच के अंतर को उजागर करने के लिये संचार रणनीतियाँ शुरू की जाएँ। ऐसे उदाहरणों को उजागर किया जाए जहाँ माओवादियों का एजेंडा स्थानीय आबादी के कल्याण से असंगत सिद्ध होता है।
  - सटीक सूचना के प्रसार और गलत सूचना पर नियंत्रण के लिये स्थानीय मीडिया, सामुदायिक नेताओं और प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग स्थापित किया जाए।
- **सुलह वार्ता और संघर्ष समाधान:**
  - माओवादी समूहों के भीतर उदारवादी गुटों के साथ शांतिपूर्ण संवाद के अवसरों की तलाश की जानी चाहिये। स्थायी समाधान पाने के लिये उनके असंतोष के मूल कारणों को चिह्नित करना और उन्हें संबोधित करना आवश्यक है।
  - शांति निर्माण प्रयासों में तटस्थ मध्यस्थों, नागरिक समाज संगठनों और समुदाय के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
- **मानवाधिकार संरक्षण:**
  - मानवाधिकारों की सुरक्षा, विशेषकर संघर्ष क्षेत्रों में, सुनिश्चित की जानी चाहिये। आजमाया जा रहा कोई भी सुरक्षा उपाय विधि के शासन के अनुरूप हो और संपार्श्विक क्षति एवं नागरिक क्षति को कम करने के प्रयास किये जाने चाहिये।
- **दीर्घकालिक रणनीतिक योजना:**
  - एक व्यापक, दीर्घकालिक रणनीति विकसित की जाए जो सतत विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी शासन पर केंद्रित हो। इस तरह के दृष्टिकोण का उद्देश्य उन अंतर्निहित मुद्दों का समाधान करना होगा जो विद्रोह में योगदान करते हैं।

निष्कर्ष:

सरकार वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के लिये सक्रिय रूप से विभिन्न रणनीतियाँ लागू कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत में वामपंथी उग्रवाद अपने अंतिम दिन देख रहा है और अगले दो वर्षों में इसके पूर्ण उन्मूलन की उम्मीद है। प्रमुख सरकारी प्राथमिकताओं में माओवादियों का मुक़ाबला करने के लिये केंद्रीय बलों को तैनात करना, विकास प्रयासों को सुव्यवस्थित करना और उन क्षेत्रों में सुरक्षा शिविर स्थापित करना शामिल है जहाँ प्रशासनिक पैठ चुनौतीपूर्ण रही है।

भारत का दल-बदल विरोधी कानून: चुनौतियाँ और समाधान

संसद ने दीर्घकालिक विधायी भटकाव के बाद राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाने के लिये दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) को लागू किया था। 1960 के दशक में दल-बदल की घटनाओं की बड़ी संख्या, तीव्रता, लापरवाही और अनियंत्रित उदासीनता को देखते हुए इसे लागू किया गया था और इससे दल-बदल की घटनाएँ लगभग बंद हो गई। दल-बदल के कारण न केवल बार-बार सरकारों का पतन होता रहा था, बल्कि राजनीतिक दलों के अंदर व्यापक अस्थिरता भी उत्पन्न हुई जहाँ सत्तालोलुप राजनेताओं ने राजनीतिक दलों के लिये भारी समस्याएँ पैदा कर दी थीं।

दल-बदल विरोधी कानून (Anti Defection Law):

- **कानून:**
  - दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल) सदन सदस्यों (संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल सदस्य) द्वारा बार-बार दल-बदल पर अंकुश लगाने के लिये लागू किया गया था।
    - इसे वर्ष 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया।
  - यह ऐसे मामलों में निर्वाचित सदन सदस्य को सदन से निरर्हित या अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है, जहाँ वे स्वेच्छा से दल बदल लेते हैं या अपने दल के निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करते हैं।
- **दल-बदल के आधार पर निरर्हता:**
  - यदि वह स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
    - रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दल-बदल विरोधी कानून के तहत निरर्हता के लिये किसी सांसद या विधानमंडल सदस्य के औपचारिक रूप से अपने दल से त्याग-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था: स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ना औपचारिक रूप से त्याग-पत्र देने का पर्याय नहीं है... सदस्यता से औपचारिक त्याग-पत्र के अभाव में भी किसी सदस्य के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ दी है जिससे वह संबद्ध रहा था।
    - राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य एवं अन्य (2007) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के गठन के लिये किसी दूसरे पक्ष के नेता को आमंत्रित करने के लिये राज्यपाल से अनुरोध करने वाला पत्र सौंपना भी स्वेच्छा से अपने मूल दल की सदस्यता छोड़ देने के समान होगा।
  - यदि वह अपने राजनीतिक दल या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पूर्व अनुज्ञा के बिना निदेश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान से विरत रहता है।
  - यदि सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप से सदस्य निर्वाचित हुआ है और निर्वाचन के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।
    - बालचंद्र एल. जारकीहोली बनाम बी.एस. येदियुरप्पा (2010) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन सरकार के मंत्रालय में शामिल होने वाले स्वतंत्र (निर्दलीय) विधायक, सत्तारूढ़ दल में शामिल हुए बिना, अपनी निर्दलीय पहचान को नहीं खोएँगे। इस प्रकार, मंत्रिपरिषद में उनका शामिल होना निरर्हता का आधार नहीं होगा।
- **दल-बदल विरोधी कानून के अपवाद या छूट:**
  - किसी सदस्य को निरर्हित नहीं ठहराया जाएगा यदि:
    - उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय हो जाता है तथा वह और मूल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस विलय के लिये सहमत होते हैं।
    - वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन के तहत एक तिहाई सदस्यों के एक अलग समूह बना लेने पर अयोग्यता से छूट (जैसा इस संशोधन से पूर्व लागू नियम था) को निरस्त कर दिया गया।
    - यदि उसने या उसकी दल के किसी अन्य सदस्य ने विलय को स्वीकार नहीं किया है और एक अलग समूह के रूप में कार्य करने का विकल्प चुना है।
    - यदि वह अपने मूल दल से अलग हो जाता है, लेकिन किसी अन्य दल में शामिल नहीं होता है।

दल-बदल विरोधी कानून से संबद्ध प्रमुख मुद्दे:

- **यह लोकतंत्र के विचार को कमज़ोर करता है:** यह सदन सदस्यों के वाक्-स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य को प्रतिबंधित कर प्रतिनिधिक एवं संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करता है और उन्हें उनको निर्वाचित करने वाले मतदाताओं के बजाय अपने दल के नेताओं के प्रति जवाबदेह बनाता है।
- **निर्धारित समयसीमा का अभाव:** कानून में दल-बदल के मामलों पर निर्णय लेने के लिये एक स्पष्ट एवं समयबद्ध तंत्र का अभाव है और सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारियों के विवेक पर छोड़ देता है जो पक्षपाती या राजनीतिक दबाव से प्रभावित हो सकते हैं।
  - हालाँकि, केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधान सभा एवं अन्य (2020) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधानसभाओं और संसद के अध्यक्षों/सभापति को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तीन माह की अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय कर लेना होगा।
- **अभी भी दल-बदल की अनुमति:** कानून के अंतर्गत अभी भी सदस्यों के किसी समूह को बिना किसी दंड के अन्य दल में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है, यदि वह अपने मूल दल के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों से मिलकर बना समूह हो। यह दलों के अवसरवादी और अनैतिक विलय एवं विभाजन के लिये अवसर उत्पन्न करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता एवं अखंडता को कमज़ोर करता है।
  - इस तरह यह विधायकों की खरीद-फरोख्त या 'हॉर्स-ट्रेडिंग' को बढ़ावा देता है।
- **मूल कारणों को संबोधित नहीं करना:** यह दल-बदल के मूल कारणों— जैसे कि दल के अंदर लोकतंत्र की कमी, भ्रष्टाचार और चुनावी कदाचार को संबोधित नहीं करता है। यह राजनीतिक दलों को दल-बदलुओं को लुभाने या दल में शामिल करने से निषिद्ध नहीं करता है और इस प्रकार दल-बदल की घटना को रोकने में विफल रहता है।

दल-बदल विरोधी कानून को सबल करने के लिये कौन-से कदम उठाये जाने चाहिये?

- **प्रक्रियात्मक मुद्दों का समाधान:**
  - अधिनिर्णय की शक्ति में बदलाव: सदन के अध्यक्ष/सभापति द्वारा दल-बदल के मामलों पर निर्णय लेने की वर्तमान प्रथा पूर्वाग्रह और राजनीतिक प्रभाव के संबंध में चिंता पैदा करती है। अधिनिर्णय की शक्ति निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था को सौंपने से निष्पक्षता बढ़ सकती है।
    - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा की थी कि दल-बदल के आधार पर सदस्यों की निरर्हता का मुद्दा निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिये।
  - समयबद्ध निर्णय: दल-बदल के मामलों पर निर्णय लेने के लिये कठोर समयसीमा निर्धारित करने से दीर्घकालिक अनिश्चितता एवं राजनीतिक हेरफेर को रोका जा सकेगा।
  - न्यायिक सहारा: कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में सीधे अपील की अनुमति देने से मनमाने निर्णयों के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।
- **दलीय जवाबदेही को सुदृढ़ करना:**
  - आंतरिक लोकतंत्र: दल के अंदर लोकतंत्र और पारदर्शिता को लागू करने के लिये विनियमनों के निर्माण से सदन सदस्यों का मोहभंग कम हो सकता है और दलों के भीतर असंतोष से प्रेरित दल-बदल पर अंकुश लग सकता है।
  - पार्टी फंडिंग में सुधार: दलीय वित्तपोषण या पार्टी फंडिंग को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने से राजनीति में धन शक्ति का प्रभाव कम हो सकता है जो दल-बदल को प्रोत्साहित करता है।
  - एंटी-पोचिंग उपायों का क्रियान्वयन: पदों या लाभों की पेशकश करने के माध्यम से दल-बदल को प्रेरित करने के प्रयासों को प्रतिबंधित करना या दंडित करना ऐसे अभ्यासों को हतोत्साहित कर सकता है।
- **स्थिरता और जवाबदेही को संतुलित करना:**
  - विलय को छूट: राजनीतिक दलों के उपयुक्त विलय के मामले में दल-बदल को छूट देना स्थिरता को हानि पहुँचाए बिना राजनीतिक पुनर्गठन को प्रोत्साहित कर सकता है।
  - जनहित संबंधी विचार: दल-बदल के मामलों में सार्वजनिक हित का आकलन करने के लिये एक तंत्र की शुरुआत करना—जहाँ केवल तभी निरर्हता की अनुमति हो जब यह स्पष्ट रूप से जनहित को क्षति पहुँचाए, स्थिरता और जवाबदेही के बीच संतुलन का निर्माण कर सकता है।
  - असहमति का अधिकार: विशिष्ट मुद्दों पर असहमति जताने के सदन सदस्यों के अधिकार को मान्यता देने से (जहाँ वे निरर्हित होने के दबाव से मुक्त हों) विधायिका के भीतर स्वस्थ बहस एवं स्वतंत्र विचार को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अन्य देश दल-बदल से कैसे निपट रहे हैं?**
  - यूके: यूनाइटेड किंगडम में राजनीतिक दल-बदल कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है, लेकिन दल-बदलुओं को अपने

दल और मतदाताओं की ओर से बदले की कार्रवाई या प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इन कार्रवाइयों में दलीय विशेषाधिकारों का खोना, अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना और रिकॉल पेटीशन (recall petitions) या उप-चुनाव (by-elections) जैसी कानूनी चुनौतियों का जोखिम उठाना शामिल हो सकता है।

- यूएसए: इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल-बदल के विरुद्ध किसी विशिष्ट कानून का अभाव है। हालाँकि ये घटनाएँ दुर्लभ हैं, फिर भी वैचारिक या रणनीतिक कारणों से दल-बदल हो सकता है। मूल दल, मतदाताओं और मीडिया की ओर से प्रतिक्रिया या 'बैकलैश' का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दल-बदलुओं को नया समर्थन भी हासिल हो सकता है। नए पार्टी लेबल के तहत पुनर्निर्वाचन के लिये मैदान में उतरना राजनीतिक माहौल के आधार पर चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान में दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाकर लोकतांत्रिक स्थिरता का निर्माण करना है। इसके महत्त्व के बावजूद, सदन सदस्यों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने और प्रक्रियात्मक मुद्दों जैसी चुनौतियाँ सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से प्रेरित प्रस्तावित कदमों का उद्देश्य स्थिरता और जवाबदेही को संतुलित करना है। दल विलय और जनहित के मामलों में छूट को मान्यता देते हुए, भारत के गतिशील राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने के लिये इस कानून को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे एक सशक्त लोकतंत्र सुनिश्चित हो सकेगा।

भारत की इथेनॉल क्रांति: प्रगति और चुनौतियाँ

दुबई में आयोजित COP28 में 100 से अधिक देशों द्वारा वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के संकल्प के बीच भारत को अपने इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य के संबंध में एक कठिन राह का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol- EBP) वर्ष 2013-14 में 1.6% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 11.8% हो गया, वर्ष 2022-23 में कम चीनी स्टॉक और इस वर्ष गन्ना उत्पादन में आसन्न कमी के कारण वर्ष 2025 तक 20% का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो गया है। इस परिदृश्य में सरकार लक्ष्य को पूरा करने के लिये अनाज आधारित इथेनॉल की ओर एक वृहत संक्रमण पर विचार कर रही है।

इथेनॉल डिस्टिलरीज़ हेतु मक्का की खरीद के लिये हाल ही में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) को सौंपी गई प्राधिकारिता इस संक्रमण पर बल देने का संकेत देती है और यह इथेनॉल के लिये एक संगठित मक्का फीड से समर्थित आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देगी। हालाँकि, इससे अर्थव्यवस्था के लिये और अधिक चुनौतियाँ उत्पन्न होने का जोखिम है।

इथेनॉल:

- **इथेनॉल:** इथेनॉल (Ethanol) एक कार्बनिक यौगिक है। यह पारदर्शी, रंगहीन द्रव है जो ज्वलनशील है और इसकी एक विशिष्ट गंध होती है।
  - उत्पादन: इसे खमीर द्वारा शर्करा के किण्वन (fermentation) के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है, जो एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग मादक पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। इसे रासायनिक प्रक्रियाओं, जैसे एथिलीन के जलयोजन (hydration of ethylene) के माध्यम से भी संश्लेषित किया जा सकता है।
  - उपयोग:
    - पेय पदार्थ: इथेनॉल अल्कोहल का एक प्रकार है जो मादक पेय पदार्थों मो पाया जाता है। सामाजिक रूप से इसका सेवन बीयर, वाइन और स्पिरिट जैसे विभिन्न रूपों में किया जाता है।
    - ईंधन: इसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है और इथेनॉल सम्मिश्रित ईंधन का उत्पादन करने के लिये इसे प्राय: गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है।
    - औद्योगिक विलायक: विभिन्न प्रकार के पदार्थों को घोल सकने की इसकी क्षमता के कारण इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, इत्र और अन्य उत्पादों के निर्माण में विलायक (Solvent) के रूप में किया जाता है।
    - चिकित्सा और प्रयोगशाला उपयोग: इथेनॉल का उपयोग चिकित्सा और प्रयोगशाला में एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक और परिरक्षक (preservative) के रूप में किया जाता है।
    - रासायनिक फीडस्टॉक: यह विभिन्न रसायनों के उत्पादन के लिये फीडस्टॉक के रूप में कार्य करता है।

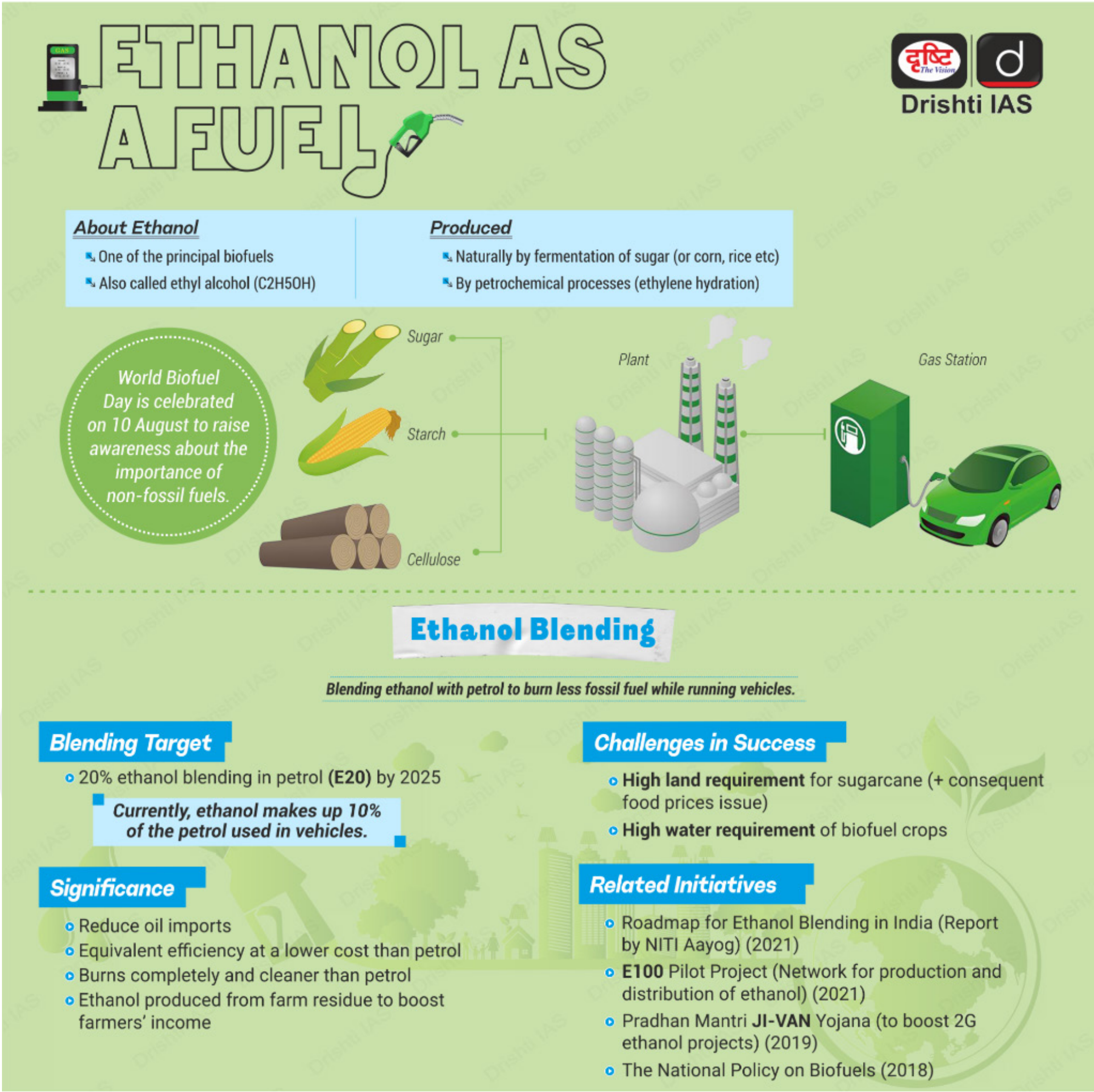

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Program- EBP):

- EBP पेट्रोल में इथेनॉल—जो नवीकरणीय एवं पर्यावरण-अनुकूल ईंधन है, के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की एक पहल है।
- यह कार्यक्रम अन्य देशों से ईंधन के आयात को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करने और चीनी उद्योग में मूल्यवर्द्धन की वृद्धि करने का लक्ष्य रखता है।
- इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (Ethanol Supply Year- ESY) 2021-22 के लिये 'भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिये रोडमैप 2020-25' में निर्धारित 10% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies- OMCs) ने देश भर में E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल सम्मिश्रित) की बिक्री शुरू कर दी है।
  - इसके अलावा, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (National Policy on Biofuels) 2018 में ESY 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है।
- इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से चीनी उद्योग के एक सह-उत्पाद शीरा (molasses) से किया जाता है, लेकिन इसके उत्पादन के लिये गन्ने का रस, चीनी, चीनी सिरप और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे अन्य कच्चे माल का भी उपयोग किया जा सकता है।

- सरकार ने EBP के तहत इथेनॉल की खरीद एवं आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिये कई कदम उठाए हैं, जैसे लाभकारी मूल्य तय करना, प्रक्रिया को सरल बनाना, उत्पाद शुल्क से छूट और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- प्रभावी सरकारी नीतियों के कारण ESY 2013-14 से ESY 2022-23 तक OMCs को इथेनॉल की आपूर्ति में 13 गुना वृद्धि हुई।
  - सम्मिश्रण प्रतिशत भी ESY 2013-14 में 1.53% से बढ़कर ESY 2022-23 में लक्षित 12% तक पहुँच गया।

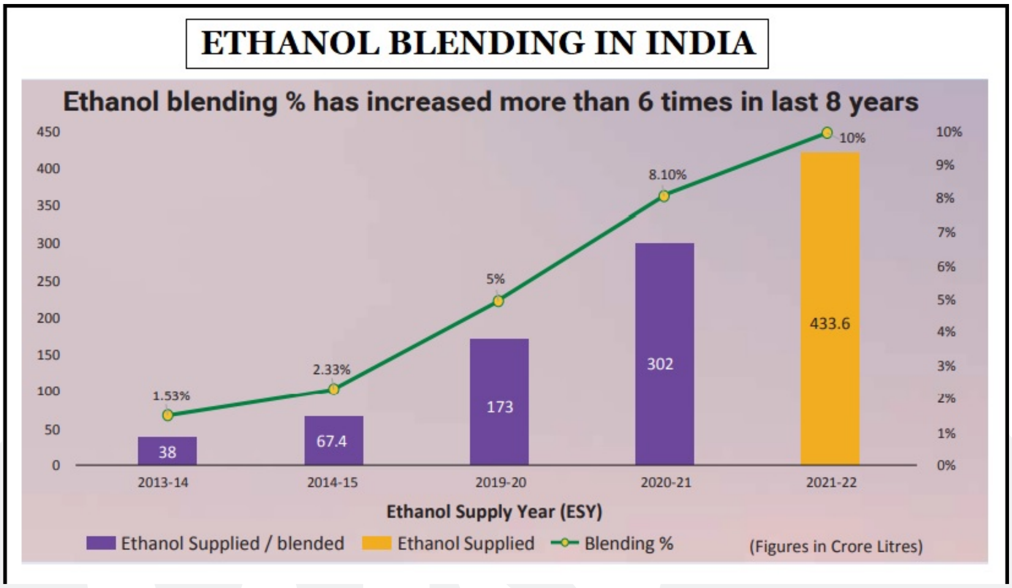

ईंधन में इथेनॉल सम्मिश्रण का महत्त्व:

- **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना:** भारत अपना अधिकांश तेल आयात करता है जो इसे वैश्विक बाज़ारों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है। इथेनॉल का उपयोग कर भारत अपने तेल आयात को कम कर सकता है और अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है।
- **पर्यावरण की रक्षा:** इथेनॉल गैसोलीन की तुलना में अधिक स्वच्छ रूप से दहन करता है, जिसका अर्थ है कि यह वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन में योगदान करने वाले हानिकारक उत्सर्जन का कम उत्पादन करता है। इथेनॉल का उपयोग कर भारत अपनी वायु गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकता है।
  - भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के एक अध्ययन के अनुसार पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन 30-50% और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन 20% तक कम हो सकता है।
- **किसानों को सहायता:** इथेनॉल उत्पादन के लिये गन्ना या मक्के जैसे कृषि आदानों की आवश्यकता होती है। इथेनॉल का उपयोग कर भारत इन फसलों के लिये एक नई मांग पैदा कर सकता है, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदायों की आय एवं आजीविका को बढ़ावा मिल सकता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना:** इथेनॉल ऊर्जा का एक घरेलू और विविध स्रोत है, जो ऊर्जा के एकल एवं विदेशी स्रोत पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है। इथेनॉल का उपयोग कर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और प्रत्यास्थता की वृद्धि कर सकता है।
- **आर्थिक लाभ उत्पन्न करना:** इथेनॉल सम्मिश्रण इथेनॉल उद्योग के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, जो नए रोज़गार, निवेश एवं नवाचार पैदा कर सकता है। यह भारत को अधिक सतत एवं और आधुनिक ऊर्जा प्रणाली विकसित करने में भी मदद कर सकता है।
  - इथेनॉल सम्मिश्रण से देश को प्रति वर्ष 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (30,000 करोड़ रुपए) की बचत हो सकती है।
- **उन्नत वाहन प्रदर्शन:** इथेनॉल की गैसोलीन की तुलना में अधिक ऑक्टेन रेटिंग (octane rating) है, जिसका अर्थ है कि यह इंजन के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है और वाहनों की नॉकिंग टेंडेंसी को कम कर सकता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण की सीमाएँ:

- **फीडस्टॉक उपलब्धता और लागत:** इथेनॉल उत्पादन के लिये गन्ना, मक्का या लिग्नोसेल्यूलोसिक (lignocellulosic) सामग्री जैसे बायोमास की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है जो फिर इन उत्पादों के खाद्य, चारे या अन्य उपयोगों के साथ

प्रतिस्पर्द्धा कर सकती है। फीडस्टॉक की उपलब्धता और लागत अवधि, मौसम, बाज़ार एवं नीति दशाओं के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है।

- **खाद्य सुरक्षा के साथ संघर्ष:** इथेनॉल उत्पादन के लिये मक्के का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से खाद्य सुरक्षा के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है।
  - गन्ने के मामले में, इथेनॉल का उत्पादन शीरे (C-heavy/B-heavy) को संसाधित कर किया जाता है और यह चीनी उत्पादन के साथ न्यूनतम ट्रेड-ऑफ का निर्माण करता है।
  - बी-हैवी शीरा सी-हैवी शीरा की तुलना में कम चीनी का उत्पादन करता है, लेकिन दोनों गन्ने से एक साथ चीनी और इथेनॉल का उत्पादन करते हैं।
  - लेकिन इथेनॉल के उत्पादन के लिये मक्के का उपयोग प्रत्यक्षत: खाद्य या पशु चारे के रूप में इसके उपयोग को कम कर देता है।
    - यह न केवल अनाज को ईंधन उपयोग की ओर मोड़ता है, बल्कि मांग पक्ष के माध्यम से खाद्य कीमतों को कच्चे तेल की कीमतों से प्रत्यक्षत: जोड़ देता है।
- **रूपांतरण दक्षता और प्राप्ति:** इथेनॉल उत्पादन में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे प्री-ट्रीटमेंट, हाइड्रोलिसिस, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन, जिसमें फीडस्टॉक के प्रकार एवं गुणवत्ता, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और परिचालन स्थितियों के आधार पर अलग-अलग क्षमताएँ एवं प्राप्ति (yield) हो सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास, जो गन्ने या मकई की तुलना में अधिक प्रचुर और विविध है, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज को किण्वित शर्करा में तोड़ने के लिये अधिक गहन एवं जटिल प्री-ट्रीटमेंट एवं हाइड्रोलिसिस की आवश्यकता रखता है।
  - इथेनॉल की रूपांतरण दक्षता और प्राप्ति उत्पादन प्रक्रिया की आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय प्रभाव को भी प्रभावित करती है।
- **अवसंरचना और वितरण:** इथेनॉल उत्पादन अंतिम उपयोगकर्ताओं तक फीडस्टॉक एवं ईंधन के परिवहन, भंडारण और वितरण के लिये पर्याप्त अवसंरचना एवं वितरण प्रणालियों की आवश्यकता रखता है। इसमें उच्च पूंजी एवं परिचालन लागत के साथ-साथ लॉजिस्टिक एवं नियामक चुनौतियाँ संलग्न हो सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, इथेनॉल संक्षारक एवं आर्द्रताग्राही (corrosive and hygroscopic) है, जिसका अर्थ है कि यह गैसोलीन या डीजल के लिये डिज़ाइन किये गए मौजूदा पाइपलाइनों, टैंकों एवं पंपों को क्षति पहुँचा सकता है या दूषित कर सकता है।
- **वाहन अनुकूलता और प्रदर्शन:** इथेनॉल उत्पादन के लिये ऐसे अनुकूल और कुशल वाहनों की आवश्यकता होती है जो इथेनॉल सम्मिश्रित ईंधन या शुद्ध इथेनॉल पर चल सकें। इसके लिये वाहनों के इंजन, ईंधन प्रणाली और उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों में संशोधन या अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही ड्राइविंग व्यवहार एवं रखरखाव अभ्यासों में भी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये, इथेनॉल में गैसोलीन की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है, जिसका अर्थ है कि समान मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने के लिये अधिक मात्रा में इथेनॉल की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन एवं भंडारण लागत अधिक होती है।

इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाये गए हैं?

- **विभेदक इथेनॉल मूल्य निर्धारण (Differential Ethanol Pricing):** सरकार ने सी-हैवी शीरा, बी-हैवी शीरा, गन्ने का रस/चीनी/चीनी सिरप और खराब खाद्यान्न या चावल से प्राप्त इथेनॉल के लिये अलग-अलग कीमतें तय की हैं।
  - आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा उत्पादन लागत, उपलब्धता और मांग जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर वार्षिक रूप से कीमतें संशोधित की जाती हैं।
  - विभेदक मूल्य निर्धारण नीति के परिणामस्वरूप इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के लिये इथेनॉल की आपूर्ति में वृद्धि हुई है और वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर सकने में मदद मिली है।
- **ब्याज छूट योजनाएँ (Interest Subvention Schemes):** EBP कार्यक्रम के तहत निर्धारित सम्मिश्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने जुलाई 2018 से अप्रैल 2022 तक विभिन्न इथेनॉल ब्याज छूट योजनाएँ अधिसूचित की।
  - इन इथेनॉल ब्याज छूट योजनाओं के तहत, सरकार उद्यमियों को देश भर में नई डिस्टिलरीज़ (गुड़ आधारित, अनाज आधारित और दोहरे फ़ीड आधारित) स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरीज (शीरा आधारित, अनाज आधारित और दोहरे फीड आधारित) का विस्तार करने की सुविधा दे रही है।

- बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट या बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा वसूल किये जाने वाले ब्याज दर का 50% (इनमें जो भी कम हो) का वहन पाँच वर्षों के लिये (एक वर्ष के मोरेटोरियम के साथ) केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

- **कर राहत:** अमिश्रित पेट्रोल की तुलना में E10 और E20 सम्मिश्रण पर कम कर लगाया जाता है, जिससे वे उपभोक्ताओं के लिये अधिक लागत-प्रतिस्पर्द्धी बन जाते हैं।
  - पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल के लिये निम्न उत्पाद शुल्क और GST दरें लागू की गई हैं।
- **E20-अनुकूल वाहनों के लिये प्रोत्साहन:** उच्च इथेनॉल सम्मिश्रण के अनुकूल वाहनों के निर्माताओं और खरीदारों के लिये कर लाभ एवं अन्य प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है।

इथेनॉल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये आगे की राह:

- **उत्पादन को बढ़ावा देना:**
  - फीडस्टॉक में विविधता लाना: सेलुलोजिक बायोमास, अपशिष्ट कागज और कृषि अवशेषों जैसे गैर-खाद्य स्रोतों से उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। इससे खाद्य सुरक्षा के साथ प्रतिस्पर्द्धा कम होगी और अपशिष्ट का उपयोग हो सकेगा।
  - 2G और 3G जैव ईंधन का समर्थन करना: गैर-खाद्य संसाधनों का उपयोग करने वाली दूसरी और तीसरी पीढ़ी की इथेनॉल उत्पादन प्रौद्योगिकियों के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश किया जाए।
  - उत्पादन क्षमता का विस्तार करना: वित्तीय सहायता और सुव्यवस्थित नौकरशाही प्रक्रियाओं के माध्यम से नई इथेनॉल डिस्टिलरीज़ की स्थापना और मौजूदा भट्टियों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया जाए।
  - क्षेत्रीय उत्पादन को बढ़ावा देना: परिवहन लागत को कम करने और लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने के लिये ईंधन डिपो के निकट डिस्टिलरी स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करें।
- **नीति और बाज़ार तंत्र:**
  - सम्मिश्रण स्तर को बढ़ाना: अनिवार्य इथेनॉल सम्मिश्रण प्रतिशत को वर्तमान लक्ष्य (वर्ष 2025 तक 20%) से धीरे-धीरे ऊपर ले जाएँ। यह इथेनॉल उत्पादकों के लिये एक गारंटीकृत बाज़ार का निर्माण करेगा।
  - दीर्घकालिक अनुबंध: इथेनॉल उत्पादन में स्थिर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये तेल विपणन कंपनियों के साथ निश्चित मूल्य अनुबंध की पेशकश की जाए।
  - अनुसंधान और विकास का समर्थन करना: सम्मिश्रण अनुपात को इष्टतम करने, इंजन की अनुकूलता संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और कुशल रूपांतरण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में अनुसंधान कार्य में निवेश किया जाना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकीय उन्नति:**
  - अवसंरचना को बेहतर बनाना: कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये इथेनॉल के भंडारण एवं परिवहन संबंधी अवसंरचना में निवेश करें।
  - वाहन अनुकूलता: उच्च इथेनॉल मिश्रण के अनुकूल इंजन और वाहन विकसित करने के लिये ऑटोमोबाइल निर्माताओं के साथ मिलकर कार्य करें।
  - गुणवत्ता नियंत्रण: ईंधन प्रदर्शन और वाहन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इथेनॉल उत्पादन और सम्मिश्रण के लिये कड़े गुणवत्ता मानकों को लागू करें।
- **जन जागरूकता और शिक्षा:**
  - जागरूकता अभियान: उपभोक्ताओं को इथेनॉल सम्मिश्रण के लाभों के बारे में शिक्षित करें, वाहनों पर इसके प्रभाव के बारे में विद्यमान मिथकों को दूर करें और इसे अपनाने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करें।
  - पारदर्शिता और लेबलिंग: उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के बारे में सूचित करने के लिये पेट्रोल स्टेशनों पर इथेनॉल सम्मिश्रित ईंधन की स्पष्ट लेबलिंग सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष:

भारत ने अपने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले 8-10 वर्षों के दौरान इस उपलब्धि ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, बल्कि 41,500 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी मुद्रा प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में 27 लाख मीट्रिक टन (MT) की कमी और किसानों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के त्वरित भुगतान के रूप में भी प्रकट हुआ है।

भारतीय शिक्षा में रूपांतरण: दीर्घकालिक दृष्टिकोण

वर्ष 2030 तक भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी मौजूद होगी। जनसंख्या का यह वृहत आकार तभी वरदान सिद्ध होगा जब ये युवा कार्यबल में शामिल हो सकने के लिये पर्याप्त कुशल होंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी। लेकिन शिक्षा की वर्तमान स्थिति को पर्याप्त अवसंरचना की कमी, शिक्षा पर निम्न सरकारी व्यय (जीडीपी के 3.5% से भी कम) और प्राथमिक विद्यालयों में निम्न छात्र-शिक्षक अनुपात—जो शिक्षा के लिये एकीकृत जिला

सूचना प्रणाली (Unified District Information System For Education- UDISE) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 24:1 है, जैसी कई प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिदृश्य में यह उपयुक्त समय होगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जाए और आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण अपनाए जाएँ जो उत्तरदायी एवं प्रासंगिक हों। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी जीवंत बनाया जाए ताकि इसके उद्देश्य साकार हो सकें।

भारत में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति

- **इतिहास:**
  - प्राचीन भारत में 'गुरुकुल' शिक्षा परंपरा पाई जाती थी जहाँ शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा में विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली पाई जाती थी। तब विश्व भर के छात्र भारतीय ज्ञान प्रणालियों की ओर आकर्षित हुए थे।
  - ब्रिटिश सरकार मैकाले समिति अनुशंसा, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन रिपोर्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट (1904) आदि के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में विभिन्न सुधार लेकर आई जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा।
- **भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति:**
  - भारत में साक्षरता में लैंगिक अंतराल वर्ष 1991 से कम होना शुरू हुआ जहाँ तेज़ी से सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ा गया। हालाँकि भारत में वर्तमान महिला साक्षरता दर अभी भी वैश्विक औसत 87% से पर्याप्त कम है, जैसा कि वर्ष 2015 में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा रिपोर्ट किया गया था।
  - इसके अलावा, भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है जो वैश्विक औसत 86.3% से कम है। भारत में कई राज्य इस औसत सीमा के भीतर आते हैं जहाँ साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से कुछ ऊपर है।

Table 1
Literacy Rate Trend in India 1951-2011

Census Year	Persons	Decadal Increase	Males	Females	Gender gap
1951	18.33		27.16	8.86	18.30
1961	28.3	9.97	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	6.15	45.96	21.97	23.99
1981	43.57	9.12	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	8.64	64.13	39.29	24.84
2001	64.83	12.62	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	9.21	82.14	65.46	16.68

- **विभिन्न विधिक एवं संवैधानिक प्रावधान:**
  - विधिक प्रावधान:
    - सरकार ने प्राथमिक स्तर (6-14 वर्ष) के लिये शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के एक भाग के रूप में सर्व शिक्षा अभियान(SSA) को कार्यान्वित किया है।
    - माध्यमिक स्तर (आयु वर्ग 14-18) की ओर बढ़ते हुए सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से SSA का विस्तार माध्यमिक शिक्षा तक किया है।
    - उच्चतर शिक्षा—जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और एमफिल/पीएचडी स्तर शामिल हैं, को सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के माध्यम से संबोधित किया जाता है ताकि उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
  - इन सभी योजनाओं को 'समग्र शिक्षा अभियान' की छत्र योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
  - संवैधानिक प्रावधान:
    - राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP) के अनुच्छेद 45 में आरंभ में यह निर्धारित किया गया था कि सरकार को संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिये।

- बाद में अनुच्छेद 45 को संशोधित करते हुए इसके दायरे का विस्तार छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिये किया गया।
  - चूँकि यह उद्देश्य साकार नहीं हो सका, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया जिससे प्रारंभिक शिक्षा को निदेशक तत्व के बजाय मूल अधिकार में बदल दिया गया।

भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली से संबद्ध प्रमुख मुद्दे

- **सरकार का चुनाव-प्रेरित फोकस:**
  - चुनावों के दौरान गरीबों को सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त होती है जहाँ फिर मुफ्त सुविधाओं/फ्रीबीज़ और गारंटी जैसी तात्कालिक ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। जबकि लोग आय सुरक्षा और बेहतर बुनियादी हक़दारियों (entitlements) की आकांक्षा रखते हैं, वे शिक्षा, स्वास्थ्य, वास दशाओं आदि के संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में सशंकित होते हैं।
- **शिक्षा क्षेत्र का संकट:**
  - लापरवाह वाणिज्यीकरण और राजनीतिकरण के कारण शिक्षा क्षेत्र संकट में है। इसमें चरण-दर-चरण रणनीति और राष्ट्रीय सहमति का अभाव है तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ठोस निवेश के विकल्प के रूप में प्रौद्योगिकी जैसे आसान समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **एडुटेक (Edutech) की सीमाएँ :**
  - पुस्तक 'द लर्निंग ट्रैप' (The Learning Trap) में बदहाल शिक्षा प्रणाली को बेहतर कर सकने में प्रौद्योगिकी की सीमाओं को उजागर किया गया है। एडुटेक स्टार्ट-अप (जैसे Byju's) अपने वादों की पूर्ति में विफल रहे हैं जो प्रौद्योगिकीय समाधानों के बजाय अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता को इंगित करता है।
- **ट्यूशन उद्योग का प्रभाव:**
  - 58 बिलियन रुपए से अधिक मूल्य का ट्यूशन उद्योग तेज़ी से विस्तार कर रहा है। हाई स्कूल परीक्षाओं का अवमूल्यन और पेशेवर करियर के प्रवेश द्वार के रूप में राष्ट्रीय परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली सरकारी नीतियाँ इस समानांतर शिक्षा प्रणाली के विकास में योगदान देती हैं।
- **ट्यूशन केंद्रों को प्राथमिकता:**
  - माता-पिता द्वारा नियमित स्कूलों के बजाय ट्यूशन केंद्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य समस्या और तनाव के कारण आत्महत्या जैसी घटनाओं की वृद्धि हो रही है। सुशिक्षित और कम-शिक्षित छात्रों के बीच का विभाजन बढ़ता जा रहा है।
- **स्कूलों में गुणवत्ता की भिन्नता:**
  - भारत के सार्वजनिक और निजी स्कूलों में गुणवत्ता के अलग-अलग स्तर पाए जाते हैं, जहाँ अपर्याप्त प्रशिक्षित एवं वेतनभोगी शिक्षक ट्यूशन केंद्रों के उभार में योगदान दे रहे हैं। स्वयं के स्कूल संचालन पर सरकार का ध्यान निगरानी एवं गुणवत्ता सुधार की उपेक्षा करता है।
- **शैक्षिक विभाजन का विस्तार:**
  - अमीर और गरीब के बीच शैक्षिक विभाजन बढ़ रहा है, जहाँ छात्रों की दूसरी श्रेणी एक असफल प्रणाली के भीतर संघर्ष कर रही है। शिक्षण सामग्री के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में नवीनता का अभाव है और यह बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने में विफल है।
- **सामाजिक भागीदारी का अभाव:**
  - शिक्षा को केवल सरकारी उत्तरदायित्व के बजाय एक सामाजिक सरोकार बनना चाहिये, जिसका भारतीय संदर्भ में अभाव पाया जाता है।
    - समाधानों में सामाजिक भागीदारी को व्यापक बनाना, नागरिक समाज को संलग्न करना और स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करना शामिल है; इसमें शिक्षकों को परिणामों के लिये जवाबदेह बनाना भी शामिल है।
- **शिक्षा पर अपर्याप्त व्यय:**
  - भारत का शिक्षा व्यय अपर्याप्त है जो सकल घरेलू उत्पाद के 2.61% पर गतिहीन बना हुआ है। यह 'एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन' द्वारा अनुशंसित 6% से पर्याप्त कम है। वास्तविक वृद्धि एवं विकास के लिये पर्याप्त ध्यान और बजट आवंटन में वृद्धि का अभाव है।
- **राजनीतिक नेतृत्व और राजकोषीय कल्पना:**
  - वास्तविक वृद्धि और विकास राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता और राजकोषीय कल्पना पर निर्भर करता है। शिक्षा पर भारत का व्यय कम बने रहने के कारण एक ऐसा बुनियादी बदलाव घटित नहीं हो रहा जो चुनौतियों का सामना कर सके और शिक्षा में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सके।
- स्कूलों में अपर्याप्त अवसंरचना:
  - UDISE (2019-20) के अनुसार, केवल 12% स्कूलों में इंटरनेट सुविधाएँ और 30% में कंप्यूटर मौजूद हैं।

नोट :

- इनमें से लगभग 42% स्कूलों में फर्नीचर की कमी थी, 23% में बिजली की कमी थी, 22% में शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिये रैंप की कमी थी और 15% में 'वॉश' (WASH) सुविधाओं—जिसमें पेयजल, शौचालय और हाथ धोने के बेसिन शामिल हैं, की कमी थी।

- **उच्च ड्रॉपआउट दर:**
  - प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर अत्यंत उच्च है। 6-14 आयु वर्ग के अधिकांश छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इससे वित्तीय और मानव संसाधनों की बर्बादी होती है।
    - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, वर्ष 2019-20 स्कूल वर्ष से पहले स्कूल छोड़ने के लिये 6 से 17 वर्ष की आयु वर्ग की 21.4% बालिकाओं और 35.7% बालकों द्वारा पढ़ाई में रुचि न होने को कारण बताया गया।

भारत में शिक्षा प्रणाली के दीर्घकालिक समाधान क्या हो सकते हैं?

- **अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण (Experiential Learning Approach) की ओर आगे बढ़ना:**
  - छात्रों को व्यावहारिक अधिगम अनुभव प्रदान करने और कार्यबल में प्रवेश करने पर बाहरी दुनिया का सामना कर सकने में उन्हें तैयार करने के लिये स्कूली पाठ्यक्रम में समस्या-समाधान और निर्णय-निर्माण से संबंधित विषयों को शामिल करने की आवश्यकता है।
    - अनुभवात्मक अधिगम प्रत्येक छात्र से सक्रिय भागीदारी प्राप्त कर सकने की अपनी क्षमता के माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है, जो बदले में उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता (emotional intelligence) को उत्प्रेरित करती है और उन्हें स्व-अधिगम के (self-learning) मार्ग पर आगे बढ़ाती है।
    - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को शैक्षिक क्षेत्र से संबद्ध करने से अनुभवात्मक अधिगम की सुविधा भी मिलेगी।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का कार्यान्वयन:**
  - NEP का कार्यान्वयन शिक्षा प्रणाली की तंद्रा को तोड़ने में मदद कर सकता है।
  - वर्तमान 10+2 प्रणाली से हटकर 5+3+3+4 प्रणाली में आगे बढ़ने से प्री-स्कूल आयु समूह को औपचारिक रूप से शिक्षा व्यवस्था में लाया जा सकेगा, जिसे अभी सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं किया जा रहा है।
- **शिक्षा-रोज़गार गलियारा (Education-Employment Corridor):**
  - व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा शिक्षा के साथ एकीकृत कर और स्कूल में (विशेषकर सरकारी स्कूलों में) सही मार्गदर्शन प्रदान कर भारत की शैक्षिक व्यवस्था को उन्नत बनाने की ज़रूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को आरंभ से ही सही दिशा में निर्देशित किया जाए और वे करियर के अवसरों के बारे में जागरूक हों।
  - ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में भी पर्याप्त क्षमताएँ मौजूद हैं और वे पढ़ाई के लिये प्रेरित भी होते हैं, लेकिन उनके पास सही मार्गदर्शन का अभाव है। यह न केवल बच्चों के लिये बल्कि उनके माता-पिता के लिये भी आवश्यक है जो एक तरह से शिक्षा में लैंगिक अंतराल को भी कम करेगा।
- **भाषाई अवरोध को कम करना:**
  - अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिये शिक्षा (Education for International Understanding- EIU) के साधन के रूप में अंग्रेज़ी को रखते हुए भी अन्य भारतीय भाषाओं को समान महत्त्व देना अत्यंत आवश्यक है।
  - संसाधनों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने के लिये विशेष प्रकाशन एजेंसियों की स्थापना की जा सकती है ताकि सभी भारतीय छात्रों को, वे किसी भी भाषाई पृष्ठभूमि के हों, समान अवसर मिल सके।
- **भविष्य के लिये अतीत के अनुभवों से प्रेरणा ग्रहण करना:**
  - अपनी लंबे समय से स्थापित जड़ों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की ओर देखना महत्त्वपूर्ण है।
  - प्राचीन भारत की 'गुरुकुल' परंपरा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जो आधुनिक शिक्षा में चर्चा का विषय बनने के सदियों पहले से अकादमिक शिक्षा से परे समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता था।
  - प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में नीतिशास्त्रीयता एवं मूल्य शिक्षा (Ethics and value education) शिक्षा के मूल में रही थी। आत्मनिर्भरता, समानुभूति, रचनात्मकता और अखंडता जैसे मूल्य प्राचीन भारत में एक प्रमुख क्षेत्र बने रहे थे, जिनकी आज भी प्रासंगिकता है।
  - शिक्षा का प्राचीन मूल्यांकन विषयगत ज्ञान की ग्रेडिंग तक ही सीमित नहीं था। छात्रों का मूल्यांकन उनके द्वारा सीखे गए कौशल और व्यावहारिक ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में सफलतापूर्वक लागू कर सकने की उनकी क्षमता के आधार पर किया जाता था।
    - आधुनिक शिक्षा प्रणाली भी मूल्यांकन की ऐसी ही एक प्रणाली विकसित कर सकती है।

नोट :

शैक्षिक सुधारों से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें:

- नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (NPTEL)
- समग्र शिक्षा अभियान
- प्रज्ञाता (PRAGYATA)
- मध्याह्न भोजन योजना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- पीएम श्री स्कूल (PM SHRI School)

भारत में रोज़गार संकट का समाधान

भारत में रोज़गार संकट एक गंभीर एवं चिरस्थायी समस्या है जो लाखों युवा और शिक्षित लोगों को प्रभावित करती है जो औपचारिक अर्थव्यवस्था में उपयुक्त रोज़गार पाने में असमर्थ हैं। एक स्वतंत्र थिंक टैंक 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी' (CMIE) के अनुसार भारत की बेरोज़गारी दर वर्ष 2021 और 2022 की अधिकांश अवधि में 7% से अधिक बनी रही जबकि दिसंबर 2022 में यह 7.9% तक पहुँच गई। बेरोज़गारी की यह दर वैश्विक औसत और अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान दर से उच्च है।

भारत में किस प्रकार के रोज़गार प्रचलित हैं?

भारत जैसी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के रोज़गार प्रचलित हैं:

- इनमें पहला वेतन रोज़गार (wage employment) है जो नियोक्ताओं द्वारा मुनाफे की तलाश में मांग किये जाते श्रम का परिणाम है। इसे आगे निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - नियमित वेतन रोज़गार: ये औपचारिक, संरचित पद हैं जहाँ कर्मियों को नियमित रूप से एक निश्चित वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त होता है।
    - इसमें सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रदत्त नौकरियाँ शामिल हैं।
  - आकस्मिक या दिहाड़ी श्रम: भारत में बहुत से श्रमिक विशेष रूप से निर्माण, कृषि और असंगठित श्रम बाज़ार में दैनिक मज़दूरी या दिहाड़ी श्रम से संलग्न हैं।
    - इन नौकरियों में प्राय: रोज़गार सुरक्षा का अभाव होता है और ये परिवर्तनशील आय का भी जोखिम रखती हैं।
- रोज़गार का दूसरा प्रकार स्वरोज़गार है जहाँ श्रम आपूर्ति और श्रम मांग सदृश होते हैं, यानी कर्मी स्वयं को रोज़गार प्रदान करता है। इसे आगे निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है:
  - उद्यमिता: भारत में कई लोग उद्यमिता या उद्यमशील गतिविधियों से संलग्न हैं जहाँ वे छोटे व्यवसाय या उद्यम का संचालन कर रहे हैं।
    - इसमें छोटी दुकानें, स्थानीय सेवाएँ या विनिर्माण इकाइयाँ शामिल हो सकती हैं।
  - किसान: भारत में कृषि स्वरोज़गार का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। कई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से या परिवार द्वारा संचालित उद्यम के अंग के रूप में अपने खेतों के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं।
  - फ्रीलांसिंग और अनौपचारिक कार्य: गिग इकोनॉमी (gig economy) के उभार के साथ फ्रीलांसिंग और अनौपचारिक कार्य व्यवस्था बेहद आम हो गई है।
    - इसमें फ्रीलांसर, सलाहकार या अंशकालिक भूमिकाओं में कार्यरत व्यक्ति शामिल होते हैं।

भारत में बेरोज़गारी के पीछे कौन-से प्रमुख कारण हैं?

- **गतिहीन रोज़गार वृद्धि दर:** पिछले चार दशकों में गैर-कृषि क्षेत्र में वेतनभोगी कर्मियों की रोज़गार वृद्धि दर कमोबेश गतिहीन रही है।
  - यह औपचारिक रोज़गार अवसरों में उल्लेखनीय विस्तार की कमी को दर्शाता है।
- **प्रच्छन्न बेरोज़गारी:** भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली बेरोज़गारी (open unemployment) और अनौपचारिक रोज़गार (स्वरोज़गार एवं आकस्मिक वेतन वाले कर्मियों सहित) के उच्च स्तर मौजूद हैं।
  - इनमें से दूसरी स्थिति को 'प्रच्छन्न बेरोज़गारी' (Disguised Unemployment) के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह खुली बेरोज़गारी जैसा दिखता है और औपचारिक क्षेत्र में उपयुक्त रोज़गार अवसरों की कमी को दर्शाता है।
- **श्रम मांग निर्धारक (Labour Demand Determinants):** औपचारिक गैर-कृषि क्षेत्र में श्रम की मांग दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है।
  - सर्वप्रथम, यह उस उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होता है जिसे कंपनियाँ बेच सकने में सक्षम हैं। यदि उत्पादन की मांग कम है तो कंपनियों द्वारा अतिरिक्त कर्मियों को नियुक्त करने की संभावना कम होती है।
  - दूसरा, प्रौद्योगिकी का स्तर एक भूमिका निभाता है, क्योंकि श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों की शुरूआत कंपनियों को कम कर्मियों के साथ समान मात्रा में उत्पादन करने की अनुमति देती है।
    - यद्यपि इससे दक्षता बढ़ती है, लेकिन इससे औपचारिक क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों की संख्या में कमी आ सकती है।

- **आउटपुट वृद्धि पर नीतिगत फोकस:** भारत में आर्थिक नीतियाँ पारंपरिक रूप से आउटपुट वृद्धि (जीडीपी या मूल्यवर्द्धित) के संदर्भ में तैयार की गई हैं, जो आवश्यक नहीं है कि रोज़गार सृजन की चुनौती का समाधान करती हो।
  - केवल उत्पादन वृद्धि पर केंद्रित नीतियों के परिणामस्वरूप रोज़गार के अवसरों में वृद्धि नहीं भी हो सकती है, विशेष रूप से यदि श्रम उत्पादकता वृद्धि दर बढ़ती है।
- **रोज़गार वृद्धि दर की प्रतिक्रियाशीलता का अभाव (Lack of Responsiveness of Employment Growth Rate):** भारत में 1980 और 1990 के दशक की तुलना में 2000 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और मूल्यवर्द्धित विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद औपचारिक एवं गैर-कृषि क्षेत्र की रोज़गार वृद्धि दर अनुत्तरदायी बनी रही।
  - उत्पादन वृद्धि दर में परिवर्तन के प्रति रोज़गार वृद्धि दर की प्रतिक्रियाशीलता की कमी रोज़गारहीन वृद्धि (Jobless Growth) की परिघटना को प्रकट करती है। यह श्रम उत्पादकता वृद्धि दर और उत्पादन वृद्धि दर के बीच एक मज़बूत संबंध को इंगित करती है।

भारत के मामले में रोज़गारहीन वृद्धि क्या है?

- किसी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ आम तौर पर देखा जाता है कि वह अधिक उत्पादक भी हो जाती है। अर्थात्, कुल आउटपुट की अधिक मात्रा का उत्पादन करने की प्रक्रिया में कंपनियाँ प्रति कर्मी अधिक आउटपुट के उत्पादन में सक्षम हो जाती हैं। ऐसा इस स्थिति के कारण होता है जिसे अर्थशास्त्री आकारिक मितव्ययिता या 'इकोनॉमिज़ ऑफ स्केल' (economies of scale) कहते हैं।
  - अधिक आउटपुट के उत्पादन के साथ फर्मों को श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाना आसान लगने लगता है। लेकिन श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों को किस हद तक पेश किया जाता है, यह श्रम की सौदेबाजी शक्ति पर निर्भर करता है।
- आउटपुट वृद्धि और श्रम उत्पादकता वृद्धि के बीच संबंध की सुदृढ़ता के आधार पर दो प्रकार की रोज़गारहीन विकास व्यवस्थाएँ विकसित होती हैं:
  - जीडीपी वृद्धि के प्रति दुर्बल रोज़गार प्रतिक्रियाशीलता: इस मामले में रोज़गारहीन विकास की संभावना विशेष रूप से स्वचालन और श्रम-बचत प्रौद्योगिकी की शुरूआत के कारण उभरती है।
    - लेकिन ऐसे देशों में यदि उत्पादन वृद्धि दर बढ़ती है तो रोज़गार वृद्धि दर भी अनिवार्य रूप से बढ़ेगी।
    - श्रम उत्पादकता की दुर्बल प्रतिक्रियाशीलता के तहत रोज़गार पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का सकारात्मक प्रभाव श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों के प्रतिकूल प्रभाव पर हावी होगा।
    - यहाँ रोज़गार संकट का समाधान अधिक तीव्र आर्थिक विकास में निहित है।
  - जीडीपी वृद्धि के प्रति प्रबल या उच्च रोज़गार प्रतिक्रियाशीलता: भारत के मामले में उत्पादन वृद्धि दर के प्रति श्रम उत्पादकता वृद्धि दर की प्रतिक्रियाशीलता उच्च है।
    - यहाँ रोज़गार पर उत्पादन वृद्धि दर का सकारात्मक प्रभाव श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों के प्रतिकूल प्रभाव का प्रतिकार करने में विफल रहता है।
    - ऐसे देशों में केवल जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर रोज़गार वृद्धि दर नहीं बढ़ाई जा सकती।
  - काल्डोर-वेरडॉर्न गुणांक (Kaldor-Verdoorn Coefficient): काल्डोर-वेरडॉर्न गुणांक उस सीमा की माप करता है जिस हद तक श्रम उत्पादकता वृद्धि उत्पादन वृद्धि के प्रति प्रतिक्रिया करती है।
    - उच्च गुणांक दोनों के बीच एक मज़बूत संबंध को इंगित करता है।
    - भारत का काल्डोर-वेरडॉर्न गुणांक अधिक है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत अन्य विकासशील देशों की तुलना में रोज़गारहीन विकास के अधिक स्पष्ट रूप का अनुभव कर रहा है।

मैक्रोइकोनॉमिक नीति ढाँचे (Macroeconomic Policy Frameworks):

- **कींस का सिद्धांत (Keynes' theory/Keynesian Theory):** मैक्रोइकॉनॉमिक्स में कींस क्रांति (Keynesian revolution) का केंद्रीय योगदान रोज़गार पर बाध्यकारी बाधा के रूप में समग्र मांग की भूमिका को उजागर करना था।
  - राजकोषीय नीति से आउटपुट को प्रोत्साहित कर श्रम मांग को बढ़ाने की अपेक्षा की गई। जिन विकासशील देशों को अपनी स्वतंत्रता के दौरान दोहरी अर्थव्यवस्था संरचना विरासत में प्राप्त हुई, उन्हें आउटपुट पर अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ा।

- **महालनोबिस रणनीति (Mahalanobis Strategy):** इसने आउटपुट और रोज़गार पर बाध्यकारी बाधा के रूप में पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्धता की पहचान की और भारी औद्योगीकरण की नीति को आगे बढ़ाया।
- **संरचनावादी सिद्धांत (Structuralist Theories):** विकासशील देशों के अनुभवों पर आधारित संरचनावादी सिद्धांतों ने कृषि बाधा और भुगतान संतुलन की बाधाओं की संभावना पर प्रकाश डाला।
    - इन दोनों बाधाओं के कारण भारत में विशेष रूप से 1970 के दशक में और 1990 के दशक के आरंभ में प्रमुख नीतिगत बहसों को बल मिला।
- बहरहाल, इन सभी अलग-अलग रूपरेखाओं में जो सामान्य बात रही वह यह धारणा थी कि गैर-कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि दर बढ़ाना औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार वृद्धि दर बढ़ाने के लिये एक पर्याप्त शर्त होगी।
    - लेकिन रोज़गार की चुनौती को अब केवल अधिक तीव्र जीडीपी वृद्धि के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है।

भारत में बेरोज़गारी को दूर करने के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- **राष्ट्रीय रोज़गार नीति (National Employment Policy- NEP) लागू करना:** साक्ष्य बताते हैं कि रोज़गार चुनौती को अब केवल अधिक तीव्र जीडीपी वृद्धि के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है, बल्कि जीडीपी वृद्धि पर ध्यान देने के साथ-साथ रोज़गार पर भी एक अलग नीतिगत फोकस की आवश्यकता है।
    - ऐसी रोज़गार नीतियों के लिये मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों घटकों की आवश्यकता होगी।
    - उदाहरण के लिये, कर्मियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के सार्वजनिक प्रावधान की कमी के कारण फर्मों को अपने कार्य को स्वचालित करना जिस हद तक आसान लगता है, बेहतर देखभाल के माध्यम से कार्यबल की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ-साथ कौशल अंतर को दूर करना भी महत्त्वपूर्ण है।
    - मांग पक्ष की ओर, प्रत्यक्ष सार्वजनिक रोज़गार सृजन की आवश्यकता होगी।
- **मनरेगा (MGNREGA) का शहरी संस्करण पेश करना:** यह शहरी गरीबों के लिये एक सुरक्षा जाल और आय का स्रोत प्रदान कर सकता है। यह योजना उन शहरी गरीबों के लिये लागू की जा सकती है जो प्राय: अनौपचारिक एवं अनिश्चित रोज़गार में लगे होते हैं। यह उन्हें न्यूनतम स्तर की आय सुरक्षा प्रदान कर सकता है और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति एवं सेवाएँ का निर्माण भी कर सकता है।
    - राजस्थान ने हाल ही में मनरेगा का एक शहरी संस्करण पेश किया है।
- **कृषि में औद्योगीकरण और निवेश बढ़ाना:** यह अधिक नौकरियाँ पैदा कर सकता है और उत्पादकता बढ़ा सकता है। भारत में बेरोज़गारी की स्थिति का सबसे अचूक इलाज तीव्र औद्योगीकरण ही हो सकता है।
    - उद्योगों की बढ़ी हुई संख्या प्रभावी रूप से रोज़गार के अवसरों की बढ़ी हुई संख्या में रूपांतरित हो जाती है।
    - इसके अलावा, कृषि में निवेश या पूंजी निर्माण भी गुणक प्रभावों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार पैदा कर सकता है।
- **कृषि में विविधता लाना और कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना:** यह ग्रामीण आय और रोज़गार के अवसरों को बढ़ा सकता है। फसल उत्पादन से बागवानी, सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि की ओर एक सापेक्ष बदलाव की तत्काल आवश्यकता है जो अधिक श्रम अवशोषी और उच्च आय प्रदाता होते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, निर्यात उद्देश्यों के लिये कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने में रोज़गार की वृहत संभावना निहित है।
    - ये उद्योग कृषि उपज की बर्बादी को भी कम कर सकते हैं और मूल्यवर्द्धन बढ़ा सकते हैं।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार:** यह मानव पूंजी में सुधार कर सकता है और सामाजिक क्षेत्र में रोज़गार पैदा कर सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार न केवल मानव पूंजी के संचय को बढ़ावा देता है और इस प्रकार उत्पादन की वृद्धि में योगदान करता है, बल्कि यह रोज़गार के अच्छे अवसर भी पैदा करेगा।
    - शिक्षा प्रणाली में सुधार और व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने से कार्यबल के कौशल एवं रोज़गार क्षमता में वृद्धि होगी।
        - व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण छात्रों को विशिष्ट व्यवसायों और उद्योगों के लिये आवश्यक कौशल एवं ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
        - यह श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच असंगति को कम कर सकता है तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार ला सकता है।

नोट :

- **ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और विकास का विकेंद्रीकरण:** यह शहरी क्षेत्रों पर प्रवासन के दबाव को कम कर सकता है और अधिक संतुलित विकास का सृजन कर सकता है।
    - ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ग्रामीण लोगों के शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन को कम करने में मदद कर सकता है जिससे शहरी क्षेत्र के रोज़गार अवसरों पर दबाव कम हो सकता है।
    - विकेंद्रीकृत विकास यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि विकास के लाभ विभिन्न क्षेत्रों और खंडों के बीच अधिक समान रूप से साझा किये जाएँ।
    - इससे स्थानीय भागीदारी और लोगों के सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिल सकता है।

भारत की साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ: खतरे और समाधान रणनीतियाँ

जैसे-जैसे दुनिया डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अक्टूबर 2023 में अमेरिकी कंपनी 'रिसिक्योरिटी' (Resecurity) ने उजागर किया कि भारतीयों के निजी डेटा डार्क वेब (dark web) पर उपलब्ध हैं। ख़बरों की भीड़ में इसे नज़रअंदाज करना आसान होता, लेकिन डेटा के आकार और संवेदनशीलता ने तुरंत इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इस डेटा सेट का विक्रेता 55% भारतीय आबादी (लगभग 81.5 करोड़ भारतीय नागरिक) की सत्यापन योग्य, संवेदनशील सूचना प्रदान करने का दावा कर रहा था।

इन सूचनाओं में लोगों के नाम, फोन नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर और पता जैसी व्यक्तिगत पहचान-योग्य जानकारी शामिल थी। मात्र 80,000 अमेरिकी डॉलर पर इस डेटा की बिक्री की जा रही थी। सक्रिय हुई दिल्ली पुलिस ने 18 दिसंबर को इस मामले में चार लोगों को गिरफ़्तार किया।

साइबर हमलों के प्रति भारत कितना संवेदनशील है?

- भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी और बढ़ती आबादी पाई जाती है, जहाँ वर्ष 2022 में 52% से अधिक आबादी या 759 मिलियन लोग माह में कम से कम एक बार इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे।
    - चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाज़ार है।
    - वर्ष 2025 तक यह संख्या बढ़कर 900 मिलियन होने की उम्मीद है।
- भारत में तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्त, खुदरा और कृषि जैसे क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं सेवाओं पर निर्भरता रखते हैं।
    - भारत की पुरानी पड़ चुकी या अपर्याप्त साइबर सुरक्षा अवसंरचना, नीतियाँ और जागरूकता हैकर्स के लिये सिस्टम में अंतराल एवं कमज़ोरियों का लाभ उठाना आसान बनाती है। यही कारण है कि भारत को राज्य-प्रायोजित और गैर-राज्य अभिकर्ताओं की ओर से परिष्कृत एवं नियमित रूप से साइबर खतरों का सामना करना पड़ता है, जो भारत के रणनीतिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय हित को निशाना बनाते हैं।

भारत पर साइबर हमलों से उत्पन्न चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की भेद्यता/संवेदनशीलता:** भारत की महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, जैसे कि पावर ग्रिड, परिवहन प्रणालियाँ एवं संचार नेटवर्क, साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हैं जो आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं और सार्वजनिक संरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, अक्टूबर 2019 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर साइबर हमले का प्रयास किया गया था।
- **वित्तीय क्षेत्र को खतरा:** भारत में वित्तीय क्षेत्र को उन साइबर अपराधियों की ओर से साइबर हमलों के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है जो चोरी या जबरन वसूली से लाभ कमाना चाहते हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों पर साइबर हमलों से वित्तीय हानि, पहचान की चोरी और वित्तीय प्रणाली के प्रति भरोसे की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - उदाहरण के लिये, मार्च 2020 में सिटी यूनियन बैंक के स्विफ्ट सिस्टम (SWIFT system) पर एक मैलवेयर हमले के कारण 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनधिकृत लेनदेन हुआ।
- **डेटा उल्लंघन और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** जैसे-जैसे भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है, ऑनलाइन संग्रहीत व्यक्तिगत एवं सरकारी डेटा की मात्रा भी बढ़ रही है। इससे डेटा उल्लंघनों का खतरा भी बढ़ गया है, जहाँ हैकर्स संवेदनशील जानकारी तक पहुँच बनाते हैं और उसे लीक करते हैं। डेटा उल्लंघनों से व्यक्तियों और संगठनों की गोपनीयता एवं सुरक्षा के लिये गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, मई 2021 में कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2020 (जिसका उपयोग IIMs में आवेदकों के चयन के लिये किया जाता है) के 190,000 उम्मीदवारों की

व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (PII) एवं परीक्षा परिणाम को लीक कर दिया गया और साइबर क्राइम फोरम पर बिक्री के लिये उपलब्ध करा दिया गया।

- **साइबर जासूसी (Cyber Espionage):** साइबर जासूसी अन्य देशों या संस्थाओं की जासूसी करने या उनके हितों को नुक़सान पहुँचाने के लिये साइबर हमलों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। अन्य देशों की तरह भारत भी साइबर जासूसी गतिविधियों के निशाने पर है, जो गोपनीय जानकारी चुराने और रणनीतिक बढ़त हासिल करने का उद्देश्य रखती है। साइबर जासूसी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2020 में एक पाकिस्तानी थ्रेट एक्टर (threat actor) ऑपरेशन साइडकॉपी (Operation SideCopy) नामक साइबर जासूसी अभियान का पर्दाफाश हुआ जिसने मैलवेयर और फ़िशिंग ईमेल के साथ भारतीय सैन्य एवं राजनयिक कर्मियों को लक्षित किया था।
- **एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स (Advanced Persistent Threats- APTs):** APTs जटिल एवं दीर्घकालिक साइबर हमले हैं, जो आमतौर पर संसाधन-संपन्न और कुशल समूहों द्वारा किये अंजाम दिये जाते हैं। ये हमले लक्ष्य के नेटवर्क में घुसपैठ करने और लंबे समय तक छिपे रहने के लिये डिज़ाइन किये गए होते हैं, जिससे उन्हें डेटा चोरी करने या हेरफेर करने या क्षति पहुँचाने का अवसर मिलता है।
  - APTs का पता लगाना और उनका मुक़ाबला करना कठिन है, क्योंकि वे सुरक्षा उपायों से बचने के लिये उन्नत तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, फ़रवरी 2021 में RedEcho नामक साइबर सुरक्षा फर्म ने खुलासा किया कि चीन से जुड़े APT समूह ने भारत के बिजली क्षेत्र में 10 संस्थाओं को मैलवेयर से निशाना बनाया था, जो संभावित रूप से भारत में पावर आउटेज का कारण बन सकते थे।
- **आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यताएँ:** आपूर्ति श्रृंखला संबंधी भेद्यताएँ उन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर घटकों में मौजूद कमज़ोरियों को संदर्भित करती हैं जिनका उपयोग सरकार और व्यवसायों द्वारा अपने संचालन के लिये किया जाता है। साइबर हमलावर इन घटकों पर निर्भर सिस्टम और सेवाओं को प्रभावित करने के लिये इन कमज़ोरियों का फायदा उठा सकते हैं और व्यापक क्षति पहुँचा सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, दिसंबर 2020 में नेटवर्क प्रबंधन उपकरण प्रदान करने वाली अमेरिका अवस्थित सॉफ्टवेयर कंपनी SolarWinds पर एक वैश्विक साइबर हमले ने कई भारतीय संगठनों को प्रभावित किया जिनमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) आदि शामिल थे।

साइबर सुरक्षा को लेकर कौन-सी प्रमुख पहलें की गई हैं?

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (National Cyber Security Policy):** इस नीति का लक्ष्य नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के लिये एक सुरक्षित एवं प्रत्यास्थी साइबरस्पेस का निर्माण करना है। यह साइबरस्पेस सूचना एवं अवसंरचना की रक्षा करने, साइबर हमलों को रोकने एवं जवाबी कार्रवाई के लिये क्षमताओं का निर्माण करने और संस्थागत संरचनाओं, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकी के समन्वित प्रयासों के माध्यम से क्षति को न्यूनतम करने के लिये विभिन्न उद्देश्यों एवं रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है।
- **'साइबर सुरक्षित भारत' पहल:** यह पहल साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) एवं अग्रिम पंक्ति के आईटी कर्मचारियों के लिये सुरक्षा उपाय का सृजन करने के लिये शुरू की गई थी।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C):** इस केंद्र की स्थापना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक एवं समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिये एक रूपरेखा एवं पारितंत्र प्रदान करने के लिये की गई थी। इसके सात घटक हैं:
  - नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (National Cybercrime Threat Analytics Unit)
  - नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal)
  - संयुक्त साइबर अपराध जाँच दल के लिये मंच (Platform for Joint Cyber Crime Investigation Team)
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र

नोट :

(National Cyber Crime Forensic Laboratory Ecosystem)

- राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र (National Cyber Crime Training Centre)
- साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट (Cyber Crime Ecosystem Management Unit)
- राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र (National Cyber Research and Innovation Centre.)

- **साइबर स्वच्छता केंद्र (Botnet Cleaning and Malware Analysis Centre):** इस केंद्र को भारत में बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबरस्पेस का निर्माण करने और आगे के संक्रमण को रोकने के लिये अंतिम उपयोगकर्ताओं को सूचित करने तथा बॉटनेट शोधन एवं सुरक्षा प्रणालियों को सक्षम करने के लिये वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था।
- **कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम - इंडिया (CERT-In):** यह MeitY का एक संगठन है जो साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रसारण करता है और साइबर सुरक्षा घटनाओं पर अलर्ट भी जारी करता है।
- **महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical information infrastructure- CII):** इसे एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर अस्थिरताकारी प्रभाव पड़ेगा।
  - सरकार ने बिजली, बैंकिंग, दूरसंचार, परिवहन, शासन और रणनीतिक उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के CII की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre- NCIIPC) की स्थापना की है।
- **रक्षा साइबर एजेंसी (Defence Cyber Agency- DCyA):** DCyA भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रि-सेवा कमान है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये ज़िम्मेदार है। इसमें विभिन्न साइबर थ्रेट एक्टर्स के विरुद्ध हैकिंग, सर्विलेंस, डेटा रिकवरी, एन्क्रिप्शन और जवाबी कार्रवाई जैसे साइबर ऑपरेशन संचालित करने की क्षमता है।

साइबर हमलों से बचने के लिये भारत को आगे क्या करना चाहिये?

- **मौजूद विधिक ढाँचे को सुदृढ़ करना:** सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000, साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाला भारत का प्राथमिक कानून है, जिसे नई चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिये कई बार संशोधित किया गया है।
  - हालाँकि, आईटी अधिनियम में अभी भी कुछ कमियाँ और सीमाएँ मौजूद हैं, जैसे विभिन्न साइबर अपराधों के लिये स्पष्ट परिभाषाओं, प्रक्रियाओं एवं दंडों की कमी और साइबर अपराधियों की निम्न दोषसिद्धि दर (conviction rate)।
  - भारत को व्यापक और अद्यतन कानून बनाने की आवश्यकता है जो साइबर सुरक्षा के सभी पहलुओं, जैसे साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, साइबर जासूसी और साइबर धोखाधड़ी को दायरे में ले।
- **साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना:** साइबर सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के लिये भारत में कई पहलें और नीतियाँ अपनाई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सेल एवं साइबर अपराध जाँच इकाइयाँ, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  - हालाँकि, ये प्रयास अभी भी अपर्याप्त और खंडित हैं, क्योंकि भारत को तकनीकी कर्मचारियों, साइबर फोरेंसिक सुविधाओं, साइबर सुरक्षा मानकों और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
  - भारत को अपने मानव एवं तकनीकी संसाधनों को विकसित करने, साइबर सुरक्षा के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने, सर्वोत्तम अभ्यासों एवं मानकों को अपनाने और विभिन्न एजेंसियों एवं क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं सूचना साझेदारी को बढ़ावा देने में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।
- **एक साइबर सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करना:** भारत को सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के साथ एक साइबर सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये, जिसके पास किसी महत्त्वपूर्ण साइबर घटना के बाद उसका विश्लेषण करने और साइबर सुरक्षा में सुधार के लिये ठोस अनुशंसाएँ करने के लिये बैठक करने का अधिकार हो।
  - एक ज़ीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर (zero-trust architecture) अपनाया जाए और साइबर सुरक्षा संबंधी भेद्यताओं एवं घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिये एक मानकीकृत 'प्लेबुक' (playbook) को अनिवार्य किया जाए। राज्य

नेटवर्क की रक्षा एवं आधुनिकीकरण और इसकी घटना प्रतिक्रिया नीति (incident response policy) को अद्यतन करने के लिये तत्काल एक योजना को क्रियान्वित किया जाए।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार:** भारत अकेला देश नहीं है जो साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि साइबर हमले राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं हैं और पूरे वैश्विक समुदाय को प्रभावित कर रहे हैं।
  - भारत को अन्य देशों और संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरपोल एवं साइबर विशेषज्ञता पर वैश्विक मंच (Global Forum on Cyber Expertise) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ और अधिक संलग्न होने की ज़रूरत है ताकि सर्वोत्तम अभ्यासों के लेनदेन, खुफिया सूचनाओं की साझेदारी, साइबर कानूनों एवं मानकों के सामंजस्य और साइबर अन्वेषण एवं अभियोजन में सहयोग का लाभ प्राप्त हो सके।
  - भारत को आसियान क्षेत्रीय फोरम, ब्रिक्स (BRICS) एवं भारत-अमेरिका साइबर सुरक्षा फोरम जैसे क्षेत्रीय और द्विपक्षीय संवादों एवं पहलों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने की ज़रूरत है ताकि विश्वास एवं भरोसे का निर्माण किया जा सके और साझा साइबर सुरक्षा मुद्दों एवं हितों को संबोधित किया जा सके।

मेक इन इंडिया का आकलन: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

वर्ष 2014 में लॉन्च की गई 'मेक इन इंडिया' (Make in India- MII)) पहल 1970 के दशक में आजमाई गई भारत की आत्मनिर्भरता की नीति (policy of self-sufficiency) से प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। अतीत के दृष्टिकोण के विपरीत, मेक इन इंडिया पहल लाइसेंस राज, आत्मनिर्भरता या आयात-प्रतिस्थापनकारी औद्योगीकरण की स्मृतियाँ नहीं उत्पन्न करती। यह व्यापक रूप से अलग है, हालाँकि कुछ क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के कार्यान्वयन को लेकर चिंताएँ जताई गई हैं।

मेक इन इंडिया नीति क्या है?

- **नीति:**
  - मेक इन इंडिया पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिये वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है।
  - यह अभियान निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को संवृद्ध करने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और श्रेणी विनिर्माण अवसंरचना में सर्वोत्कृष्ट का निर्माण करने के लिये लॉन्च किया गया।
- **उद्देश्य:**
  - विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाकर 12-14% प्रतिवर्ष करना।
  - वर्ष 2022 तक (बाद में इसे संशोधित कर 2025 कर दिया गया) विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार अवसर सृजित करना)।
  - वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाना।
- **रणनीतियाँ:**
  - व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना: कंपनियों के लिये भारत में व्यापार करना सुगम बनाने के लिये नौकरशाही बाधाओं को कम करना और नियमों को सरल बनाना।
  - अवसंरचना का विकास करना: उद्योगों के लिये विश्वसनीय एवं सक्षम अवसंरचना प्रदान करने के लिये बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे और बिजली उत्पादन का उन्नयन करना।
  - कार्यबल को कुशल बनाना: विनिर्माण क्षेत्र के लिये कुशल श्रमिकों के पूल के निर्माण के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना।
  - निवेश को प्रोत्साहन देना: विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी एवं घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिये कर छूट, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों की पेशकश करना।
  - प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना: विकास के लिये विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करना, जैसे ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स।
- **डेरिवेटिव:** मेक इन इंडिया के कम से कम दो अन्य डेरिवेटिव भी हैं: 'मेड इन इंडिया' और 'मेक फॉर इंडिया'।
  - मेड इन इंडिया (Made in India) से तात्पर्य है भारत में उत्पादों की असेंबलिंग या विनिर्माण, भले ही उनके घटक विदेश में विनिर्मित किये गए हों।
    - यह मूलत: श्रम, पूंजी, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी आदि भारतीय उत्पादन पहलुओं का उपयोग करने वाले विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिये एक ब्रांडिंग रणनीति है।
  - मेक फॉर इंडिया (Make for India) से तात्पर्य ऐसे उत्पादों के उत्पादन से है जिनका भारत में ही उपभोग किया जाना है और जहाँ घरेलू बाज़ार के लिये विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मेक इन इंडिया की शुरूआत के पीछे क्या तर्क था?

- मेक इन इंडिया को वर्ष 2014 में एक सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्द्धी विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण करने के लिये डिज़ाइन की गई पिछली पहलों (जैसे NIP 2011, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण आदि) की अगली कड़ी के रूप में लॉन्च किया गया।
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना, एक जटिल एवं भ्रष्ट नियामक वातावरण और कुशल श्रमबल की अपर्याप्त उपलब्धता जैसे कारकों से बाधित थी।
- मेक इन इंडिया को सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 1980 के दशक की शुरुआत से ही गतिहीन 15% से बढ़ाकर कम से कम 25% करने और 100 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार अवसर सृजित करने के लिये लॉन्च किया गया।
  - हालाँकि, स्पष्ट है कि यह इस दृष्टिकोण से सफल नहीं हुआ।
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) 2011 के गतिशील उद्देश्यों के अलावा, इसका उद्देश्य "भारत को एक वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण निर्यात केंद्र में बदलना" था। दूसरे शब्दों में, विश्व के लिये मेक इन इंडिया का लक्ष्य रखा गया था।

मेक इन इंडिया की सफलताएँ और विफलताएँ क्या रही हैं?

- **सफलताएँ:**
  - भारत ने विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक (Ease of Doing Business Index) में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है जहाँ वर्ष 2014 में 142वें से वर्ष 2020 में 63वें स्थान पर पहुँच गया।
  - भारत ने रक्षा, रेलवे, नागरिक उड्डयन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को निजी एवं विदेशी निवेश के लिये खोल दिया।
  - भारत ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा जैसे कुछ क्षेत्रों में वृद्धि देखी है।
  - भारत मोबाइल फोन विनिर्माण में अग्रणी देश बन गया जहाँ वर्ष 2017-18 में 200 से अधिक इकाइयों ने 225 मिलियन से अधिक हैंडसेट का उत्पादन किया।
- **विफलताएँ:**
  - भारत अपने उत्पादों और सेवाओं के लिये एक अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट बाज़ार का निर्माण कर सकने में विफल रहा।
  - भारत वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने, 100 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार अवसर सृजित करने और विनिर्माण विकास को 12-14% प्रति वर्ष तक बढ़ाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकने में विफल रहा।
  - भारत को नीतिगत गतिहीनता (policy paralysis), प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ की कमी, निवेश संकट, व्यापार संरक्षणवाद, अवसंरचनागत बाधाएँ, श्रम संबंधी मुद्दे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

मेक इन इंडिया अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल क्यों रहा?

- मेक इन इंडिया के एक भाग के रूप में प्रोडक्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई जिसका उद्देश्य था प्रमुख क्षेत्रों एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना; दक्षता सुनिश्चित करना और विनिर्माण क्षेत्र में आकारिक एवं मितव्ययी लाभ (economies of size and scale) का निर्माण करना तथा भारतीय कंपनियों एवं विनिर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना।
  - अतिरिक्त लक्ष्य सोने पर सुहागा की तरह होते हैं, लेकिन हमारे वृहत कार्यबल, विशेषकर महिलाओं के लिये, रोज़गार पैदा करने का प्राथमिक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।
    - यह केवल श्रम-गहन विनिर्माण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। चीन का उदाहरण बतलाता है कि अधिकाधिक रोज़गार सृजन के लिये विनिर्माण में 'स्केल' का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है।

क्या MSMEs रोज़गार की समस्या का समाधान कर सकते हैं?

- भारत का श्रम बाज़ार अनुसंधान असंगठित क्षेत्र में कम वेतन, निम्न उत्पादकता और मुख्यत: अनौपचारिक नौकरियों की उपस्थिति की ओर इंगित करता है।
- भारत के 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) में से 99% से अधिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें उत्पादक रोज़गार सृजन के लिये बहुत कम लचीलापन पाया जाता है।
  - उनका महज निर्वाहकारी अस्तित्व (hand-to-mouth existence) रोज़गार या स्केल के लिये कोई नुस्खा सिद्ध नहीं हो सकता।

रोज़गार सृजन के लिये क्या करने की आवश्यकता है?

- खिलौने, रेडीमेड परिधान और जूते जैसे क्षेत्रों के लिये PLI के अलावा एक सुविचारित राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की आवश्यकता है।
  - PLI उच्च-स्तरीय विनिर्माण के लिये अच्छा है, लेकिन बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन के लिये औद्योगिक नीति सबसे अच्छा विकल्प होगा।

- औसत शैक्षिक उपलब्धियों एवं कौशल वाले एक श्रम प्रचुर देश (labour abundant country) में वृहत उत्पादक रोज़गार सृजन को आकार देने के लिये औद्योगिकी नीति आवश्यक है।

राष्ट्रीय औद्योगिक नीति रोज़गार सृजन में किस प्रकार मदद कर सकती है?

- पहले से मौजूद और नए उद्योगों को उनके उत्पादन, निर्यात एवं नवाचार का विस्तार करने के लिये प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना। इससे औद्योगिक क्षेत्र में श्रम एवं कौशल की मांग बढ़ सकती है और रोज़गार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं।
- सड़क, बंदरगाह, बिजली एवं डिजिटल नेटवर्क जैसी अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी का विकास करना, जो वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बना सके। इससे उद्योगों की दक्षता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार हो सकता है और निर्माण एवं रखरखाव संबंधी क्षेत्रों में अधिक रोज़गार अवसर सृजित हो सकते हैं।
- शिक्षा, प्रशिक्षण और आजीवन अधिगम कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल के कौशल एवं क्षमताओं को बढ़ाना, जो उद्योगों की ज़रूरतों और मांगों से संगत हो सकें। इससे श्रम बल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और ज्ञान-आधारित एवं उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में अधिक नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं।
- स्टार्ट-अप, छोटे एवं मध्यम उद्यमों और सामाजिक उद्यमों के निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देना। यह नवाचार एवं रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है और उभरते हुए एवं गतिशील क्षेत्रों में अधिक नौकरियाँ पैदा कर सकता है।
- औद्योगिक नीति को निर्धनता उन्मूलन, लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन शमन जैसे सामाजिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करना। यह सुनिश्चित कर सकता है कि औद्योगिक विकास समावेशी, संवहनीय एवं उत्तरदायी है और यह हरित एवं सामाजिक क्षेत्रों में अधिक रोज़गार उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष:

भारत की प्रचुर श्रम शक्ति के लिये उत्पादक रोज़गार के अवसरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिये एक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति आवश्यक है। हालाँकि सरकार ने नई औद्योगिक नीति (NIP 23) को फिलहाल स्थगित कर रखा है, जिस पर दो वर्षों से अधिक समय से कार्य चल रहा था।

खेत से थाली तक: प्राकृतिक कृषि का प्रसार

हरित क्रांति (Green Revolution) के कारण आज हम कृषि उपज में आत्मनिर्भर बन गए हैं। लेकिन हरित क्रांति के क्षेत्रों में मृदा के क्षरण, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों की कमी आदि के रूप में नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव भी बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं। सतत/संवहनीय कृषि पद्धतियों में से एक जो हाल के समय में गति पकड़ रही है, वह है प्राकृतिक कृषि (Natural Farming-NF)। यह 'स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुसार की जाने वाली कृषि है और इसलिये इसे कृषि पारिस्थितिकी (agroecology) भी कहा जाता है।'

प्राकृतिक कृषि:

अवधारणा: प्राकृतिक खेती एक रसायन-मुक्त कृषि पद्धति है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और पारंपरिक पद्धतियों का उपयोग करती है। यह कृषि पारिस्थितिकी पर आधारित है और फसलों, पेड़ों एवं पशुधन को एकीकृत करती है।

प्राकृतिक खेती मृदा की गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिये लाभकारी सूक्ष्मजीवों का भी उपयोग करती है।

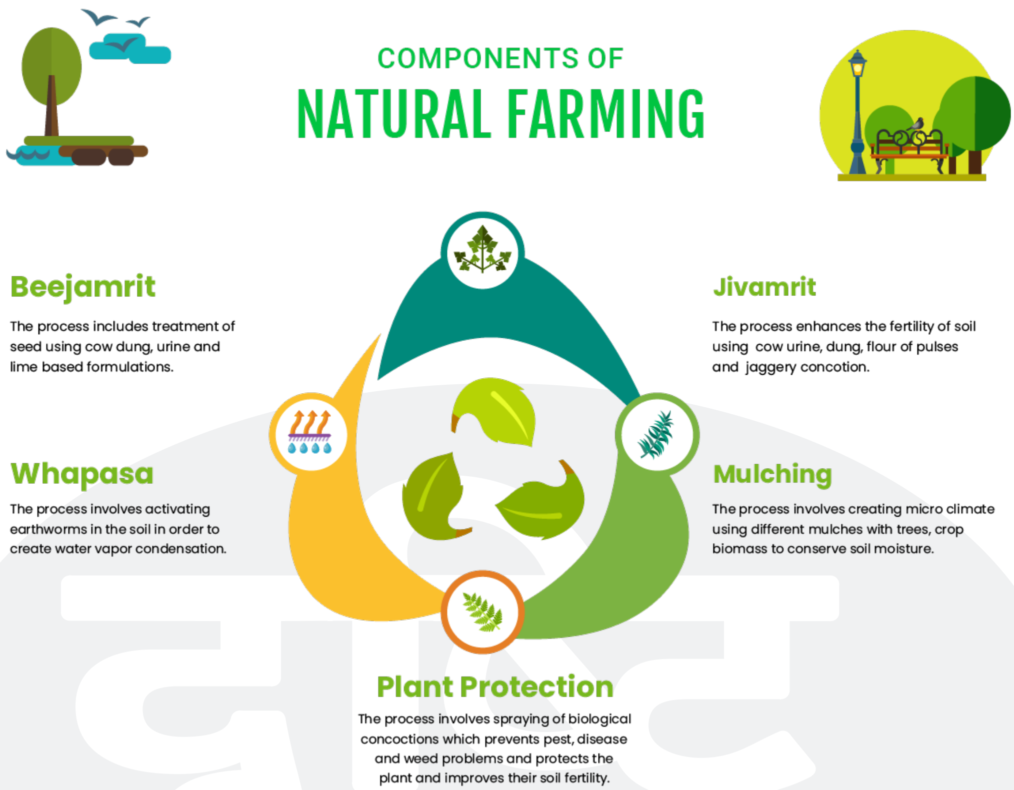

प्राकृतिक खेती बनाम जैविक खेती

जैविक खेती/कृषि: जैविक खेती (Organic Farming) ऐसी कृषि प्रणाली है जो बिना किसी सिंथेटिक इनपुट के फसल उत्पादन एवं पशुपालन के लिये पारंपरिक विधियों का उपयोग करती है। इसमें सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों, एंटीबायोटिक्स, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और वृद्धि हार्मोन से परहेज करना शामिल है।

यह प्राकृतिक खेती से किस प्रकार भिन्न है?

- प्राकृतिक खेती/कृषि न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और पारिस्थितिकी अनुकरण (ecosystem mimicry) पर बल देती है, जबकि जैविक खेती जैविक आदानों या इनपुट के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है और विशिष्ट मानकों का पालन करती है।
- प्राकृतिक खेती किसी भी आयातित उर्वरक या मृदा संशोधन के उपयोग को निषिद्ध करती है, जबकि जैविक खेती खाद, खनिज चट्टानों और पादप या पशु स्रोतों से प्राप्त उर्वरकों के उपयोग की अनुमति देती है।
- प्राकृतिक खेती जैव विविधता को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य को संरक्षित करने, पादपों एवं पशुओं के स्वास्थ्य का समर्थन करने और फसल की पैदावार में सुधार लाने के लिये पारिस्थितिक सिद्धांतों पर निर्भर करती है, जबकि जैविक खेती कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता एवं पारिस्थितिक जीवन शक्ति को इष्टतम करने के लिये जैविक सामग्री एवं तकनीकों का उपयोग करती है।
- प्राकृतिक खेती किसी भी रसायन के उपयोग को हतोत्साहित करती है, जबकि जैविक खेती में मनुष्यों एवं पर्यावरण के लिये सुरक्षित माने जाने वाले अनुमोदित रसायनों की अनुमति है।
- प्राकृतिक खेती एक दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित है जो प्रकृति के स्वयं के ज्ञान को प्रतिबिंबित करती है, जबकि जैविक खेती एक समग्र कृषि प्रणाली है जिसे सावधानीपूर्वक अभिकल्पित एवं विनियमित किया जाता है।

प्राकृतिक खेती के क्या लाभ हैं?

- **पर्यावरणीय लाभ:**
  - स्वस्थ मृदा: कम्पोस्टिंग एवं मल्चिंग जैसी प्राकृतिक खेती की तकनीकें लाभकारी सूक्ष्मजीवों और कार्बनिक पदार्थों को बढ़ावा देकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाती हैं। इससे बेहतर जलधारण, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि और बेहतर फसल पैदावार सुनिश्चित होती है।
  - जल संरक्षण: मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई जैसी प्राकृतिक विधियाँ मृदा में नमी बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे जल के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता कम हो जाती है। यह सतत जल प्रबंधन और सूखे की स्थिति से निपटने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - प्रदूषण की कमी: उर्वरकों और कीटनाशकों को प्राकृतिक विकल्पों के साथ प्रतिस्थापित कर, प्राकृतिक खेती मृदा, जल निकायों और वातावरण के प्रदूषण को पर्याप्त कम कर देती है। यह पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य की हानिकारक रसायनों से रक्षा करती है।
  - जलवायु परिवर्तन शमन: पारंपरिक कृषि की तुलना में प्राकृतिक खेती पद्धतियों में आम तौर पर निम्न 'कार्बन फुटप्रिंट' पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्वस्थ मृदा कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है, ग्रीनहाउस गैसों को जब्त या ग्रहण करती है और जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान देती है।
- **किसानों को लाभ:**
  - लागत में कमी: प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और कम्पोस्ट एवं जैव-कीटनाशकों जैसे ऑन-फार्म कृषि इनपुट पर निर्भर करती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों जैसे महंगे बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम हो जाती है। इससे उत्पादन की कुल लागत में कमी आती है और किसानों की लाभप्रदता में सुधार होता है।
  - बेहतर कृषि प्रत्यास्थता: प्राकृतिक खेती की तकनीकें मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ावा देकर सूखे और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं के प्रति खेतों को अधिक प्रत्यास्थी बनाती हैं। इससे अधिक स्थिरता आती है और किसानों के लिये जोखिम कम हो जाता है।
  - किसानों के स्वास्थ्य में सुधार: प्राकृतिक खेती हानिकारक रसायनों से संपर्क का उन्मूलन कर किसानों के स्वास्थ्य एवं सेहत की रक्षा करती है।
- **उपभोक्ताओं को लाभ:**
  - सुरक्षित खाद्य: प्राकृतिक खेती हानिकारक रासायनिक अवशेषों से मुक्त खाद्य का उत्पादन करती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिये सुरक्षित एवं स्वस्थ उपभोग की स्थिति बनती है।
  - खाद्य की गुणवत्ता में सुधार: अध्ययनों से पता चलता है कि प्राकृतिक रूप से उगाए गए खाद्य में उच्च स्तर के 'एंटीऑक्सिडेंट' एवं अन्य लाभकारी पोषक तत्व मौजूद हो सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिये बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
  - सतत कृषि के लिये समर्थन: जो उपभोक्ता प्राकृतिक खाद्य उत्पादों का चयन करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण एवं किसानों को लाभ पहुँचाने वाली अधिक सतत एवं नैतिक कृषि प्रणाली का समर्थन करते हैं।

प्राकृतिक खेती से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **सीमित बाज़ार:** प्राकृतिक खेती से संलग्न किसानों को अपने उत्पादों के लिये प्रीमियम मूल्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि विभेदित बाज़ार, मानक एवं प्रोटोकॉल पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं हैं। कई किसान स्वीकार करते हैं कि NF उत्पाद मुख्यत: घरेलू उपभोग के लिये हैं।
  - इसके साथ ही, प्राकृतिक खेती के लिये प्रमाणन एवं मानकीकरण की कमी है, जिससे इन्हें जैविक या पारंपरिक खेती से पृथक रूप से देखना कठिन हो जाता है।
- **निम्न आरंभिक पैदावार:** प्राकृतिक खेती स्वस्थ मृदा पारितंत्र के निर्माण पर निर्भर करती है, जिसमें समय लगता है। इससे प्राय: पारंपरिक कृषि पद्धतियों—जो त्वरित वृद्धि के लिये रासायनिक इनपुट पर निर्भर होते हैं, की तुलना में आरंभिक वर्षों में कम पैदावार प्राप्त होती है।
  - 'सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर' द्वारा आंध्र प्रदेश में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि प्राकृतिक खेती से संबद्ध खेतों में धान की पैदावार पहले वर्ष पारंपरिक खेतों की तुलना में 20% कम थी और धीरे-धीरे सुधार के साथ यह तीन वर्षों की अवधि में पारंपरिक पैदावार के स्तर पर पहुँची।
- **जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी:** कई किसान प्राकृतिक खेती तकनीकों के संबंध में ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल की कमी रखते हैं, जिससे वे इसे अपनाने के प्रति झिझक रखते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विस्तार सेवाओं तक सीमित पहुँच इस समस्या को और बढ़ा देती है।
  - हिमाचल प्रदेश में, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकारी पहल के बावजूद, कई किसान विशिष्ट अभ्यासों और लाभों से अनभिज्ञ हैं, जिससे व्यापक रूप से इसे अपनाने में बाधा आ रही है।
- **जैविक इनपुट की उपलब्धता एवं वहनीयता:** मृदा स्वास्थ्य और बाज़ार मांग के संबंध में दीर्घकालिक लाभों के बावजूद, जैविक कपास के बीजों की उच्च लागत किसानों को प्राकृतिक कपास की खेती करने से हतोत्साहित करती है।

नोट :

- **कीट और रोग प्रबंधन:** प्राकृतिक खेती कीट और रोग नियंत्रण के लिये पारिस्थितिक तरीकों पर निर्भर करती है, जो अल्पावधि में रासायनिक कीटनाशकों से कम प्रभावी सिद्ध हो सकती है। इससे किसानों के अधिक सतर्क रहने और निवारक उपाय अपनाने की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
  - उदाहरण के लिये, जम्मू-कश्मीर में सेब उत्पादकों को प्राकृतिक तरीकों का उपयोग कर कोडलिंग मॉथ (codling moth) संक्रमण का प्रबंधन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कुछ किसान रासायनिक कीटनाशकों की ओर वापस लौट रहे हैं।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- **वैकल्पिक और विभेदित बाज़ारों का विकास करना:** यदि देश को प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना है तो सरकार को वैकल्पिक बाज़ारों का पता लगाना चाहिये। प्राकृतिक खेती के लिये वैकल्पिक बाज़ारों के विस्तार के संबंध में यहाँ कुछ विचार प्रस्तुत किये गए हैं:
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS):
    - PDS में प्राकृतिक खेती के उत्पादों को एकीकृत करने से न केवल किसानों के लिये एक स्थिर बाज़ार उपलब्ध हो सकता है, बल्कि इससे वृहत आबादी के लिये स्वस्थ एवं रसायन-मुक्त खाद्य की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकती है।
  - मौजूदा तंत्र का उपयोग करना:
    - प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और विपणन संघों के मौजूदा नेटवर्क को भी शामिल किया जा सकता है।
    - किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के साथ सहयोग करने से उत्पादन, खरीद और वितरण की दक्षता में वृद्धि हो सकती है।
  - मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (Mid-day Meal Programme):
    - मध्याह्न भोजन कार्यक्रम खाद्य के आयात के बदले स्थानीय विकेंद्रीकृत प्रणालियों का उपयोग करने के रूप में एक नया बाज़ार बन सकता है। इसमें FPOs की भागीदारी के साथ आस-पास के क्षेत्रों से प्राप्त उपज का उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, खरीद, भंडारण और वितरण करना शामिल है।
    - स्थानीय आवश्यकताओं के लिये स्थानीय फसल का मूल मंत्र होना चाहिये।
  - समर्पित हाट:
    - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में किसानों के बाज़ारों की एक श्रृंखला के रूप में लगभग 43,000 ग्रामीण हाट मौजूद हैं।
    - उनमें से कुछ को प्रमाणित NF उपज को समर्पित किया जा सकता है और 'बैकवर्ड इंटीग्रेशन' विकसित किया जा सकता है।
  - उपभोक्ता सहकारी समितियाँ स्थापित करना:
    - उपभोक्ता सहकारी समितियों (Consumer Cooperatives) को प्रमुख शहरों के शहरी/परि-शहरी क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है जहाँ कृषि भूमि 100 किमी के दायरे में हो।
    - तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने वर्ष 2022 में देवताओं के प्रसाद (लड्डू प्रसादम, अन्न प्रसादम)) के लिये कीटनाशक मुक्त उपज प्राप्त करने के लिये 5000 स्वयं सहायता समूहों के साथ एक व्यवस्था का निर्माण किया है।
- **प्रमाणीकरण का प्रभावी कार्यान्वयन:** हितधारकों के बीच एक आम समझ स्थापित करने के लिये केंद्र सरकार ने भागीदारीपूर्ण गारंटी प्रणाली (Participatory Guarantee System- PGS-India) की शुरुआत की है और हिमाचल प्रदेश राज्य ने तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण के बिना गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्राकृतिक खेती हेतु एक स्व-प्रमाणन उपकरण (CETARA-NF) विकसित किया है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने प्राकृतिक खेती और उसके उत्पादों को लेबल करने के लिये शर्तों का एक मसौदा तैयार किया है जहाँ इसे जैविक खेती अलग रूप में चिह्नित किया गया है।
  - मानकों का पालन करने के लिये प्रोत्साहन एवं मान्यता, हितधारक सहयोग और नीति समर्थन क्षेत्र एवं बाज़ार स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हैं।
- **जागरूकता बढ़ाना:** किसानों और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। ये दोनों कार्य आसान नहीं हैं, क्योंकि खाद्य/कृषि यदि संस्कृति नहीं भी हो तो एक प्रभावशाली आदत अवश्य है।
  - कुछ अनुमानों से संकेत मिलता है कि यह विशिष्ट बाज़ार लगभग 20-25% की दर से बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि उपभोक्ताओं को यह पता नहीं है कि लेबल/उत्पाद कितना वास्तविक है!
    - यदि हम विश्वसनीयता ला सकें तो हमारी खाद्य प्रणालियाँ धीरे-धीरे बेहतरी की ओर आगे बढ़ सकती हैं।

दृष्टि अभ्यास प्रश्न

1. समुद्री सुरक्षा में विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये। भारत इन चुनौतियों का मुक़ाबला करने के लिये अपनी प्रत्यास्थता में किस प्रकार वृद्धि कर सकता है?
2. भारत में उद्योग-शिक्षा जगत सहयोग की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये। इससे संलग्न चुनौतियों की चर्चा कीजिये और देश में उद्योग-शिक्षा जगत सहयोग के सफल कार्यान्वयन के लिये आवश्यक समाधानों के प्रस्ताव कीजिये।
3. जाति और लिंग के अंतर्संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में यौन शिक्षा की बहुमुखी चुनौतियों एवं महत्त्व पर विचार कीजिये। भारतीय शिक्षा प्रणाली में यौन शिक्षा के प्रभावी एकीकरण के लिये नीतिगत उपायों के प्रस्ताव कीजिये।
4. भारतीय राज्य के वर्तमान नौकरशाही ढाँचे में विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?
5. भारत में दिव्यांगजनों के समक्ष विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक भेद्यताओं की चर्चा कीजिये। ये भेद्यताएँ लिंग और ग्रामीण जीवन जैसे कारकों से किस प्रकार संबंधित हैं?
6. कृषि-खाद्य प्रणाली के भीतर प्रच्छन्न लागत की अवधारणा को परिभाषित कीजिये। देश में कृषि-खाद्य प्रणाली को संवहनीय बनाने के लिये आप क्या सुझाव देंगे?
7. भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। एक अधिक संतुलित और पारदर्शी कानूनी ढाँचा प्राप्त करने के लिये आवश्यक उपाय सुझाइये।
8. बहुआयामी गरीबी सूचकांक एवं मानव विकास सूचकांक के बीच तुलना कीजिये और अंतर बताइये। इसके साथ ही भारत में MPI की गणना में निहित चुनौतियों की चर्चा कीजिये तथा MPI की गणना में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइये।
9. अपने निकटतम पड़ोस में भारत के समक्ष विद्यमान भू-राजनीतिक चुनौतियों की चर्चा कीजिये। चीन के उदय और क्षेत्र की बदलती गतिशीलता को देखते हुए, दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव सुदृढ़ करने के लिये भारत इन चुनौतियों से कैसे निपट सकता है?
10. सरकार के CBG सम्मिश्रण दायित्व (CBO) का विश्लेषण कीजिये जिसमें सीएनजी और पीएनजी में धीरे-धीरे संपीडित बायो-गैस (CBG) का सम्मिश्रण करना शामिल है। CBO के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों को चिह्नित कीजिये।
11. भारत की अर्थव्यवस्था और रोज़गार परिदृश्य पर निर्यात आधारित विकास रणनीति में गिरावट के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने और सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत के लिये आवश्यक रणनीतिक उपायों का सुझाव दीजिये।
12. अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय की विवेचना कीजिये और इस क्षेत्र में हिंसा के साथ आर्थिक विकास, अवसंरचनात्मक विकास और पर्यटन पर इस निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।
13. सरकारी परियोजनाओं में कंसल्टेंसी फर्मों पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। नीतियों के प्रभावी और नैतिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये इन चुनौतियों को कैसे कम किया जा सकता है?
14. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 28वें सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहीं? COP28 में घोषित उद्देश्यों के सफल कार्यान्वयन की राह की प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये और आवश्यक रणनीतियों के सुझाव दीजिये।
15. भारत में आरक्षण की क्या आवश्यकता है? आरक्षण नीतियों से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण कीजिये और इसमें सुधारों के प्रस्ताव कीजिये।
16. वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिये और विश्लेषण कीजिये कि भारत में वन-निवासी समुदायों के समक्ष विद्यमान ऐतिहासिक अन्याय को यह किस प्रकार संबोधित करने का लक्ष्य रखता है।
17. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का मूल्यांकन कीजिये। इससे संलग्न चुनौतियों की चर्चा कीजिये तथा सुधारों के प्रस्ताव कीजिये।
18. दल-बदल विरोधी कानून से संबद्ध चुनौतियों की पहचान और चर्चा कीजिये। इस कानून से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये आवश्यक सुधार बताइये।

नोट :

19. ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के महत्त्व की चर्चा कीजिये।
20. भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली से संबद्ध प्रमुख मुद्दे क्या हैं? भारत में वर्तमान प्रणाली इन चुनौतियों का किस प्रकार समाधान कर सकती है और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती है?
21. भारत में कृषि में सकल पूंजी निर्माण (GCFA) की मंदी में योगदान देने वाले कारकों और इस मुद्दे को संबोधित करने पर लक्षित सरकारी पहलों की चर्चा कीजिये। कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक उपायों के प्रस्ताव कीजिये।
22. भारत में बेरोज़गारी की चिरस्थायी चुनौतियों, विशेष रूप से रोज़गारहीन विकास के संबंध में, का विश्लेषण करते हुए उच्च बेरोज़गारी दर में योगदान करने वाले कारकों पर विचार कीजिये।
23. भारत पर साइबर हमलों से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। सरकार साइबर हमलों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिये किस प्रकार प्रभावी रणनीति का निर्माण कर सकती है?
24. भारत में रोज़गार सृजन चुनौती से निपटने में राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के महत्त्व पर विचार कीजिये।
25. भारत के कृषि क्षेत्र के संदर्भ में प्राकृतिक कृषि की अवधारणा और लाभों की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक कृषि को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है और कैसे इसके पैमाने को बढ़ाया जा सकता है?

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision